खण्ड-200, अंक-1
बुधवार, 19 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(10 दिसम्बर, 1958 ई0)

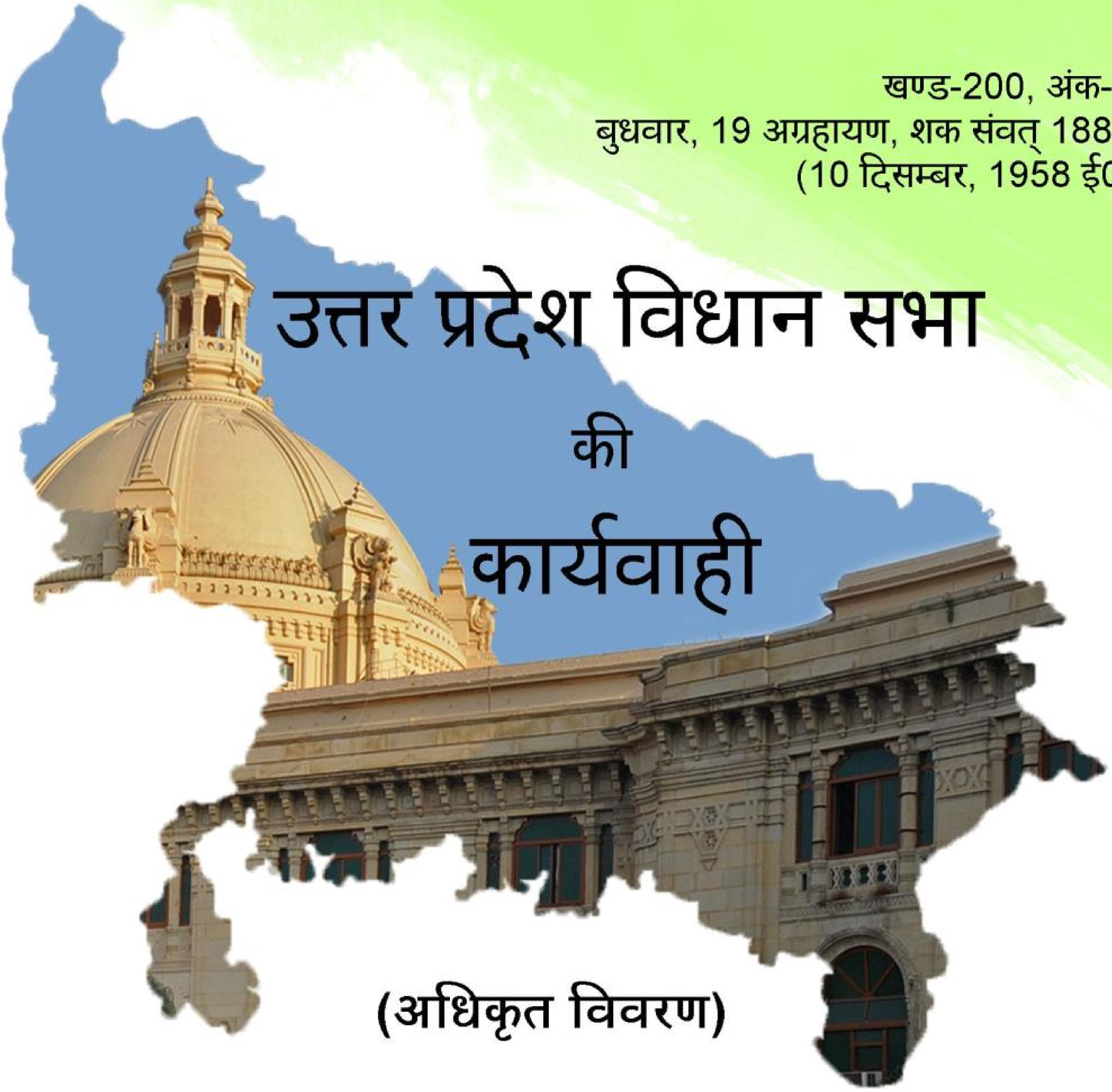

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३८
प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ	३८–३९
अल्मोड़ा शहर में कोयले की कमी के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३९
महराजसिंह मैन्योर मिल, खतौली द्वारा खराब खाद की बिक्री के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३९–४०
बरेली तथा इलाहाबाद में रेलवे कोच बिल्डिंग फैक्टरीज़ बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४०–४१
स्वास्थ्य स्थायी समिति पर श्री ऊदल की बहाली	४१
श्री द्वारका प्रसाद मित्तल द्वारा प्रतिनिहित विधायन समिति से इस्तीफा ..	४१
प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, १९५७ (श्री राज्यपाल की अनमति की घोषणा)	४१
शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८ को सरकारी कार्य होने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	४१–४६
विरोधी दलों द्वारा सदन का परित्याग	४६
शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५८ को सदन की बैठक होने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	४६
गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन (स्वीकृत)	४७–५०
गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियमों पर विचार (जारी)	५०–६२
सादाबाद, जिला मथुरा की हजारों एकड़ भूमि पानी में डूबी रहने के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद	६२–८४
सूचनाएं	८४
कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	८४
नस्थियां	८५–९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री

गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी,
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुरसिंह, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में श्री गयाप्रसाद की मृत्यु

**१—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २७ नवम्बर, १९५८ को बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में कितने मरीजों की मृत्यु हुई? उनके नाम और पते क्या हैं?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—दिनांक २७ नवम्बर, १९५८ को बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में एक मरीज की मृत्यु हुई। उनका नाम व पता निम्नलिखित है:

नाम—श्री गया प्रसाद

पता—द्वारा श्री गुरु प्रसाद, ग्राम मसौली, डाकघर तकियामऊ, थाना गोसाईंगंज, जिला लखनऊ।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस मरीज को २६ तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिस्चार्ज नहीं हुआ था, होने वाला था, लेकिन उसे इंसफ्लाइटिस हो गयी और उसका अटैक हो जाने से दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गयी।

श्री रामशरण यादव—इस दूसरी बीमारी का अटैक उनको किस वक्त हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२६ तारीख को हुआ, दूसरे पहर।

श्री रामशरण यादव—क्या यह सही है कि इस मरीज को २६ तारीख को १० बजे दिन के करीब डिस्चार्ज होने की बात कही गयी थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात सही नहीं है।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस मरीज को २६ तारीख को १० बजे तक किस मर्ज की दवा दी जा रही थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके पेट में हुकवर्म हो गये थे। एनिमा हो गया था और उससे वे बहुत सख्त बीमार थे। बदन में शोथ आ गया था। जब गये थे तो बदतर हालत थी। उनको तीन बोतल खून दिया गया था और उससे हालत बहुत कुछ इंप्रूव की थी। अब जाने वाले थे कि इत्तफाक से यह आफत आ गयी।

श्री रामशरण यादव—क्या यह सही है कि २६ तारीख की शाम को जो सुई उनको लगी उससे मरीज की हालत बहुत खराब हो गयी और उसकी वजह से ही उनकी मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, यह बिलकुल गलत है।

श्री रामशरण यादव—क्या यह सही है कि जो नर्स इंचार्ज थी उसमें और उसके भतीजे में वहां झगड़ा हुआ और उसकी वजह से ही उस मरीज की हालत पर कुछ ज्यादा असर पड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इस झगड़े का पता नहीं। मेरा खयाल है कोई मरीज या मरीज का रिश्तेदार वहां लड़ने नहीं, दवा कराने जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस रोग का दौरा बाद में हुआ वह क्या पहले की बीमारी से भिन्न था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो नयी बीमारी लग गयी थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या डाक्टरों ने निदान कर के यह बताया कि उस नयी बीमारी का कारण क्या था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस बीमारी के कारण का अभी पता ही नहीं चला। प्रयोग हो रहे हैं लेबोटरीज में।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अस्पताल में वह कितने दिन तक भर्ती रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग १ महीने के रहे।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री रत्नेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिलाधीश बस्ती के विचाराधीन चकबन्दी सम्बन्धी निगरानियां

*४—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में वर्ष १९५६ व १९५७ में चकबन्दी की कितनी अपील जिलाधीश को की गयी, कितनी स्वीकार हुईं, कितनी अस्वीकृत हुई और कितने मुकदमें बाक़ी हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)—१९५६ तथा १९५७ में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधीश के पास अपील दाखिल करने की व्यवस्था नहीं थी। अब जिलाधीश के यहां दूसरी अपील करने की व्यवस्था है। अपीलें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास ही दाखिल की जाती थी। जिलाधीश के पास निगरानियां (Revisions) दाखिल होती थीं।

सन् १९५६ व १९५७ में जिलाधीश बस्ती के यहां कुल १,३५६ निगरानियां दाखिल हुईं, जिनमें १९५७ के अन्त तक १०१० का निर्णय हुआ और ३४६ निगरानियां शेष रहीं। इन १०१० निर्णीत निगरानियों में से १३३ स्वीकृत हुईं और शेष ८७७ निगरानियां अस्वीकृत हुईं।

*५—६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७—९—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)— [चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

अचलपुर घाट, जिला गोंडा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१०—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोंडा जिले की तहसील उतरौला, परगना सादुल्लानगर के ग्राम अचलपुर घाट में मई, १९५८ में आग लग जाने से हानि की सूचना जिलाधीश को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता दी गयी ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—जी हां। पीड़ित व्यक्तियों को १७५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में दिये गये और घर बनाने के लिये लकड़ी का प्रबन्ध किया गया।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों के मकान जले थे और कितने की हानि हुई ?

श्री चरणसिंह—३८ मकान जले थे और १ लड़का और २ लड़कियां जान से मर गये थे।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—टोटल हानि कितने की हुई ?

श्री चरणसिंह—१५ हजार रुपये की।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—उनको कितना धन मकान निर्माण की सहायता के लिये दिया गया ?

श्री चरणसिंह—हानि से सहायता का कोई वास्ता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट हानि भरती नहीं है। जिन लोगों को वाकई आवश्यकता होती है उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये कुछ पैसा दिया जाता है। तो २५ आदमियों को १७५ रुपये दिये गये।

श्री प्रतापसिंह—पीड़ितों को कितना मुफ्त राशन और कपड़ा दिया गया ?

श्री चरणसिंह—मैं कह चुका हूं कि सिर्फ १७५ रुपये दिये गये। उससे वे गल्ला खरीद सकते थे, और कुछ लकड़ी उनको मकान बनाने के लिये मुफ्त दी गयी ?

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या लकड़ी सब को दी गयी और कितनी तादाद में दी गई ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरे हुये लड़के और लड़कियों के आश्रितों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई ?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट कोई क्षतिपूर्ति या कम्पैंसेशन नहीं देती है। मैं इस बात को अनेक बार कह चुका हूं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—उन लोगों को लगान में भी कुछ छूट दी गयी या नहीं ?

श्री चरणसिंह—मकानों के जलने से लगान का कोई वास्ता नहीं है।

एस० डी० एम० भावर, जिला नैनीताल के पेशकार के घर फाइलें बरामद होना

*११--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हुई है कि जून सन् १९५८ में जिला नैनीताल के एस० डी० एम०, भावर के एक क्लर्क के घर में ७४ अदालती फाइलें पकड़ी गईं ?

श्री चरणसिंह--जी हां, एक क्लर्क के घर से ७३ फाइलें बरामद हुईं।

*१२--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)-- यदि यह सही है, तो सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि उस क्लर्क के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह--सम्बन्धित क्लर्क को अनुशासिक कार्यवाही के पश्चात् दो वर्ष के लिये पदावनत कर दिया गया है तथा उसे भविष्य में पेशकार के पद पर न रखे जाने की आज्ञा हुई है।

*१३--श्री भीखालाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि ऐसी घटनाओं को अन्य जिलों में भी रोकने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाया है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आगरा लेबर कालोनी की एलोपैथिक डिस्पेन्सरी

*१४--श्री आदिराम सिंघल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा लेबर कालोनी में कितने क्वार्टर्स हैं और उनमें कितने श्रमिकों के पास हैं और कितने अन्य सज्जनों के पास हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--इस श्रमिक बस्ती में कुल १२९६ क्वार्टर्स हैं जिनमें से ९६४ श्रमिकों के पास है, १५७ अन्य व्यक्तियों के पास हैं और १७५ क्वार्टर्स खाली हैं।

*१५--श्री आदिराम सिंघल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कालोनी में लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी है ? उस पर क्या खर्च पड़ रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस डिस्पेन्सरी पर प्रति मास १,१३५ रुपया व्यय होता है।

*१६--श्री आदिराम सिंघल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डिस्पेन्सरी मोतीलाल नेहरू रोड से हटाकर यहां पर किन कारणों से लाई गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--चूंकि श्रमिक बस्ती में श्रमिकों एवं उनके परिवार की चिकित्सा की कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी अतएव मोती लाल नेहरू रोड पर स्थित सम्पूर्ण श्रम हितकारी केन्द्र श्रमिक बस्ती को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

श्री आदिराम सिंघल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ९६४ श्रमिकों में से कितने श्रमिक १०० रुपये माहवार से कम वेतन पाने वाले हैं, कितने १०० से २५० रुपये तक पाने वाले हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह--९६४ श्रमिकों के क्वार्टरों में कितने मजदूर रहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---९६४ श्रमिक परिवारों को हमने दिये हैं। एक परिवार में कितने श्रमिक हैं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन क्वार्टरों का किराया प्रतिमास कितना लिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१० रुपये महीना।

श्री बलदेवसिंह---१७५ क्वार्टर जो अन्य लोगों को दिये गये हैं वे कौन-कौन हैं और किस आधार पर उनको दिये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उनमें से कुछ लोग तो प्रदेशीय सरकार के वे कर्मचारी हैं जो उस कालोनी की देखरेख और वहां की सेवाओं के सम्बन्ध में रखे गये हैं। कुछ लोग वाणिज्य और दूसरी तरह के प्रतिष्ठानों के कर्मचारी हैं जिनको जाहिर है क्वार्टर नहीं मिलने चाहिये थे। इनकी अलग-अलग संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री आदिराम सिंघल---इस समय इस कालोनी में डिसपैंसरी पहुंच जाने से मरीजों की औसत संख्या क्या है और मोतीलाल नेहरू रोड पर औसत संख्या क्या थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---ये क्वार्टर कब से बने थे और क्या यह सही है कि कई साल तक ये खाली पड़े रहे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह सही है कि कुछ समय तक ये खाली रहे। उनको सीवर लाइन से मिलाने में दिक्कत थी। स्वेज क्राइसेस के कारण पम्पिन्ग सैट नहीं आ सके और म्युनिसिपैलिटी ने लाचारी प्रकट की कि वह सीवर सिस्टम से मिला सके। चूंकि हम वहां आवश्यक सेवाओं की पूर्ति नहीं कर पाये थे, वे खाली रहे। खाली क्वार्टरों के लिये यदि माननीय सदस्य किरायेदार दे सकें तो हम बड़े अनुगृहीत होंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)---क्या सरकार को पता है कि इस कालोनी में सी० ओ० डी० के क्लर्क भी रहते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हां, वे भी रहते हैं। केवल वे ही रहते हैं यह मैं नहीं मानता।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---ऐसे क्लर्कों की संख्या कितनी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मोतीलाल नेहरू रोड से डिस्पैंसरी हटाने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ी है या घटी है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कह दिया है कि संख्या नहीं बता सकूंगा।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि बहुत से १०० रुपया से कम पानेवाले मजदूरों ने उन क्वार्टरों के लिये आवेदनपत्र दिये थे लेकिन उन्हें नहीं मिले ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह बिलकुल गलत है।

श्री आदिराम सिंघल---क्या सरकार को पता है कि मोतीलाल नेहरू रोड पर ६ बड़ी तेल मिलें हैं और १ दर्जन ढलाई की और सूती मिलें भी हैं ? तो फिर क्या कारण है कि यहां के हजारों श्रमिकों को डिस्पैंसरी के फायदे से वंचित किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मोतीलाल नेहरू रोड पर भी सी क्लास सेंटर मरीजों के लिये हैं। उसमें आयुर्वेदिक उपचार होते हैं और उससे श्रमिकों का काफी फायदा हो रहा है। इस श्रमिकों की बस्ती में तो १,००० श्रमिक परिवारों के रहने का स्थान है, उनके लिये भी अस्पताल चाहिये। वे भी श्रमिक हैं।

बरेली जिले की सदर तहसील में चकबन्दी कार्य

*१७—श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में अगस्त सन् ५८ तक कितने ग्रामों में चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया और कितने बाकी हैं ?

श्री धर्मसिंह—बरेली जिले की सदर तहसील में माह अगस्त, १९५८ ई० तक किसी भी ग्राम में चकबन्दी का कार्य पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था। परन्तु ४९३ ग्रामों में किसानों को नये चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका था व ३१ ग्रामों में कब्जा दिलाना बाकी रह गया था।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बाकी ३१ ग्रामों में कब तक कब्जा दिलाया जायगा ?

श्री चरणसिंह—यह जो इत्तला दी गयी है वह अगस्त तक की है। अक्तूबर तक ५०८ गांवों में कब्जा दिलाया जा चुका है। केवल १५ गांव रह गये हैं। उम्मीद है कि जनवरी, ५९ तक काम पूरा हो जायगा।

बाढ़ क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिये स्कूलों को सहायता न मिलना

*१८—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष अभी तक बाढ़ क्षेत्र में स्थित स्कूलों को कितनी धनराशि सरकार की ओर से विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिये दी जा चुकी है ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष इस विषय में अभी तक कोई धनराशि नहीं दी गई है।

डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी विभाग के कर्मचारी

*१९—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती की चकबन्दी योजना में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से यहीं पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में कुल ५३ कर्मचारी ऐसे हैं जो ३ वर्ष से यहां कार्य कर रहे हैं।

*२०—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी योजना में यहां काम करने वाले अमीनों में कितने इस तहसील के तथा कितने दूसरे स्थल के निवासी हैं ?

श्री चरणसिंह—इस तहसील में चकबन्दी योजना में नियुक्त कुल ६०० अमीनों में से केवल २९१ अमीन ऐसे हैं जो इसी तहसील के निवासी हैं।

कानपुर के कुछ मिलों पर सरकारी बकाया

*२१—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के किन-किन मिलमालिकों ने मजदूरों से १९५६-५७ और १९५७-५८ के आर्थिक वर्ष का प्रावीडेन्ट फन्ड का रुपया काट लेने के बाद भी सरकारी कोष में वह जमा नहीं किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा----कानपुर के मिल मालिकों के पास १९५६-५७ आर्थिक वर्ष के प्राविडेन्ट फन्ड का कोई धन बकाया नहीं है ।

आर्थिक वर्ष १९५७-५८ के कुछ समय का धन मजदूरों से काट लेने के बाद भी निम्नलिखित मिलों के मालिकों ने सरकारी कोष में जमा नहीं किया है--

१---म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर ।

२---अथर्टन वेस्ट कं० लि०, कानपुर ।

३---स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन मिलों पर कितना-कितना रुपया बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---म्योर मिल पर ४३८८९९.८८ रुपया, अथर्टन मिल पर १,४८,४७५ रुपया तथा स्वदेशी काटन मिल पर ५,४२,९१६ रुपया बाकी है ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस रुपये को वसूल करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं । प्रावीडेंट फंड की धारा ८ के अनुसार एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की भांति इस पये को वसूल करने की कार्यवाही हो रही है ?

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या यह सच है कि स्वदेशी मिल के ऊपर डिग्री हो जाने के बाद और कुर्की जाने के बाद भी रुपया वसूल नहीं किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कुर्की गयी, यह बात ठीक है । लेकिन वसूल नहीं किया जा रहा है, यह बात ठीक नहीं है । उनके साथ वर्किंग अरेन्जमेंट है और उनसे दो-दो महीने की वसूली करते चलेंगे ।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या यह सच है कि इन मिलों से जो मजदूर निकाल दिये गये हैं वह सरकार से अपने प्रावीडेंट फंड की मांग करते हैं तो सरकार जवाब देती है कि चूंकि मिल मालिक से रुपया वसूल नहीं हुआ है, इसलिये रुपया नहीं दिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसी कोई सूचना प्रदेशीय सरकार के पास नहीं है इसलिये यह कहना सत्य नहीं है कि पैसा देने से प्रदेशीय सरकार ने इंकार किया । क्योंकि फंड के पैसे के देने-लेने का प्रदेशीय सरकार से कोई संबंध नहीं है, केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग की ओर से प्राविडेंट फंड कमिश्नर ही इस मामले को देखते हैं । हमारा सम्बन्ध तो केवल तब आता है जब कि पैसा मालिकों से वसूल करना होता है । वह हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मार्फत कर देते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---सूती मिलों के अलावा क्या और दूसरी मिलों पर भी यह रुपया बकाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---और किसी मिल पर रुपया बकाया है या नहीं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूली कब शुरू हुई और उसके बाद से कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जैसा कि मैंने निवेदन किया उसकी वसूली का हिसाब प्रावीडेंट फंड कमिश्नर के यहां रहता है। हमारी जिम्मेदारी तो केवल लैंड रेवेन्यू की तरह उसको वसूल करने की है। स्वदेशी काटन मिल के बारे में मैंने बता दिया कि दो-दो महीने की कटौती उनसे की जा रही है और कुछ रुपया उनसे वसूल हो चुका है और हो रहा है। म्योर मिल के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अथर्टन मिल के बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उसके पास पैसा है ही नहीं। उसका काम हम दूसरी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रावीडेंट फंड के बारे में प्रावीडेंट फंड कमिश्नर ही बता सकते हैं। हमारे पास उसका हिसाब नहीं है।

जौनपुर जिले में समाज कल्याण संबंधी कार्य

*२२--**श्रीमती तारादेवी** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की करेगी कि जिला जौनपुर के अन्दर प्रत्येक तहसील में अब तक क्या-क्या समाजकल्याण विभाग द्वारा कार्य किया गया ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---समाज कल्याण विभाग द्वारा जौनपुर जिले के अन्दर प्रत्येक तहसील में अब तक जो कार्य किये गये, उनका विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५-८६ पर)

*२३--**श्रीमती तारादेवी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कहां-कहां महिला मंगल केन्द्र हैं और जहां नहीं हैं वहां कब तक खोलने का सरकार विचार करती है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में जहां-जहां महिला मंगल केन्द्र संचालित हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :

नाम तहसील		विकास क्षेत्र		महिला मंगल केन्द्र
जौनपुर	..	धर्मापुर	..	सरैया
मछली शहर	..	मछली शहर		काजी का पूरा
,,	..	मुगराबादशाहपुर	..	पान्डेपुर
,,	..	,,		सटवा
केराकत	..	केराकत	..	छितौना
,,	..	डौमी	..	लेबरूवा
मड़ियाहूं	..	मड़ियाहूं	..	राजापुर
,,	..	रायपुर	..	रायपुर
,,	..	,,		धनुहा
शाहगंज	..	शाहगंज	..	बड़ागांव

इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्रों में दो ग्राम सेविकाओं के नियुक्त करने का प्राविधान नियोजन विभाग के आय-व्ययक में किया गया है। जैसे-जैसे प्रशिक्षित ग्राम सेविकाओं की उपलब्धि होती जायगी वैसे-वैसे उनकी नियुक्ति इन विकास क्षेत्रों में की जायगी।

श्रीमती तारादेवी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक किन-किन विकास क्षेत्रों में ग्राम-सेविकाओं की नियुक्ति हो चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिन विकास क्षेत्रों की सूची मैंने अभी पढ़ी है उनमें ग्राम-सेविकायें कार्य करती हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याणकारी केन्द्र केवल राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के स्थानों में ही नियत किया जाता है या दूसरे ब्लाकों में भी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तक तो यही कोशिश की जाती है कि ये जो विकास क्षेत्र हैं, इनके अन्तर्गत जो ग्राम आते हैं वहीं पर इन केन्द्रों की स्थापना की जाय।

श्री रामशरण यादव---विकास क्षेत्रों के अलावा और मुख्तलिफ स्थानों में ग्राम-सेविकाओं की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्योंकि उनको विकास क्षेत्र के अन्य कार्य भी देखने पड़ते हैं महिला मंगल केन्द्र चलाने के अतिरिक्त।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मछलीशहर विकास क्षेत्र जो काजीपुरा कस्बे के अन्दर है, उसको कस्बे से बाहर करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कस्बा भी ग्रामीण क्षेत्र ही है प्रायः और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिये ही महिला मंगल केन्द्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे छाया-क्षेत्रों को विकास क्षेत्र के अन्दर से निकाल देना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---महिला मंगल केन्द्रों की स्थापना प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जाती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मेरा प्रश्न यह है कि जौनपुर व शाहगंज तहसील में एक ही एक क्यों रखी गयी जबकि बकिया तहसीलों में दो व तीन रखी गयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---धन की कमी और कार्यकर्त्रियों की कमी ये ही दो कारण हैं।

*२४--२६---श्री देवनारायण भारतीय---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२७---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---[हटा दिया गया।]

कानपुर की मजदूर बस्तियों में बिजली-सफाई इत्यादि के लिये कर्मचारी

*२८---श्री बलवानसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर में जो सरकारी लेबर बस्तियां हैं उसमें लेबर विभाग के बिजली, सफाई वगैरह का काम करने के लिये कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, और क्या लबर कमिश्नर ने या हाउसिंग कमेटी ने सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि उन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगहों पर ठेकेदारों से काम लिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) ५६ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) लेबर कमिश्नर या हाउसिंग कमेटी ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा है।

*२९--श्री बलवानसिंह--क्या सरकार का विचार उन हटाये गये कर्मचारियों को कहीं काम पर लगाने का है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलवानसिंह--क्या सरकार बतलायेगी कि ये जो ५६ कर्मचारी हैं उनकी तादाद बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई शिकायत आई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तादाद बढ़ाने का प्रश्न है ही नहीं। तादाद उचित है और जरूरत के मुताबिक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--ये ५६ कर्मचारी अस्थायी हैं या स्थायी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--अस्थायी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई सुझाव आया है कि इन ५६ कर्मचारियों को हटा कर उनके स्थान पर यह काम ठेके पर दिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अभी तो इस किस्म का सुझाव सरकार के पास नहीं आया है ।

मुरादाबाद बिजली कम्पनी से कुछ कर्मचारियों को निकालने की शिकायत

*३०--श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद बिजली कम्पनी ने २९ मार्च, ५७ को गवर्नमेंट आदेश १४ जुलाई, १९५४, का उल्लंघन करके जो अपने कुछ कर्मचारियों को कम्पनी से निकाला था उसमें गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जांच करने पर इसमें किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

*३१--श्री बुद्धीसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कम्पनी का अभी तक प्रासीक्यूशन क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर कलेक्टरी को सिविल लाइन्स में लाने पर आपत्ति

*३२--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर कलेक्टरी के इजलासों के लिये जो मकान आइस फैक्ट्री कम्पाउन्ड में लिये गये हैं वह किस किराये के हैं और कितने इजलास इन मकानों में लगते हैं ?

श्री धर्मसिंह--कानपुर सिविल लाइन्स के बरफखाने के अहाते में स्थित बंगला नम्बर १६/१८ का नीचे का खंड ३०० रुपये मासिक पर इजलासों के लिये किराये पर लिया गया है। इसमें पांच इजलास लगते हैं। इस बंगले का ऊपर का खंड निर्वाचन कार्यालय के लिये २०० रु० मासिक किराये पर लिया गया है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इन अदालतों में अपराधी लोगों की एक बड़ी संख्या इकट्ठा हो जाती है जिससे मोहल्ले वालों को बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है ?

श्री चरणसिंह--मैं सवाल को अच्छी तरह से समझा नहीं। अपराधी अगर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को आते होंगे तो पुलिस की हिरासत में आते होंगे, उससे मोहल्ले वालों को कैसे दिक्कत पैदा होती है यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे भी अपराधी आते हैं जो पुलिस की निगरानी में नहीं होते, जमानत पर होते हैं और अपने मामले की पैरवी के लिये आते हैं और अपराध करने की चेष्टा करते हैं ?

श्री चरणसिंह---इसका मुझे इल्म नहीं है कि वे अपराध करते हैं लेकिन जमानत पर वही छोड़े जाते हैं जो ज्यादा खतरनाक नहीं होते।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मंत्री महोदय इस बात की जानकारी रखते हैं कि वहां बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण मोहल्ले की सैनिटरी कंडीशन बहुत खराब हो गयी है क्योंकि वहां मामूली-सा पेशाबखाना भी नहीं है ?

श्री चरणसिंह---इसकी तहकीकात कलेक्टर से करूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---इन अदालतों को इस मकान में लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? ये नई अदालतें हैं या कचहरी की इमारत में जगह की कमी हो गयी ?

श्री चरणसिंह---सरकारी इमारतों की कमी है, इसलिये पहली मई, १९५८ से यह कोठी जो तार विभाग के पास थी किराये पर गवर्नमेंट ने ले ली। इससे पहले भी किराये के मकानों में कुछ अदालतें लगती थीं।

*३३---श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।

*३४-३५---श्री घासीराम जाटव---[हटा दिये गये।]

रायबरेली जिले में वृद्धावस्था पेन्शन की स्वीकृति

*३६---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में कितने वृद्धों को सरकार की ओर से पेंशन दी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिला रायबरेली में अब तक ८१ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत हुई है।

*३७---श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिला में सरेनी खीरों निर्वाचन क्षेत्र में कितने आदमियों को सरकार से वृद्धावस्था की पेंशन मिली ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१२ व्यक्तियों को।

श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे निराश्रित जिनकी उम्र ग्राम पंचायत के रजिस्टर में ७० साल से कुछ कम है परन्तु दोनों आंखों से अंधे, पैरों से पंगु और हाथों से लुंज हैं और जो काम करने में असमर्थ हैं उनको भी वृद्धों की श्रेणी में पेंशन देने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, ऐसी कोई बात सरकार के विचाराधीन इस वक्त नहीं है।

ग्राम समाज मैनुअल का वितरण

*३८---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके द्वारा राज्य के प्रत्येक ग्राम समाज को ग्राम समाज मैनुअल दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--५४,९०० ग्राम समाजों को ग्राम समाज मैनुअल पिछले वर्ष बट चुकी है। कागजात की दिक्कत की वजह से ग्राम समाज मैनुअल की पूरी प्रतियां नहीं छप सकी थीं। वे अब इस साल छप गई हैं और बाकी लगभग ११,००० ग्राम समाजों को भी शीघ्र ही उपलब्ध हो जायगी।

*३९--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज की सम्पत्ति सम्बन्धी मुकदमों की पैरवी करने के लिये आर्थिक और कानूनी सहायता करने की वह क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री धर्मसिंह--१९५२ ई० के आखीर से ही ग्राम समाजों के मुकदमों की पैरवी के लिये सरकार ने वकीलों की तथा उनकी फीस के देने की व्यवस्था कर दी थी। यह व्यवस्था बराबर चालू है। उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा १६ के अन्तर्गत अब प्रत्येक जिले में एक संचित ग्राम समाज कोष बनाया जायगा और वकीलों की फीस तथा मुकदमों के अन्य खर्चे उसी कोष में से भविष्य में दिये जायेंगे।

श्री राजाराम शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम समाज मैनुअल गांव के साधारण लोगों को भी कीमत देने पर मिल सकेगी, और उसकी क्या कीमत होगी?

श्री चरणसिंह--गवर्नमेंट को जो मुफ्त देनी चाहिये थी गांव समाजों को उतनी भी नहीं छप सकी है कागज की कमी की वजह से। लिहाजा कीमत देकर कहीं मिल सके उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है।

श्री रामशरण यादव--क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि गांव समाज के केसेज के लिये वकीलों की नियुक्ति किस आधार पर और किसके जरिये से की जाती है?

श्री चरणसिंह--हर तहसील पर एक-एक वकील रखा गया है। हेडक्वार्टर पर वकील और तहसील पर वकील या मुख्तार और कलेक्टर की सिपारिश पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस प्रकाशन कार्य के लिये कागज कम मिलने का क्या कारण है?

श्री चरणसिंह--मुल्क में कागज की कमी है।

इलाहाबाद कलेक्टरी में हरिजन क्लर्क

*४०--श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद कलेक्टरी कचेहरी में इस वक्त कितने क्लर्क हैं?

श्री चरणसिंह--२८७।

*४१--श्री जवाहरलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कलेक्टरी में हरिजनों की क्या संख्या है? यदि कोई नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री चरणसिंह--तीन।

गोबरहवा बाजार, जिला बस्ती की तहबाजारी

*४२--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में ग्राम पिठनी खुर्द, तप्पा थरौली में हर मंगलवार को जो "गोबरहवा" नामक की बाजार लगती है जमींदारी टूटने के परिणामस्वरूप उसका कितना मुआवजा उस बाजार से सम्बन्धित भूतपूर्व जमींदारों को दिया गया?

श्री धर्मसिंह--गोबरहवा बाजार के निमित्त सम्बन्धित जमींदारों को १८,६६५ रुपये २ आना जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर के रूप में दिया गया।

*४३--श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार को पता है कि उक्त बाजार के भूतपूर्व जमींदारों ने बाजार का मुआवजा भी सरकार से ले लिया है और बाजार की तहबाजारी भी वसूल कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। जिस भूमि पर बाजार लगता था वह सम्बन्धित जमींदारों के नाम १३५९ फसली में बाग मालिकान दर्ज होने के कारण उक्त जमींदार उसके भूमिधर हो गये। इस कारण वे तहबाजारी वसूल कर रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर उक्त जमींदारों को सम्बन्धित अधिकारियों की गलत फहमी के कारण दे दिया गया।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार द्वारा जब उन भूतपूर्व जमींदारों को मुआवजा देने की लिये नोटिस दिया गया तो उन लोगों ने कोई उज्रदारी नहीं की और मुआवजा भी ले लिया तो सरकार ने क्यों नहीं उस बाजार को अपने कब्जे में लिया ?

श्री चरणसिंह---कानूनन सरकार ऐसा नहीं कर सकती और मुआवजा भी वापस नहीं ले सकती। जिन राज कर्मचारियों की गलती है उनके सिलसिले में तहकीकात करने का विचार है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या मंत्री महोदय इसकी भी जांच करायेंगे कि यह बाग मालिकान जो १३५९ में दर्ज हुये हैं यह बिल्कुल फर्जी हैं और तहसील के अधिकारियों से मिल कर उन भूतपूर्व जमींदारों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं ?

श्री चरणसिंह---यह तो मैं कह चुका हूं कि जिन कर्मचारियों ने गलती की है उनकी तहकीकात की जायगी। अगर साबित हुआ तो सजा भी दी जायगी। लेकिन अब बाग वापस नहीं हो सकते और न मुआवजा वापस हो सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मुआवजा गलती से दिया गया है उसके वापस लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह---धारा ६१ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम।

*४४-४५---श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

काशीपुर, जिला नैनीताल में शाप्स एण्ड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऐक्ट लागू करना

*४६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार काशीपुर, जिला नैनीताल में Shops and Commercial Establishments Act लागू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी हां।

(ख) ज्योंही इसके लिये निरीक्षक उपलब्ध हो सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि निरीक्षक उपलब्ध होने में क्या रुकावट है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---लोकसेवा आयोग से हम ने निवेदन किया था कि वह निरीक्षक हमें दे दें उन्होंने अभी नहीं दिये हैं। जब वह देंगे तभी यह काम चालू होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---सरकार का इरादा शाप एण्ड कमर्शियल ऐक्ट की सब धाराओं को लागू करने का है या कुछ को ? अगर कुछ को तो कौन कौन-सी धाराओं को ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वहां कौन-कौन सी धारायें लागू की जायंगी यह तो उस वक्त तय होगा जब कि इस पर आखिरी फैसला होगा लेकिन आम तौर से यही है कि काम करने के घंटों और छुट्टी आदि के बारे में जो धारायें है वह वही लागू हों, पूरे ऐक्ट के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या ऐसी कोई अर्जियां सरकार के पास आई हैं कि वहां ऐक्ट लागू हो जाय और वहां रविवार को बाजार बन्द रहता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वहां पूरा ऐक्ट लागू करने से विशेष लाभ न होगा, रविवार को बाजार बन्द रहता ही है और एक दिन की छुट्टी सप्ताह में हो ही जाती है, सिर्फ विचार इतना है कि अगर निरीक्षक होंगे तो देख-रेख हो जायगी और माननीय सदस्यों को दिक्कत न होगी।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोकसेवा आयोग को कितने निरीक्षकों के लिये लिखा गया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१२।

इलाहाबाद जिले में महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्यों पर व्यय

*४७--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में महिला कल्याण योजना किन-किन स्थानों पर चल रही है और उनमें महिलाओं के कल्याण के कौन-कौन से कार्य होते हैं और कितनी महिलाओं ने उसका फायदा अब तक उठाया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--महिला मंगल योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में महिला मंगल केंद्र निम्नलिखित स्थानों में चल रहे हैं:

१--ताऊडीह, २--अरवांसी,
३--कोरांव, ४--पुरैनी,
५--मुंगरी, ६--अझुआ,
७--डेवा, तथा ८--सरसवां

इन केंद्रों में महिलाओं के मंगल के लिये ग्राम सेविकाओं द्वारा उनको अक्षर बोध, सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, चर्खा, फल-संरक्षण, बागवानी, संतानोत्पत्ति के पूर्व तथा पश्चात् माताओं की देखभाल, स्वास्थ्य तथा सफाई, मनोविनोद, संतुलित आहार, सांस्कृतिक कार्य-क्रम, आदि विषयों में शिक्षा दी जाती है। इस योजना से इलाहाबाद जिले में अब तक ८,४८९ महिलाओं ने लाभ उठाया है।

*४८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १९५७ तथा जुलाई, १९५८ तक इस योजना को चलाने में कितना व्यय हुआ और कुल कितने की योजना थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सन् १९५७-५८ में इलाहाबाद जिले में महिला मंगल योजना के लिये २२,३९० रुपया की धनराशि नियत थी और कुल १५,९२७ रुपया व्यय हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस हेतु २८, ३७० रुपया नियत है जिसमें से जुलाई, १९५८ तक ४,०७१ रुपया व्यय हुआ है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ग्राम-सेविकायें रखी हैं वह कहां रहती हैं और उन्होंने कहां शिक्षा पाई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वह प्रायः वहीं रहती हैं जहां उनका कार्य-क्षेत्र है और वहीं से वह अपना काम करती हैं और उस श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को जो सुविधाएं प्राप्त है वैसी ही उन्हें भी प्राप्त हैं।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महिलाओं के अक्षर बोध के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये नियमित रूप से पाठशालाएं चलाई जाती हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ८,५०० महिलाओं ने लाभ उठाया है उनको क्या लाभ हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सभी प्रकार का लाभ हुआ है, कुछ ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, कुछ ने अक्षर बोध प्राप्त किया है, कुछ ने बागवानी, कुछ ने फल-संरक्षण, कुछ ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ ने जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में और कुछ ने सन्तानोत्पत्ति के पूर्व और बाद की परिचर्या आदि की शिक्षा प्राप्त की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या महिला कल्याण योजना से सम्बन्धित सूचना जो माननीय मंत्री जी ने दी है उसमें सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ठीक तौर से नहीं समझा लेकिन यदि मेरे मित्र का यह कहना है कि सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जो कार्य निर्धारित है वह इस योजना में सम्मिलित है या नहीं तो मैं यह कहूंगा कि जरूर है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---२२,३९० रुपया जो रखा गया था इसमें से केवल १५,९२७ ही क्यों खर्च किया गया, क्या वहां आवश्यकता नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि प्रशिक्षित ग्राम-सेविकाओं की उपलब्धि पूरे तौर पर हो नहीं पाती जिसके कारण उनकी नियुक्तियां नहीं होतीं। इसीलिये महिला मंगल केन्द्रों की स्थापना नहीं हो पाती।

अलीगढ़ जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*४९---श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ शहर तथा जिले में वृद्धावस्था की पेंशन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितने व्यक्तियों को पेंशन मिली ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अलीगढ़ शहर से वृद्धावस्था पेंशन के लिये ४३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से ७ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत हुई। अलीगढ़ जिले से कुल ४७३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये और १५३ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत हुई।

श्री अनन्तराम वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शेष प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं अथवा स्थगित कर दिये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अलीगढ़ जिले में केवल एक प्रार्थना-पत्र इस वक्त विचाराधीन है, शेष रिजेक्ट कर दिये गये हैं। जहां तक शहर का ताल्लुक है वहां १० अर्जियां विचाराधीन हैं। ७ को दे दी गयीं और बाकी रिजेक्ट हो गयीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इन स्वीकृत अर्जियों में स्त्रियों की संख्या कितनी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी अलग-अलग संख्या मेरे पास इस वक्त नहीं है।

*५०-५१--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

रोजगार दिलाने दफ्तरों द्वारा रोजगार मिलना

*५२--श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्ष में प्रदेश के Employment Exchanges में कितनी दरख्वास्तें रोजगार दिलाने के लिये प्राप्त हुईं और कितनों को रोजगार दिलाया जा सका ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सन् १९५६ तथा १९५७ में क्रमशः ३,४३,३२३ एवं ३,४३,६६३ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत किये गये और ३३,९३७ एवं ३४,४४२ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ।

*५३--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Employment Exchanges द्वारा Vocational Training में गत दो वर्षों में कितने लड़के भेजे गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--पिछले दो वर्ष (१९५६ तथा १९५७) में सेवायोजन कार्यालय ने vocational Training के लिये १,१२६ लड़के भेजे हैं । क्रमशः १९५६ में ७३२ लड़के तथा १९५७ में ३९४ लड़के भेजे गये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें दोनों वर्षों में जिन लोगों ने रोजगार के लिये दरख्वास्तें दीं और जिनको रोजगार दिलवाया गया उसमें करीब तीन लाख दस-दस हजार का अन्तर है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ६,२०,००० हजार आदमियों को किसी एजेन्सी द्वारा रोजगार प्राप्त हो चुका है या अभी ये सब बेरोजगार हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--पूरे लोग कहीं काम पाये या नहीं, इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज में जितने आदमी नाम रजिस्टर कराते हैं और जिनको हमारे जरिये नौकरी मिलती है उनका लेखा-जोखा रखते हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--साधारणतया रजिस्ट्रेशन कराने में और रोजगार मिलने में औसतन कितना वक्त लगता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--इसका निश्चित ऐवरेज कोई ऐसा नहीं निकल पाता है जो बराबर काम करता हो। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको नाम लिखाने के चन्द दिनों बाद ही नौकरी मिल जाती है और अनस्किल्ड कैटेगरीज को सालों लग सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५४-५५ में दरख्वास्त देने वालों की संख्या कितनी थी और नौकरी पाने वालों की कितनी थी ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न १९५६-५७ वर्ष से सम्बन्धित है इसलिये आपको १९५६-५७ के लिये ही पूछना चाहिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--प्रश्न जो छपा है उसमें सन् नहीं दिया गया है। मंत्री जी ने १९५६-५७ का बताया और मैंने १९५४-५५ का पूछ लिया ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न पिछले दो वर्षों के सम्बन्ध में है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने लोगों को एम्प्लायमेंट देने का टारगेट था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिस विभाग से यह सम्बन्धित प्रश्न है उससे टारगेट फिक्स नहीं होता है।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन कैण्डीडेट्स की लिस्ट अलग रखने की व्यवस्था है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, इसकी व्यवस्था है जिससे मालूम हो जाय कि हरिजन कैण्डीडेट्स कौन हैं। कुछ और विभागों से इस तरह की मांग भी आती है जिसमें हरिजन को देना पड़ता है।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के पास ऐसी सूचना भेजी गयी है या नहीं कि गवर्नमेन्ट आर्डर निकला है कि हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को प्रिफरेंस दिया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, हमारा विभाग इसको कार्यान्वित नहीं कर सकता है। हम सेवक आयोजकों के पास मजदूर, श्रमिक और क्लार्क्स पहुंचा देते हैं। यह सेवा आयोजकों की जिम्मेदारी है। हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारियों ने बहुत से स्थानों पर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम न मांगकर नियुक्तियां कर ली हैं ? यदि हां तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार के निश्चित आदेश हैं कि ऐसा न किया जाय। जब कभी ऐसी कार्यवाही होगी तो उसकी सूचना होने पर उचित कार्यवाही होगी।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जो लड़के भेजे गये उनमें से कितने पास हो गये और कितनों को रोजगार मिला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कितने लड़के पास हुए इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको नौकरी दिलाने की हमारी गारन्टी नहीं है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें यू०पी० सरकार ने बहुतों को मान्यता नहीं दी है जैसे ड्राफ्टसमैन के कोर्स के लिये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, जो हमारी कौंसिल इसके लिये बनी हुई है उसके विचाराधीन यह प्रश्न है कि किन-किन को मान्यता दें और किन-किन को न दें।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग है इसके सेंटर किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेश के करीब २१, २२ सेंटर्स हैं—जैसे लखनऊ, रामपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोंडा आदि।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वोकेशनल सेंटर्स पर स्त्रियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां, महिलाओं के अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, देहरादून में है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन सेंटर्स में इंस्ट्रक्टर्स ऐसे रखे जा रहे हैं जो गत वर्ष पास हुए थे और इस वर्ष इंस्ट्रक्टर रख लिये गये जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह बात तो ठीक नहीं होगी। जो इस योग्य हैं उनको पास करने के बाद मौका देते हैं। लेकिन मैं यह बात नहीं छिपाना चाहता कि हमारे देश में प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर्स की बहुत कमी है। इंस्ट्रक्टर्स का प्रशिक्षण सिर्फ एक जगह बिलासपुर में होता है। तो जैसे-जैसे ट्रेन होते जाते हैं, वैसे-वैसे रिप्लेस होते जाते हैं, लेकिन काम चलने भर का इंतजाम काफी अच्छा है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अगले वर्षों में कितने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स प्रदेश में खोले जायेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी ने यह भी देखने की कोशिश की है कि इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजे हुये विद्यार्थियों में कितने एम्प्लायमेंट पा चुके हैं? क्या इसका पर्सेंटेज निकाला गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं। अभी तक इसका पर्सेंटेज नहीं निकाला गया है न कोई इसकी व्यवस्था है कि सब का रेकार्ड रहे। बहुत सारे अपने आप एम्प्लायमेंट पा लेते हैं, कुछ एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा जाते हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं जिससे मालूम हो सके कि कौन कहां गया।

*५४-५५—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[चौवहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले की कुण्डा तहसील में चपरासियों व कलेक्शन अमीनों का चुनाव

*५६—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की कुन्डा तहसील में कोई चुनाव माह जुलाई, १९५८ में चपरासी व अमीन कलेक्शन का हुआ ? उसमें कितने पिछड़े तथा परिगणित जातियों के प्रार्थना-पत्र थे ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। उक्त चुनाव में पिछड़े वर्ग तथा परिगणित जातियों के निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये :—

	परिगणित जाति के प्रार्थना-पत्र	पिछड़े वर्ग के प्रार्थना-पत्र
अमीन	२	१
चपरासी	२	३

*५७—श्री गया प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त चुनाव में कितने व्यक्ति अमीन व चपरासी पद के लिये चुने गये ? उसमें कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे ?

श्री धर्मसिंह—उक्त चुनाव में १२ व्यक्ति अमीन पद के लिये तथा २० व्यक्ति चपरासी पद के लिये चुने गये जिनमें एक चपरासी परिगणित वर्ग का तथा एक अमीन और २ चपरासी पिछड़े वर्ग के थे।

श्री गया प्रसाद—माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित और पिछड़े वर्ग के अलावा कितने लोगों के दूसरे प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री चरण सिंह—इसकी नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गया प्रसाद—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ प्रधान और २० चपरासी जो चुने गये हैं उन सब को काम मिल गया है ?

श्री चरण सिंह—सब जगहें खाली थीं तभी तो चुने गये। तो काम मिल गया होगा।

*५८—श्री गरीबदास चौधरी (जिला जालौन)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बांदा कलेक्टरी में परिगणित तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*५९—श्री गरीबदास चौधरी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बांदा में कलेक्टरी कचहरी में कुल कितने क्लर्क व चपरासी हैं तथा उनमें परिगणित एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

श्री धर्मसिंह—१०४ क्लर्क जिन में दो परिगणित एवं चार पिछड़ी जाति के हैं, तथा १४९ चपरासी जिनमें दो परिगणित व ५० पिछड़ी जाति के हैं।

श्री गरीबदास चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १०४ क्लर्कों में केवल २ और १४९ चपरासियों में केवल २—यह परिगणित जाति की संख्या इतनी कम क्यों है ?

श्री चरणसिंह—उसकी वजहें दो हैं। एक तो यह है कि गवर्नमेन्ट ने यह आदेश दिया हुआ था कि जो पार्टिशन क्लार्क हैं और सेटिल मेंट में जो क्लार्क काम करते थे, असिस्टेन्ट कलेक्टर्स की अदालतों में जो काम करते थे, कलेक्टरेट में पहले वह ऐडजार्ब किये जायेंगे और इसके बाद नया रेक्रूटमेण्ट होगा। तो नया रेक्रूटमेन्ट इस सिलसिले में बहुत कम हुआ। दूसरी वजह यह है कि जहां रेक्रूटमेन्ट होता भी है अगरचे गौण कारण है, तो सूटेबिल कैन्डीडेट भी कभी-कभी कम मिलते हैं।

श्री गरीबदास चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्लर्कों के लिये यदि सब कैंडीडेट्स नहीं मिलते हैं तो क्या चपरासी के लिये भी कैंडीडेट नहीं प्राप्त होते हैं ?

श्री चरणसिंह—चपरासियों के लिये तो कोई ज्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिये, उनमें कुछ तो हैं।

श्री गरीबदास चौधरी—१४९ में केवल २ हैं जो कि १८,२० फीसदी होने चाहिये। तो यह बहुत कम नहीं तो क्या ?

श्री चरणसिंह—यह जब चपरासी की जगहें खाली होती हैं तो पिछड़ी जाति के लोग भर्ती किये जाते हैं। आगे जो जगह खाली होंगी उनके सिलसिले में रेवेन्यू विभाग को आदेश दिये जा चुके हैं कि अगर सूटेबिल कंडीडेट्स मिलें तो सब से पहले हरिजनों को भर्ती किया जाय ताकि उनका प्रतिशत पूरा हो जाय।

भोजापुर, जिला फर्रुखाबाद के अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*६०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ माह पूर्व जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ के भोजापुर (रनवां) गांव में आग लग गई थी ? अगर हां, तो उस आग से कितने घर जले और अनुमानतः कितनी क्षति हुई होगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, ५ जून, १९५८ को आग लगी थी। २५ घर जले और अनुमानतः ४०,००० रुपये की क्षति हुई थी। इसके अतिरिक्त एक मनुष्य व चार पशुओं की जानें भी गयीं।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस गांव में जून मास में आग लग गई थी जिससे उनका सारा गल्ला जल गया, तो सरकार की तरफ से उनको क्या सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह---अहेतुक सहायता ९२० रुपया और तकावी ३,०६० रुपये।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या सरकार इस कठिनाई को महसूस करते हुये मकान बनाने के लिये उनकी कुछ सहायता करेगी ?

श्री चरणसिंह---जो सहायता की है वह उनकी कठिनाई को महसूस कर के ही की है।

इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, गोंडा में छात्रवृत्ति का वितरण

*६१---श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, गोंडा के कितने छात्रों को stipend दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---३९ छात्रों को।

*६२---श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने छात्रों ने stipend पाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१२२ छात्रों ने।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस स्टाइपेन्ड के देने का क्या आधार है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसका आधार यह है कि हर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट में हमारी कुछ सीटें निश्चित हैं जैसा कि इस गोंडा वाले में हमारे यहां लड़कों के लिये ११६ सीटें मन्जूरशुदा हैं और ५,६ सुपरन्यूमररीज ले लेते हैं, उनमें से ३३, १/३ लड़कों को वजीफा देते हैं और नमें से साढ़े १२ सैकड़ा हरिजन और बेकवर्ड होना जरूरी है ? शेष जो लड़के बच जाते हैं उनमें से हरिजन और राजनैतिक पीड़ित सभी लड़कों को हम वजीफा देते हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिनकी आमदनी बहुत कम थी और पिछड़ी हुई जाति के थे उनको वजीफा न देकर ऐसे लोगों को वजीफा दिया गया है जिनकी आमदनी ज्यादा थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टाइपेण्ड दिये गये हैं यह योग्यता के आधार पर या प्री टेस्ट लेकर या गरीबी के लिहाज से दिये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---ऐप्टीट्यूड टैस्ट और उनकी आर्थिक हालत दोनों को मद्देनजर रखकर वजीफे दिये जाते हैं, लेकिन हरिजनों और राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में यह दोनों बातें लागू नहीं होतीं।

*६३---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---[चौदहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

---

*नोट---प्रश्न ६२ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बुलन्दशहर जिले की सिकन्दराबाद तहसील में चकबन्दी शुल्क की वसूली

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में चकबन्दी के लिये तहसील सिकन्दराबाद के किसानों से कितना धन अब तक वसूल किया जा चुका है और कितना अभी वसूल करना शेष है ?

श्री चरणसिंह—चकबन्दी शुल्क की दर अभी निर्धारित नहीं हुई है। इस समय अंतरिम रूप से १ ० ५० नये पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से वसूली की जा रही है। ३१ अगस्त, १९५८ तक तहसील सिकन्दराबाद के किसानों से इस दर से १,५७,७१९ ० की वसूली हो चुकी थी। तथा ५२,४१० रु० की वसूली बाकी थी।

बरेली में एक परिवार की विष खाकर कथित मृत्यु

*६५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे अगस्त मास के आखिरी सप्ताह में बरेली के भूख से पीड़ित ६ व्यक्तियों के एक परिवार के विष खाकर मरने का समाचार मिला है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, लेकिन जांच करने पर यह समाचार गलत पाया गया।

*६६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही उस क्षेत्र में कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के आधार पर यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

उन्नाव जिले में सई नदी के बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना

*६७—श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में सन् १९५७ ई० में सई नदी की बाढ़ से पीड़ित किसानों को लगान में कोई छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। कोई छूट नहीं दी गई है। क्षतिग्रस्त खातों की मालगुजारी की वसूली रबी १३६५ तक के लिये स्थगित कर दी गई थी।

*६८—श्री धनुषधारी पांडेय—[वित्त मंत्री द्वारा ९ दिसम्बर, १९५८ को उत्तर दिया जा चुका है।]

*६९—कुंवर श्रीपालसिंह—[वित्त मंत्री द्वारा ९ दिसम्बर, १९५८ को उत्तर दिया जा चुका है।]

मेरठ जिले से वृद्धावस्था पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*७०—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में बुढ़ापे की पेन्शन प्राप्त करने के हेतु अलग-अलग तहसीलवार कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा इन में से कितनों को यह पेंन्शन तहसीलवार दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरठ जिले में कुल मिलाकर ८९४ प्रार्थना-पत्र बुढ़ापे की पेन्शन के हेतु प्राप्त हुए इनमें से ९० व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत हुई। इसका तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :—

तहसील	संख्या प्राप्त प्रार्थना-पत्र	संख्या स्वीकृत पेंशन की
१—बागपत	१०९	२४
२—गाजियाबाद	३२२	१६
३—हापुड़	१३६	१०

तहसील	संख्या प्राप्त प्रार्थना-पत्र	संख्या स्वीकृत पेंशन की
४—मवाना	९५	१०
५—मेरठ	१११	११
६—सरधना	१२१	१९
योग ..	८९४	९०

*७१-७२—श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[बीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७३—७४—श्री रामप्रवार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[बीसवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन की स्वीकृति

*७५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की प्रत्येक तहसील में कितने व्यक्तियों को बुढ़ापे की पेन्शन दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला जौनपुर में इस समय तक कुल १०७ व्यक्तियों को बुढ़ापे की पेंशन स्वीकृत हुई है जिसका तहसीलवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

१—तहसील जौनपुर	२७
२—मड़ियाहूं	१२
३—मछलीशहर	२१
४—शाहगंज	३८
५—केराकत	९
योग	१०७

जौनपुर जिले में समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर व्यय

*७६—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में जनवरी, १९५७ से अगस्त, १९५८ तक कितना रुपया समाज कल्याण कार्यों पर खर्च किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तहसीलवार खर्च की सूची निम्नलिखित है :

सूची

१—जौनपुर तहसील	१८,६४५.४७
२—केराकत	७,८०५.७१
३—शाहगंज	१,८३८.८४
४—मड़ियाहूं	५,८४८.६३
५—मछलीशहर	६,२९१.९७

ललितपुर सब-डिवीजन, जिला झांसी में वर्षा-पीड़ितों को सहायता

*७७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन, जिला झांसी में १७ जुलाई से ३ अगस्त, १९५८ तक लगातार अधिक वर्षा होने के कारण खरीफ की पूरी फसल नष्ट हो गई है ?

श्री चरणसिंह—इस सब-डिवीजन के सिर्फ १४२ ग्रामों में खरीफ की फसल को क्षति पहुँची है ।

*७८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सब-डिवीजन के किसानों की सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—वहां बीज खरीदने के लिये तकावी बांटी गई है। इसके अतिरिक्त ५,००० रु० का अनुदान जरूरत मंद किसानों को उनके वर्षा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिये स्वीकृत किया गया है। क्षतिग्रस्त खातों पर मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने का भी प्रस्ताव है।

बिजनौर जिले के खादर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये प्रार्थना

*७९—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार को विदित है कि जिला बिजनौर, परगना मंडावर के खादर क्षेत्र में इस वर्ष बाढ़ से १२ गांवों को क्षति पहुंची है जिसके कारण वहां के निवासी वहां से हट कर कहीं दूसरे स्थान पर बसने के इच्छुक हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा स सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां। उक्त क्षेत्र के ग्राम वासी दूसरे स्थान पर तभी बसाये जा सकते हैं जब उनके लिये खेती की भूमि भी दी जा सके। यह आसान नहीं है, तथापि जिलाधिकारी वन विभाग से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। अस्थायी तौर पर बाढ़ के समय इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है तथा अन्य जरूरी सहायता की जाती है।

*८०—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार उक्त बाढ़-पीड़ित खादर क्षेत्र में किसानों की सुविधा के लिये सरकारी सस्ते अनाज की दूकानें खोलने की शीघ्र ही व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—जिले में सरकारी सहायता प्राप्त (Subsidized) मोटे अनाज की दूकानें खोलने की आवश्यकता नहीं समझी गई, परन्तु सस्ते गल्ले की १८ दूकानों को स्वीकृति दी गई थी जिनमें से जिलाधीश को अधिकार था कि ४ दूकानें जिले भर में जहां आवश्यकता समझें खुलवा दें। इन दूकानों से गेहूं उचित मूल्य पर मिल सकता है।

सीतापुर जिले में महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य

*८१—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला मंगल योजना द्वारा सीतापुर जिले में महिलाओं के लिये क्या कार्य अब तक किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वहां अब तक १० महिला मंगल केंद्र तथा ७ गतिशील महिला शिविर चलाये गये। महिला मंगल केन्द्रों में १,२४७ छात्र एवं छात्राओं को बालवाड़ी शिक्षा दी गई, १,१७१ महिलाओं को लिखना-पढ़ना बताया गया, ३,२९९ महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कताई तथा किरोशिया का कार्य सिखाया गया। १६५ महिलाओं को चरखा तथा तकली से सूत कातना बताया गया। १,२९० महिलाओं को साधारण रोगों से दवा द्वारा अच्छा किया गया। १५७ पाक सम्बन्धी कक्षाएं लगाई गईं। गतिशील महिला शिविरों में २११ ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य तथा सफाई, शिल्प कला, फल संरक्षण, समाज शिक्षा, गृह उद्योग, पशु पालन, दरी तथा कालीन बनाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि विषयों में शिक्षा दी गई।

मेरठ जिले में सिसाना ग्राम समाज की भूमि

*८२—श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम सिसाना, परगना बागपत, जिला मेरठ में जमींदारी उन्मूलन कानून के लागू होने के तुरन्त बाद कितनी ऐसी भूमि थी जो गांव सभा की सम्पत्ति थी ?

श्री चरणसिंह—९१२ एकड़ ।

*८३—श्री रघुवीरसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त भूमि में से कितनी भूमिहीन खेतिहरों, मजदूरों व छोटे किसानों को सन् १९५७ तक एलाट की गई है ?

श्री चरणसिंह—ग्राम समाज ने कोई भूमि खेती के लिये सन् १९५७ तक एलाट नहीं की। केवल एक प्रार्थना-पत्र पट्टे के लिये प्राप्त हुआ था, पर वह ऐसे नम्बरों के लिये था जो चरागाह के लिये सुरक्षित थे, अतः वह प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया। कोई अन्य प्रार्थना-पत्र भूमि को पट्टे पर लेने के लिये प्राप्त नहीं हुआ।

जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में किसानों के दसगुना लगान की रकम

*८४—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० जून, सन् १९५७ ई० तक तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर के किसानों द्वारा दसगुना के रूप में जमा किया गया कितना धन अमानत के रूप में पड़ा है ?

श्री चरणसिंह—३० जून, सन् १९५७ तक किसानों द्वारा दसगुना के रूप में जमा किये हुए धन में से ३१ अक्तूबर, १९५८ को केवल २,७४०.९१ ० अमानत के रूप में पड़ा था।

मुरादाबाद जिले की हसनपुर तहसील में बैलों के लिये तकावी

*८५—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जिला मुरादाबाद, तहसील हसनपुर में कितने प्रार्थना-पत्र बैलों की तकावी के स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत कर दिये गये ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष १ जनवरी से ३० सितम्बर, १९५८ तक तहसील हसनपुर में बैलों की तकावी के लिये १०० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से ६ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए, ३५ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और ५९ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये हैं।

*८६—श्री सुक्खनलाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील हसनपुर में एक व्यक्ति को कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी तकावी दी गई ?

श्री चरणसिंह—तहसील हसनपुर में कम से कम १२५ रु० और अधिक से अधिक १,००० रु० तकावी एक व्यक्ति को दी गई।

आत्महत्या के अभियोग में गिरफ्तारियां

*८७—श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में १५ अगस्त, १९५८ से अब तक कितने व्यक्ति आत्महत्या करने की चेष्टा के अभियोग में पकड़ कर प्रदेश की जेलों में भेजे गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१५ अगस्त से ३० सितम्बर, १९५८ तक २० व्यक्ति आत्महत्या करने की चेष्टा के अभियोग में पकड़कर प्रदेश की जेलों में भेजे गये।

*८८—श्री रामसनेही भारतीय—क्या सरकार उक्त अभियोग में पकड़े गये अभियुक्तों का पूर्ण विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उक्त बंदियों का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८७-८९ पर)

मैनपुरी जिले में एल० एल० ए० के सामने परताल

*८९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आदेश के मुताबिक सन् १९५८ ई० में मैनपुरी जिले में की तहसीलदार ने एल० एल० ए० के सामने कौन-कौन से ग्रामों में परताल की है?

श्री चरणसिंह—सरकारी आदेश के मुताबिक जिले के प्रत्येक विधान सभा के सदस्य से जिलाधीश द्वारा परताल के लिये ग्राम, तिथि तथा समय निश्चित करने की प्रार्थना की गई थी, परन्तु केवल एक सदस्य श्री मलिखान सिंह ने ही उत्तर दिया और तहसीलदार, मैनपुरी द्वारा उनकी उपस्थिति में ग्राम अशोकपुर, बेलाहार, सहादतपुर, रमपुरा तथा सराय लतीफ में परताल की गई।

स्थायी समझौता बोर्ड की स्थापना

*९०—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि G. O. no. 3736 (ST)/XXXVI-A—136 (ST)-57 के जरिये Government undertakings के लिये permanent Conciliation Board कायम करने जा रही है? यदि हां, तो कौन इस बोर्ड के चेयरमैन हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। कथित स्थायी समझौता बोर्ड स्थापित कर दिया गया है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। इस समय उक्त समझौता बोर्ड के चेयरमैन श्री शाह अजीज अहमद, आई०ए०एस० हैं।

*९१-९२—श्री बुलाकीराम वर्मा (जिला हरदोई)—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

बाराबंकी जिले में वृद्धावस्था पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*९३—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत जिलाधीश के पास बुढ़ापे की पेंशन पाने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये और उक्त जिले के किस-किस ग्राम के कितने कितने व्यक्तियों को पेंशन दी गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला बाराबंकी में वृद्धावस्था पेंशन के लिये अभी तक कुल १९८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से ३० पेंशन के लिये स्वीकृत हुये, जिसका तहसीलवार ब्योरा निम्नलिखित है:—

१—फतेहपुर	..
२—हैदरगढ़	१२
३—नवाबगंज	१०
४—रामसनेही घाट	८
योग ..	३०

शासवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९० पर)

लखनऊ तथा मोहनलालगंज तहसीलों में गांव समाजों का निरीक्षण

*९४—श्री रामशरण यादव—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि गांव समाज के गत ग्राम चुनाव के बाद से गत ३१ जुलाई, १९५८ ई० तक लखनऊ जिले की मोहनलालगंज तहसील व लखनऊ तहसील की किन-किन ग्राम सभाओं के लेखे-जोखे की जांच की गई और निम्नलिखित गलतियां कहां-कहां निकलीं—

(१) गबन,

(२) ग्राम समाज की कोई मीटिंग का न होना,

(३) ग्राम समाज की मीटिंग में लेखपाल का न होना,

(४) ग्राम समाजों की सम्पत्ति पर उनके चेयरमैनों द्वारा नियम के विरुद्ध कब्जा कर लेना और उनका पट्टा कर देना ?

श्री चरणसिंह—मोहनलालगंज तहसील के सभी गांव समाजों का निरीक्षण हुआ, परन्तु लखनऊ तहसील के २६९ गांव समाजों में से केवल २६२ का ही निरीक्षण हुआ।

(१) लखनऊ तहसील की महबुल्लापुर, मैहौरा और तेजकृष्ण खेरा गांव समाज में तथा मोहनलालगंज तहसील के गांव समाज गौरा में गबन पाया गया।

(२) केवल मोहनलालगंज तहसील के गांव समाज अचली खेड़ा में कोई मीटिंग नहीं हुई।

(३) गांव समाज की हर मीटिंग में लेखपाल उपस्थित रहा है।

(४) लखनऊ तहसील के ग्राम समाज अतरौली, नौबस्ताकलां, चांदगंज, मौरा, गौशलालपुर, खानपुर मऊ, हारदयालालनगर, गोन्दौली और सालीजानपुर तथा तहसील मोहनलालगंज के ग्राम समाज गौरा में नियम के विरुद्ध चेयरमैनों द्वारा पट्टे किये जाने की बाबत गलतियां निकली हैं।

शाहजहांपुर रोजगार दफ्तर से रोजगार मिलना

*९५—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर रोजगार दफ्तर में कितने व्यक्तियों ने १९५७ व १९५८ में अब तक रजिस्ट्रेशन कराया तथा उनमें से कितने-कितने व्यक्तियों ने रोजगार पाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वर्ष १९५७ में ६,५६८ और वर्ष १९५८ में अगस्त महीने के अन्त तक ८,६९१ व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इन वर्षों में क्रमशः ४७९ तथा ६२८ व्यक्तियों को रोजगार मिला।

शाहजहांपुर जिले में एम० एल० एज० के सामने परताल न होना

*९६—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रबी १३६५ फसली की परताल के संबंध में जो राजकीय आदेश इस आशय के जारी किये गये थे कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में पांच गांवों की परताल विधायक की उपस्थिति में की जाय उस आदेश की पूर्ति शाहजहांपुर जिले में हुई या नहीं ?

श्री चरणसिंह—मंडलाधीशों ने विधायकों को एतदर्थ आमंत्रित किया था, किन्तु कोई विधायक उपस्थित नहीं हुआ।

गाजीपुर जिले में टेस्ट वर्क्स पर व्यय

*९७—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ में अब तक गाजीपुर जिले में टेस्ट-वर्क का काम किन-किन स्थानों पर कराया गया तथा इन कामों में कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५८ में जिले की सभी तहसीलों के सब विकास खंडों में टेस्ट वर्क चलाया गया तथा इसके द्वारा कच्चे कुओं तथा तालाबों की खुदाई, कच्ची सड़क तथा बांध का निर्माण, गुल खुदाई तथा मेंड़बन्दी का काम किया गया।

इन कार्यों पर २७-१०-१९५८ तक कुल ८०,०५७ रुपये ३० नये पैसे व्यय हुए थे।

*९८—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार स्टेट वर्क की मजदूरी को मंहगाई के अनुसार पुनः निर्धारित करने पर विचार कर रही है?

श्री चरणसिंह—सरकार ने गल्ले की मंहगाई को ध्यान में रखते हुए टेस्ट वर्क की मजदूरी की दर १० सितम्बर, १९५८ को बढ़ा दी है।

शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़ा बझेड़ा में लगान वसूली में सख्ती की शिकायत

*९९—श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या राजस्व मंत्री को यह मालूम है कि शाहजहांपुर के बाढ़ क्षेत्र परगना खेड़ा बझेड़ा तहसील तिलहर व जलालाबाद तहसील में भीषण अन्न संकट होते हुए भी सरकारी लगान जबर्दस्ती पुलिस की सहायता से कुर्की तथा सामान बेंच कर वसूल किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह—तहसील तिलहर व जलालाबाद में मालगुजारी की वसूली नियमित रूप से की जा रही है। इसमें पुलिस की कोई सहायता नहीं ली गई।

आंवरा नाला तथा चंबर ताल नाला, जिला आजमगढ़ से फसल को क्षति

*१००—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आंवरा नाला तथा चंबर ताल, जिला आजमगढ़ में पानी एकत्र हो जाने के कारण हजारों एकड़ धान, सांवा आदि की फसल बह गयी है?

श्री चरणसिंह—आंवरा नाला तथा चंवर ताल में इस वर्ष विगत वर्षों की अपेक्षा पानी बहुत कम एकत्रित हुआ जिससे केवल नाम मात्र की हानि हुई।

गोंडा जिले के बूढ़ापार और सादुल्लानगर परगनों में लगान में छूट

*१०१—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परगना बूढ़ापार और सादुल्लानगर, तहसील उतरौला में सन् १३६५ फसली में सूखा के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा तारीख ५-१०-१९५७ तथा तारीख २१-१२-१९५७ को भेजी गयी सूचना जिलाधीश गोंडा को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री चरणसिंह—जी हां, इन पत्रों पर जिलाधीश ने मौके पर संबंधित क्षेत्रों की जांच कराई। फसल की क्षति के आधार पर नियमानुकूल जिन ग्रामों में मालगुजारी में छूट दी जा सकती थी उनमें छूट दे दी गई है।

ग्राम तुलसीपुर, जिला गोंडा में सरजू का कटाव तथा खीरी जिले का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

*१०२—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या यह सत्य है कि ग्राम तुलसीपुर, झंडापुर (मंझा) तहसील तरबगंज, जिला गोंडा सरजू नदी से कट गया है?

श्री चरणसिंह—जी हां, ग्राम तुलसीपुर के झंडापुर का अधिकांश भाग इस वर्ष नदी से कट गया है।

*१०३—श्री जगन्नाथप्रसाद—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन किन हरिजनों के घर कट गये हैं तथा उनको क्या सहायता मकान अथवा भूमि की दी गई है?

श्री चरणसिंह—इस कटाव से तीन हरिजनों (श्री सहाई पुत्र जोलर पासी, श्री मोती पुत्र शिव सहाई पासी व श्री राम लखन पुत्र हनुमान पासी) के मकानों को हानि पहुंची। अस्थायी तौर से यह लोग अब वहीं ऊंची सतह पर बस गये हैं। इन्हें उचित स्थान पर बसाने के साथ ही कृषि के लिये भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा भूमि उठाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

*१०४—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह सही है कि परगना श्रीनगर, जिला खीरी में ग्राम फुटहा से लेकर ग्राम कोठियां तक लगभग १५० ऐसे गांव हैं जिन में लगातार ६ वर्षों से बाढ़ आती रही है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

वस्तुतः ग्राम फुटहा, जो परगना मूड़ में है, से लेकर ग्राम कोतिहा परगना श्रीनगर तक लगभग ६० गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रभाव पड़ता है, परन्तु ऐसा नहीं है कि इनमें से सभी गांव गत छः वर्षों से लगातार बाढ़ से प्रभावित होते रहे हों।

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में चकों पर दखल

*१०५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में गांव की चकबन्दी हो जाने पर चकों पर दखल अब फसल के किसानों को दिलाये जाते हैं?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार स्थायी कब्जा खाली खेतों पर ही दिलाया गया है।

गोंडा जिले में लगान की वसूली

*१०६—श्री रघुरत्नतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १३६५ फसली में गोंडा जिले के अन्तर्गत परगनेवार लगान की वसूली क्या है?

श्री चरणसिंह—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९१ पर)

उपनिवेश क्षेत्र रुद्रपुर, जिला खीरी में भूमिहीनों व राजनीतिक पीड़ितों को भूमि

*१०७—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्रपुर व लखीमपुर खीरी में बंजर भूमि के प्लाट जो सरकार ने भूमिहीनों को तथा राजनीतिक पीड़ितों को कृषि करने को दिये हैं वह भूमि कितने एकड़ है?

श्री चरणसिंह—उपनिवेश क्षेत्र, रुद्रपुर में सरकार ने भूमिहीनों तथा राजनीतिक पीड़ितों को १५३२·५ एकड़ वह भूमि, जो तोड़ने के बाद बंजर हो गई थी, प्रदान की है। लखीमपुर खीरी योजना के अन्तर्गत कोई बंजर भूमि ऐसे लोगों को नहीं दी गयी।

*१०८—श्री भूपकिशोर—इस भूमि से सरकार को कितनी मालगुजारी प्रतिवर्ष किसानों से प्राप्त होती है?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०९—श्री भूपकिशोर—क्या इस भूमि में से बैकवर्ड तथा हरिजनों को भूमि दी गई है?

श्री चरणसिंह—जी हां।

लेखपालों को कानूनगोई की ट्रेनिंग

*११०—श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १२ वर्ष से प्रदेश के अन्दर जो पटवारी, कानूनगो का काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देने की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री चरणसिंह—५ वर्ष की अवधि के वे लेखपाल, जिनकी आयु ४० वर्ष से अधिक नहीं होती और जिन्होंने कम से कम २ साल तक कानूनगो के पद पर अस्थायी रूप से काम किया है, कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में दाखिले के योग्य समझे जाते हैं। प्रतिवर्ष कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल के दाखिले का १/३ भाग ऐसे लेखपालों के लिये सुरक्षित रखा जाता है।

*१११—श्री भगौतीप्रसाद वर्मा—क्या सरकार उन पटवारियों को मुस्तकिल करने की कोई योजना रखती है ?

श्री चरणसिंह—ऐसे लेखपाल, कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद जगहें होने पर सुपर न्यूमरेरी कानूनगो नियुक्त किये जाते हैं। ये ही सुपरन्यूमरेरी कानूनगो जगहें होने पर स्थायी रूप से सुपरवाइजर कानूनगो मुकर्रर किये जाते हैं।

फर्रुखाबाद जिले से वृद्धावस्था पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*११२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में वृद्धावस्था की पेंशन पाने के लिये कितनी दरख्वास्तें आयीं ? उनकी तहसीलवार संख्या क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फर्रुखाबाद जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिये कुल २६४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। इसका तहसीलवार ब्योरा इस प्रकार है—

फर्रुखाबाद	..	१५४
कायमगंज	..	५२
कन्नौज	..	१२
छिबरामऊ	..	४६
योग	..	२६४

*११३—श्री होरीलाल यादव—स्वीकृत दरख्वास्तों की संख्या तहसीलवार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ८३ पेंशन के लिये स्वीकृत हुईं जिसका तहसीलवार ब्योरा इस प्रकार है—

फर्रुखाबाद	..	५७
कायमगंज	..	४
कन्नौज	..	२
छिबरामऊ	..	२०
योग	..	८३

जालौन जिले में वृहत् जोत-कर देने वाले काश्तकारों की संख्या

*११४—श्री गरीबदास चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जिला जालौन में वृहत्-जोत कर देने वाले काश्तकारों की संख्या तहसीलवार क्या है ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ पर ९२ पर)

समाजवादी सत्याग्रही श्री राजनारायण के जुर्माने की अदायगी

*११५--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या समाज कल्याण मंत्री प्रश्न संख्या ४८ दिनांक २७-८-१९५८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण सोशलिस्ट सत्याग्रह के सम्बन्ध में जब जिला जेल कानपुर में १९५७ के नवम्बर मास में बन्द थे उस समय उनके कितने पये जेल में जमा थे तथा वे किस तारीख को छूटे और किस तारीख को उनके जुर्माने के ५० पये जमा हुए?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--४९ रुपये १२ नये पैसे। वे २४-११-१९५७ को जेल से छूटे और उसी दिन छूटने से पहले ५० रुपये जुर्माना जमा किया गया।

*११६--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि श्री राजनारायण ने जुर्माना जमा करने से इन्कार किया था और यह जुर्माना उनके जेल से छूटने के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने जमा किया था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं, श्री राजनारायण जी के जेल से छूटने के पहले ही एक अन्य सज्जन ने पया जमा किया था।

*११७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि श्री राजनारायण उक्त जेल में अन्य ६ सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ रहते थे और उन सब के साथ ही श्री राजनारायण को भोजनादि सभी सुविधाएं उनके समान मिलती थीं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, पर भोजन की सुविधाएं समान नहीं थीं।

प्रतापगढ़ जिले की कुण्डा तहसील में बैलों के लिये तकावी

*११८--श्री गयाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ तहसील कुण्डा में सन् १९५८ ई० में बैल लेने के सम्बन्ध में तकावी के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र तहसीलदार के पास आये और कितने व्यक्तियों को तकावी दी गई?

श्री चरणसिंह--उस सम्बन्ध में कुल २०८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। दिसम्बर ५, १९५८ तक कुल ९१ व्यक्तियों को तकावी वितरित की जा चुकी है।

गोरखपुर जिले में भूमि सम्बन्धी मुकदमे

*११९--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे सन् १९५६ से नवम्बर, १९५७ तक कितने चले?

श्री चरणसिंह--२१६५ मुकदमें।

नौगढ़, जिला बस्ती की नई तहसील तितरी में बनमा

*१२०--श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या नौगढ़, जिला बस्ती की नई तहसील तितरी में बन रही है और उसके लिये कुछ मकान गिराने के सरकार की तरफ से आदेश दिये गये हैं?

श्री चरणसिंह---नौगढ़, जिला बस्ती की नई तहसील तितरी म बन रही है और उसके लिए वैधानिक रूप से भूमि अधिकृत की जा चुकी है। कोई आदेश सरकार ने मकान गिराने के लिए नहीं दिये हैं। इस भूमि पर ३ मकान हैं जिन पर लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा १६ के अन्तर्गत कलेक्टर कब्जा कर रहे हैं। एक मकान वाले ने कब्जा दे दिया है, परन्तु दो मकान वाले कब्जा नहीं दे रहे हैं। उनसे मकान खाली कराने की आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कलेक्टर कर रहे हैं।

देवरिया जिले की हाटा तहसील में लगान वसूली के सम्बन्ध में वारेण्ट गिरफ्तारी

*१२१---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाटा तहसील, जिला देवरिया में सन् १३६४-६५ फसली तथा हाल में लगान की वसूली सिलसिले में कितने वारेण्ट निकाले गये ?

श्री चरणसिंह---आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३ पर)

हाटा तहसील के रामपुर गोनहां गांव में लगान का बकाया

*१२२---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि रामपुर गोनहां, ग्राम हाटा तहसील में सन् १३६० फसली से कुछ प्रमुख लोगों के ऊपर ५ हजार रुपया बकाया है जिसकी वसूली नहीं हुई है ?

श्री चरणसिंह---जी हां। ऐसे १५ व्यक्तियों से लगान की वसूली नहीं हो पाई थी।

ग्राम सिमरा, जिला पीलीभीत की कृषि भूमि

*१२३---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सिमरा, तहसील महाराजपुर, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में कितनी जमीन मजरुआ है ?

श्री चरणसिंह---९९ एकड़।

इलाहाबाद जिले में वर्षा से कथित हानि

*१२४---श्री कल्याणचन्द मोहिले--- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में इस वर्ष किन-किन गांवों में अधिक वर्षा होने के कारण हानि हुई और वहां किस-किस प्रकार की सहायता सरकार की ओर से दी गई ?

श्री चरणसिंह---इलाहाबाद जिले में इस वर्ष अधिक वर्षा से किसी ग्राम में हानि नहीं हुई, अतः सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जिले में समाज कल्याण योजनान्तर्गत कार्य

*१२५---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिला हरदोई में कोई समाज कल्याण की योजना चलायी है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां। अब तक वहां कल्याण विस्तार परियोजना के अन्तर्गत सात केन्द्र तथा नगर समाज कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी है।

रिवाइज्ड फेमिन कोड के अन्तर्गत कार्यवाहियां

*१२६--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिवाइज्ड फेमिन कोड, १९५३ के पैरा ३७ के अनुसार कहां-कहां के कलेक्टरों ने १३६४ तथा १३६५ फसली में कार्यवाही की और वे कार्यवाहियां कब की गयीं ?

श्री चरण सिंह--उक्त वर्षों में फेमीन कोड के पैरा ३७ का अक्षरशः पालन करना किसी जिलाधीश आवश्यक नहीं समझा। इस पैरा का उद्देश्य किसानों या उनके प्रतिनिधियों से पूछताछ करने से है। यह पैरा १९१२ में बना था जब कि इन व्यक्तियों का जिला अधिकारियों से सम्पर्क का उतना अवसर नहीं था जितना कि इस समय उपलब्ध है। जिलाधिकारी इन व्यक्तियों से बराबर ही फसल की बाबत जानकारी करते रहते हैं और आवश्यकतानुसार रिपोर्ट मंगाया व भेजा करते हैं।

*१२७--श्री गेंदासिंह--उक्त कोड के पैरा ४० तथा ४१ के अनुसार भी उक्त समय में कोई कार्यवाही किसी कलेक्टर ने की ? यदि हां, तो कहां और किस समय ?

श्री चरणसिंह--ये पैरा अकाल की स्थिति में लागू होते हैं, क्योंकि राज्य में कहीं ऐसी स्थिति नहीं रही इन पैरा पर कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी गई। फिर भी जिलों में सरकारी कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में क्या कर्त्तव्य है इसकी पूरी जानकारी है। इसके अतिरिक्त जिलों में विपत्तिकालीन सहायता कोष स्थापित है जिसमें दान देने के लिये जिला के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

*१२८--श्री गेंदासिंह--प्रदेश में टेस्ट वर्क चलाने की किस-किस जिले से रिपोर्ट उक्त कोड के अनुसार राज्य कार्यालय को उक्त समय में पहुंची है ? उसमें कितने व्यक्तियों को काम मिला है और उन्हें प्रति दिन क्या मजदूरी दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह--१३६४ फसली में टेस्ट वर्क शुरू करने के लिये निम्नलिखित जिलों से रिपोर्ट शासन को मिली थी --

गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल, गढ़वाल, फैजाबाद, बहराइच।

१३६५ फसली में इन्हीं जिलों से अलावा अल्मोड़ा और टेहरी गढ़वाल के, जिनके यहां टेस्ट वर्क शुरू करने की जरूरत नहीं थी तथा देहरादून, बदायूं, इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर, गोंडा, गाजीपुर, और बलिया जिलों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

१९५६-५७ में लगभग ३८ लाख तथा १९५७-५८ में लगभग ६७ लाख यूनिट को टेस्ट वर्क पर काम मिला।

२७ अक्तूबर, १९५६ के पहले मजदूरी की दर यह थी:--

फावड़ा चलाने वाले	६ आने प्रति दिन
ढोने वाले	५ आने प्रति दिन
बच्चे	४ आने प्रति दिन

२७ अक्तूबर, १९५६ से १० सितम्बर, १९५८ तक मजदूरी की दर यह थी :--

फावड़ा चलाने वाले	८ आने प्रति दिन
ढोने वाले	६ आने प्रति दिन
बच्चे	४ आने प्रति दिन

आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी का काम

*१२९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत सदर तहसील में कितने ग्रामों की चकबन्दी समाप्त हो गई है ?

श्री चरणसिंह—आजमगढ़ की सदर तहसील में अभी किसी ग्राम में चकबन्दी का कार्य पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है। परन्तु दिनांक ३१ अगस्त, १९५८ ई० तक २४४ ग्रामों में किसानों को नये चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका है। इन ग्रामों में नये अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं।

कलेक्शन विभाग में परिगणित तथा बैकवर्ड जाति के चपरासी

*१३०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७, १९५७-५८ में कितने सीजनल चपरासी रेगुलर कलेक्शन विभाग में लिये गये ? उनमें कितने परिगणित जाति के हैं और कितने बैकवर्ड क्लास के हैं ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५६-५७, १९५७-५८ में कुल ४६८ सीजनल चपरासी रेगुलर कलेक्शन विभाग में लिये गये, जिनमें से १२६ परिगणित जाति के तथा १२५ बैकवर्ड क्लास के चपरासी हैं।

मैनपुरी कलेक्टरी में हरिजन कर्मचारी

*१३१—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी कलेक्टरी में किन-किन पदों पर कितने कर्मचारी हैं तथा उनमें से कितन पदों पर कितने हरिजन हैं ?

श्री चरणसिंह—जिला मैनपुरी की कलेक्टरी में कुल मिलाकर ८७ स्थायी व २० अस्थायी लिपिक हैं, जिनमें से क्रमशः २ व १ हरिजन हैं। चपरासियों के पदों पर स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः १६९ व १७ है, जिनमें से क्रमशः २१ व ५ हरिजन हैं। स्थायी व अस्थायी पदों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९४-९५ पर)

*१३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[राजस्व मंत्री की प्रार्थना पर १५-१२-१९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

चांदपुर, जिला बिजनौर में तहसील न खुल सकना

१—श्री नरदेवसिंह दतियानवी (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर के चांदपुर नामक कस्बे में तहसील खोलने की स्वीकृति उसने दे दी है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

२—श्री नरदेवसिंह दतियानवी—यदि स्वीकृति दे दी है, तो वहां अब तक तहसील क्यों नहीं खोली गई है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री नरदेवसिंह दतियानवी—वहां कब तक तहसील खोलने का विचार है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

४—श्री मयाप्रसाद—[हटा दिया गया।]

राज्य संराधन अधिकारियों के पास विवाद

५—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य संराधन अधिकारियों (Regional Conciliation Officers) द्वारा १ जनवरी, १९५८ से ३० जून, १९५८ तक कितने विवादों (disputes) को श्रम विभाग के पास reference के लिये भेजा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संराधन अधिकारी किसी भी विवाद को श्रम विभाग के पास reference के लिए नहीं भेजते। हां उक्त समय में कुल १,४९० विवाद संराधन समितियों के पास आए।

६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कितने विवादों (disputes) में प्रादेशिक संराधन अधिकारियों द्वारा समझौता १ जनवरी, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ की अवधि में कराया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य में १ जनवरी, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ की अवधि में संराधन अधिकारियों के समक्ष ६३३ विवादों तथा संराधन समितियों के बाहर ६६ विवादों में प्रादेशिक संराधन अधिकारियों द्वारा समझौता कराया गया।

तहसीलदार सलेमपुर, जिला देवरिया की अदालत में मुकदमें

७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १-४-५८ से ३०-६-५८ के अन्तर्गत तहसीलदार सलेमपुर, जिला देवरिया के कोर्ट में—

(अ) कितने मुकदमें निर्णीत हुए ?

(ब) कितने मुकदमे अनिर्णीत रहे ?

(स) कितने माल के मुकदमे चले थे ?

(द) कितने फौजदारी के मुकदमे चल रहे थे ?

(य) कितने मुकदमों में १५ से अधिक पेशियां उक्त अवधि में कोर्ट में हुईं ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना निम्न प्रकार है—

(अ) १३०मुकदमें निर्णीत हुए।

(ब) ४६५ मुकदमें अनिर्णीत रहे।

(स) ५७२ मुकदमें माल के चले थे।

(द) २३ फौजदारी के मुकदमें चल रहे थे।

(य) ९ मुकदमों में १५ से अधिक पेशियां उक्त अवधि में उक्त कोर्ट में हुईं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। आज प्रश्नों की सूची में मेरे दो प्रश्न संख्या ९५ और ९६ पर थे। जो प्रश्नों के उत्तर मुझे दिये गये हैं उनमें इन प्रश्नों की संख्या १४, १८, है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न संख्या १४ और १८ से हट कर ९५ और ९६ कैसे हो गयी ?

श्री अध्यक्ष—यह स्थगित प्रश्न हैं। और भी कार्यक्रम में नये प्रश्न शामिल हो गये हैं इसलिये इनका नम्बर १४ और १८ से हट कर ९५ और ९६ हो गया। बहुत से प्रश्न बाद में इसमें आ गये होंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने एक तारांकित प्रश्न दिया था जो अतारांकित प्रश्नों में ७ नम्बर पर रखा हुआ है। वह बहुत महत्व का प्रश्न था....

श्री अध्यक्ष—इसका अधिकार तो अध्यक्ष को है कि वह किसी प्रश्न को स्टार्ड से अनस्टार्ड कर दे और अनस्टार्ड को भी महत्व का समझें तो स्टार्ड कर दे।

श्री उग्रसेन—तो क्या श्रीमन्, इसकी पुनः व्यवस्था करेंगे कि वह तारांकित प्रश्नों में आ जाय

श्री अध्यक्ष—वह इतने महत्व का नहीं समझा गया इसलिये उसको अनस्टार्ड कर दिया गया। लेकिन अगर आप महत्व का समझते हैं तो आप मेरे कमरे में आकर मुझे बतायें कि वह क्या महत्व रखता है। उस समय उस पर विचार हो जायगा।

अल्मोड़ा शहर में कोयले की कमी के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री रामस्वरूप वर्मा जी का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है कि "अल्मोड़ा शहर में २६ नवम्बर, सन् १९५८ से लकड़ी के जलाने के कोयले का दाम तीन पया मन से बढ़ कर ४ रुपया २८ नये पैसे कर देने के कारण और सरकार द्वारा कोयले की सप्लाई समय पर न होने के कारण इस भीषण सर्दी में दफ्तरों व घरों में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे वहां की जनता में भीषण असंतोष व्याप्त है।

अतः इस महत्वपूर्ण आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह मामला पुराना पड़ गया है और इसलिये कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

महराजसिंह मैन्योर मिल, खतौली, द्वारा खराब खाद की बिक्री के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा इस प्रकार है कि "जिला मुजफ्फरनगर स्थित श्री महाराज सिंह मैन्योर मिल, खतौली ने मिट्टी मिली खाद कई लाख की बेचकर ३ लाख रुपया का मुनाफा कमाया। जब जिलाधीश मुजफ्फरनगर को इस सम्बन्ध में बताया गया तो उस मिल की खाद का नमूना सरकारी लेबोरेटरी को भेजा गया जिसके अनुसार खाद में मिट्टी पायी गयी। इस संबंध में कृषि मन्त्री, कृषि संचालक तथा अन्य कृषि उच्च अधिकारियों से संबंध स्थापित करने पर भी कोई कार्यवाही उक्त मिल मालिक के इस जनहित विरोधी कार्य के खिलाफ न होने के कारण जनता में अपने धन की इस प्रकार की लूट के कारण असंतोष व्याप्त है।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य-स्थगित करता है।"

यह भी कई महीनों का मामला है और इसको पहले रोज उठाया जाना चाहिये था अगर माननीय सदस्य इसको महत्व का समझते थे। उस समय न उठाने की वजह से अनावश्यकता के आधार पर मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन माननीय मन्त्री जी से यह जरूर कहूंगा कि अगर वह चाहें तो इस संबंध में अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

†सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, कुछ कहना इसलिये जरूरी हो जाता है कि जब इस प्रकार के प्रस्ताव पढ़ दिये जाते हैं तो उनसे कुछ गलतफहमी हो जाने का अंदेशा रहता है ।

श्री अध्यक्ष---इसीलिये मैं कहता हूं कि आप अगर चाहते हों तो कुछ सूचना दें ।

श्री मोहनलाल गौतम---पिछले ४ सालों में हमारी सरकार ने इस मिल से कोई खाद नहीं खरीदी । हमको नहीं मालूम है कि किस ने खाद खरीदी और क्या उसकी शिकायत है । ट्रावनकोर सरकार ने इस से कुछ खाद खरीदी थी और उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया को शिकायत लिखी । वहां से वह हमारे पास आयी और वह शिकायत इस विभाग ने डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को इसलिये भेज दी कि वह उसको देख लें क्योंकि खरीदारी उनकी मार्फत होती है । हमारे सूबे के किस किसान ने खाद खरीदी और उसको क्या नुकसान हुआ इसका हमको पता नहीं ।

ब्लेक लिस्ट करने की बात का जहां तक ताल्लुक है, जब हम से कोई वास्ता नहीं रहा, हमको उसने कोई धोखा नहीं दिया, हम को उससे कोई शिकायत नहीं तो हम उसे ब्लेक लिस्ट क्यों करें ? लेकिन जो शिकायत ट्रावनकोर सरकार की आयी उसको हमने डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के पास भेजा और यह उसके सामने है । इससे ज्यादा हम से कोई वास्ता नहीं, और न कोई ताल्लुक है । हमको पता नहीं कि किसने खाद खरीदी, कब बेची गयी और उससे क्या नुकसान हुआ ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस की शिकायत कलेक्टर के यहां की गयी थी और उसके बाद यहां भेजी गयी .....

श्री अध्यक्ष---यह तो कामरोको प्रस्ताव में ही लिखा हुआ है । लेकिन मैंने बहस की इजाजत नहीं दी है ।

बरेली तथा इलाहाबाद में रेलवे कोच बिल्डिंग फैक्टरीज बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक प्रस्ताव नारायणदत्त जी तिवारी का इस प्रकार है कि "यह सदन एक तात्कालिक महत्व के निश्चित विषय अर्थात् बरेली व इलाहाबाद शहरों में दो रेलवे कोच बिल्डिंग फैक्टरी के अकस्मात् व एक ही साथ बन्द हो जाने तथा बरेली में अवस्थित दूसरी रेलवे कोच फैक्टरी के भी इस सप्ताह बन्द हो जाने के नोटिस दिये जाने के कारण प्रदेश के हजारों स्किल्ड मजदूरों के बेकार हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है ।" यह केवल केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित प्रश्न मालूम होता है, इसलिये इस सदन में कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता । इसको पेश करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा । अगर इस विषय में प्रादेशिक सरकार से इसका अप्रत्यक्ष कुछ भी संबंध आता हो और मुख्य मन्त्री जी कोई सूचना देना चाहते हों तो वे दे सकते हैं ।

† मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा इसका सम्बन्ध बिलकुल केन्द्रीय सरकार से है । हमसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । रेलवे कोच केन्द्रीय सरकार ही खरीदती है, प्रदेशीय सरकार नहीं । २ कारखाने बन्द हो चुके हैं और भी बन्द हो जायेंगे । हमने इस संबंध में, केवल इस ख्याल से कि ये कारखाने उत्तर प्रदेश में हैं, उनके बन्द होने से उत्तर प्रदेश के लोग बेकार होंगे, केन्द्रीय सरकार को लिखा उन्होंने जवाब दिया कि

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले जो सरकारी कारखाना था उसमें इतना प्रबन्ध नहीं था कि आवश्यकता भर कोच बना सकते इसलिये हमें प्राइवेट कारखानों को भी कोच बनाने का काम देना पड़ता था। अब सरकारी कारखाना काफी अच्छा हो गया है इसलिये प्राइवेट कारखानों को काम देने की आवश्यकता नहीं रही। जो आर्डर्स अब तक पड़े हुए हैं उनको तो वे पूरा करेंगे, इसके अलावा आगे और आर्डर्स उनको नहीं दिये जायेंगे। उन्होंने यही जवाब दे दिया। वैसे हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।

स्वास्थ्य स्थायी समिति पर श्री ऊदल की बहाली

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री ऊदल का निर्वाचन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था किन्तु उनकी अपील पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे आर्डर दे दिया गया है। अतः स्वास्थ्य स्थायी समिति में उनके स्थान की पूर्ति हेतु जो निर्वाचन होना था, अब रद्द किया जाता है और उनकी जगह पर अब किसी का निर्वाचन नहीं होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मित्तल द्वारा प्रतिनिहित विधायन समिति से इस्तीफा

श्री अध्यक्ष--श्री द्वारका प्रसाद मित्तल जी ने मुझे एक पत्र अंग्रेजी में लिखा है। उसका आशय यह है कि कुछ अर्से से उन्हें नर्वस ब्रेक डाउन की वजह से कमजोरी मालूम होती है और दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। इसलिये वह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के चेयरमैन पद से स्तीफा देना चाहते हैं। मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं और उन्होंने जो अच्छा काम किया है और बड़ी योग्यता तथा मेहनत से किया है, जिसको यह आदरणीय सदन जानता ही है, उसके बारे में इस इस्तीफे को स्वीकार करते हुए अपने पत्र में उनको धन्यवाद दूंगा तथा यह भी आशा करूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र ही उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो। उनकी जगह पर श्री मदन मोहन वर्मा जी को मैं सभापति मनोनीत करता हूं।

प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष--अब सचिव, विधान सभा एक घोषणा करेंगे।

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ सितम्बर, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ नवम्बर, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ दिसम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का ३९वां अधिनियम बन गया।

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८ को सरकारी कार्य होने के सम्बन्ध में संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अनुसार माह के द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी कार्य को प्राथमिकता दी जाती है परन्तु विधान सभा के समक्ष कतिपय विधेयकों के शीघ्र पारित होने की आवश्यकता को देखते हुए यह सदन निश्चय करता है कि विधान सभा की १२ दिसम्बर, १९५८, जो कि इस माह का द्वितीय शुक्रवार है, की बैठक में सरकारी कार्य हो। यह प्रस्ताव तो स्पष्ट ही है। जो हमारे सामने काम है उसका भी परिचय माननीय सदस्यों को है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि १२ तारीख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

को असरकारी काम के बदले सरकारी काम हो और असरकारी काम के लिये जो दिन है वह हमारे ऊपर ऋण रहेगा। मैं आशा करता हूं कि अगली बैठक जो होगी वह लम्बी होगी, उसमें हम इस ऋण को चुका सकेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। प्रक्रिया नियमावली के नियम ७६ के अनुसार यह है --

"If the Government desire to move a resolution they shall give seven days' notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt ;"

मैं समझता हूं कि इसके अनुसार माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रस्ताव रखने की इजाजत नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--"Provided that the speaker may allow a shorter notice" उक्त वाक्यों के अन्त में ही नियम में ही दिया है जिसको आपने नहीं पढ़ा है। मुझसे कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने शार्टर नोटिस के लिये इजाजत मांगी थी कि यह प्रस्ताव आज आ रहा है और मैंने उनको पेश करने की इजाजत दे दी थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। सरकार को यह लत हो गई है कि वह ऐन वक्त पर विधेयकों को लाती है और यह चाहती है कि उसकी मर्जी के मुताबिक बिना उन पर अच्छी तरह विचार किये हुए और बहस किये हुए उन्हें पास कर दिया जाय, हर समय, एक बार की बात नहीं है। पिछले तीन साल से जब से मैं इस सदन में आया हूं बराबर यह देख रहा हूं। बार-बार सरकार की तरफ से यही प्रस्ताव आता है कि अगर २ दिन के अन्दर या ५ दिन के अन्दर या ७ दिन के अन्दर विधेयक पास नहीं होता तो आसमान जमीन पर गिर पड़ेगा इसलिये बिना सोचे विचारे इसको पास कर दिया जाय। इस प्रवृत्ति का मैं घोर विरोध करता हूं। यह विरोध मैंने पहली बार नहीं किया है, इस सम्मानित सदन में पहले भी कई बार विरोध कर चुका हूं और इसीलिये मैंने यह शब्द प्रयोग किया कि "सरकार की लत पड़ गई है", आदत पड़ गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रकार के विधेयकों को समय से पहले क्यों नहीं लाती जिससे कि उन्हें जल्दी में न पास करना पड़े? वह इसको शीघ्रता से पारित करने की बात क्यों कहती है? अंग्रेजी में एक कहावत है "ऐक्ट इन हेस्ट, रिपेंट ऐट लेजर" यानी जो काम जल्दी में किया जाता है उसके लिये पीछे पछताना पड़ता है। हमारी हिन्दी में एक कहावत है वह तो इससे भी बुरी है--"जल्दी का काम शैतान का होता है।" मैं आशा करता हूं कि सरकार शैतान होकर शैतानियत नहीं करेगी।

इन सब बातों पर विचार करके मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहूंगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव वे न लाया करें। खासतौर पर इस प्रकार के प्रस्ताव न पेश करें कि गैर सरकारी दिन को भी सरकारी काम के लिये ले लिया जाय। शनिवार का प्रस्ताव तो अक्सर आता ही है। लेकिन आज इस गैरसरकारी दिन को सरकारी काम में लेने का प्रस्ताव आया है। प्रक्रिया नियमावली को देखने से माननीय अध्यक्ष महोदय, मालूम होगा कि एक मास में २० दिन जो कार्य होता है उसमें से केवल २ दिन असरकारी कार्य के लिये यानी केवल दशांश मिलता है और वे दिन भी अगर ले लिये जायं तो यह अन्याय और अनुचित हो जाता है। अगर मैं कूटनीतिक भाषा में यह कहूं कि सरकार मजबूरी की वजह से या कठिनाई के वजह से, या सत्य का प्रयोग करूं तो सरकार की काहिली और अकर्मण्यता की सजा विरोधी दल को और सदन के सदस्यों को नहीं मिलनी चाहिये।

सरकार क्यों नहीं मुस्तैदी से काम करती है कि समय से पहले सदन का कार्यक्रम बना कर अपने विधेयकों को लाया करे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, वैसे तो जो प्रस्तुत संकल्प है वह एक साधारण संकल्प प्रतीत होता है, लेकिन मुझे यह निवेदन करने में खेद हो रहा है कि साधारण जनतांत्रिक परम्परा के यह अनुकूल नहीं है। श्रीमन्, मेरी भी आपसे यह प्रार्थना होगी कि इस सदन के सभी पक्षों के अधिकारों तथा मर्यादाओं की रक्षा का एक मात्र मानदण्ड आप ही के हाथों में है, अतएव इस प्रकार की आज्ञा जितनी कम आप दे सकें उतना ही अच्छा है।

श्रीमन्, असरकारी कार्य को प्राथमिकता न देने का प्रश्न इस प्रस्ताव में है। यह प्रस्ताव चूंकि माननीय मुख्य मंत्री नेता सदन की हैसियत से लाये हैं हम उनसे भी यह आशा करते थे कि इस प्रस्ताव को लाने से पहले सदन के जो अन्य दल हैं उनसे भी वे परामर्श कर लेते। सदन के नेता के रूप में चूंकि वे यह प्रस्ताव लाये हैं तो जनतांत्रिक पद्धति के अनुसार दूसरे दलों के नेताओं से परामर्श कर लेना मुनासिब था।

यह कहा गया कि कतिपय विधेयक शीघ्र पारित करना आवश्यक है। आज तक का इतिहास बतलाता है कि जब कभी सरकार को कोई विधेयक शीघ्र पारित करने की आवश्यकता हुई तो इस कारण हुई कि अमुक विधेयक की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है, जैसे रेंट कंट्रोल ऐक्ट की तारीख ३० सितम्बर को खत्म होने जा रही है, १ अक्तूबर से इसको चलाना है, इसलिये इसे शीघ्र पारित करना आवश्यक है, अगर कोई विधेयक जल्दी पारित करना आवश्यक है तो यहां एक आध नहीं कई विधेयक जल्दी पारित करने हैं जो कि आज की कार्यसूची पर हैं। किन्तु ऐसे आइटम्स जैसे प्रक्रिया नियमावली, कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक इन सबको शीघ्र पारित करने की क्या आवश्यकता है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें।

मुझे याद है कि वर्तमान सेशन में ही उन्होंने सबसे पहले शनिवार का दिन बैठक होने का प्रस्ताव किया था किन्तु उन्होंने उसे वापस ले लिया जिसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा। मुझे विश्वास है कि उसी दिन की तरह आज भी वे अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे और यह निश्चय करेंगे कि हम १५,१६ व १७ को ३–४ दिन और बैठ जायंगे और बाकी बिल उन दिनों में पास कर लेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कौन सी जल्दी है। कोई बजट पास होने वाला तो है नहीं कि ३१ मार्च तक पास नहीं होगा तो लैप्स हो जायगा। तीन दिन असेम्बली अधिक क्यों नहीं बैठ सकती? इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को रखते हुये हम लोगों से कहा कि यह ऋण हमारे ऊपर होगा अगर हम उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। श्रीमन्, ऋण मांग रहे हैं किस चीज का? जो गैर सरकारी दिवस में सदस्यों का मूल अधिकार है उसका हनन ऋण के रूप में किया जा रहा है। फिर, श्रीमन्, उस दिन विषय भी बड़े महत्त्व का है। गैर सरकारी व सरकारी शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के वेतन में जो भेद है वह समाप्त हो। इतने महत्त्व का विषय उस दिन है जिसको इस प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जा रहा है। फिर यह बतलाया नहीं जा रहा है कि ऐसी अरजेंसी क्या है जिसके कारण यह प्रस्ताव लाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को स्वयं इस बात का पता नहीं है कि कितना कार्य है, कितना समय उसे लगेगा? एक साल, डेढ़ साल से मैं देख रहा हूं एक बार घोषणा होती है कि विधान सभा की बैठक १७ नवम्बर से होगी, फिर अखबार में निकलता है कि कैबिनेट ने तय किया है कि १७ नवम्बर से नहीं अब १ दिसम्बर से होगी। अपने ऊपर सरकार कोई बंधन नहीं लगाना चाहती, जब जैसी इच्छा होती है घोषणा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कर देती है और हम से कहा जाता है कि ऋण दो और हमको अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है ऋण के नाम पर। मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और खास तौर से इसलिये कि मुझे तो वह मिसाल याद आ गई कि कि "चौबे जी छब्बे बनने गये, दुबे ही रह गये"। पिछली दफा नेता सदन ने जब शनिवार के प्रस्ताव को वापस लिया था तो मुझे खुशी हुई थी कि मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि जो विरोधी दल के अधिकार हैं वह रहने दिये जायं। अब शुक्रवार भी ले लिया गया और आगे प्रस्ताव शनिवार का भी है। तो मुश्किल यह है कि न तो कोई जल्दी में कानून बन पाता है और अगर बन भी जाता है तो पिछले ऐसे वाकये हैं खासतौर से जब अंतरिम जिला परिषद् विधेयक था तो कह दिया गया कि जल्दी पास किया जाय और वह पास भी हो गया। इसी तरह से अब जिला परिषद् विधेयक आने को था वह भी नहीं आया और फिर जब कभी आयेगा तो जल्दी होगी। तो सरकार की ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि जो विधेयक लाया जाय वह आखिरी टाइम में लाया जाय और जल्दी के नाम पर जल्दी पास कर दिया जाय। तो यह हमारे अधिकारों का हनन है।

दूसरी बात यह है कि कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक हमारे सामने है कार्य सूची में। अब उसके लिये भी कोई समय नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार दो, तीन दिन के बाद काम खत्म करना चाहती है। उसके लिये भी समय मिल जाता अगर १५ तारीख के बाद सदन बैठ जाता। तो न कोई तिथि तय की जाती है किसी विधेयक की और न कोई ऐसा जरूरी विधेयक है कि जिसके पास होने में विलम्ब लग जायगा तो कहीं कोई कठिनाई हो जायगी। तो मैं समझता हूं ऐसे आवश्यक विधेयक जब कार्य सूची पर हैं ऐसी परिस्थिति में मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई औचित्य बताये बगैर यह प्रस्ताव लाना अनुचित है, न यह ही बताया कि वह कौन सा विशेष विधेयक है जिसकी तिथि निकली जा रही है। तो इन सब बातों को देखते हुये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से और क्यों विरोधी दल के अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है।

तीसरी बात यह है कि शुक्रवार को गैरसरकारी काम हुआ करता है। एक तो कम समय मिलता है और उसको भी ले लिया जाय तो उस समय जनता की भावनाओं का दिग्दर्शन नहीं हो पाता है और वह टल जाता है। यद्यपि नेता सदन ने यह कहा है कि दूसरे सेशन में वह इस शुक्रवार की कमी को पूरा कर देंगे। तो यदि हमारा यह शुक्रवार ले लिया जाता है तो इस वक्त पर जो जनता की भावनायें होनी चाहियें वह १ महीने बाद आयेंगी और उस समय जो आने वाली होंगी वह और आगे के लिये टल जायंगी। इस वजह से भी वह भावनायें समय पर व्यक्त होने से रह जाती हैं। तो इन तमाम कारणों से मैं आशा करता हूं कि माननीय नेता सदन इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और जैसा सभी विरोधी दलों ने इसका विरोध किया है उसको ध्यान में रख कर माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। और श्रीमन्, आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप भी ऐसे जब प्रस्ताव आया करें तो हमारी कठिनाइयों तथा अधिकारों की रक्षा हेतु ऐसे प्रस्ताव की अनुमति न दिया करें। ऐसे प्रस्तावों की ओर आप ध्यान दिया करें तो अच्छा हो।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं इस बात को समझ नहीं सका कि सरकार को क्यों इतनी जल्दी है कि शुक्रवार और शनिवार भी वह सरकारी कार्य के लिये ले ले? यह सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्यों नहीं दो, तीन दिन के लिये बढ़ाया जा सकता है, इसको मैं समझ नहीं सका। पिछली बार भी जब शनिवार लेने की बात आयी थी तब भी मैंने कहा था और आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी इसे स्पष्ट कर दिये होते कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से १५,१६ के बाद सदन बढ़ नहीं सकता? तो हमें सुविधा होती। इसको स्पष्ट न करने की वजह से हमारे लिये मुश्किल है कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। विशेष करके जो गैरसरकारी दिवस में प्रथम प्रस्ताव आया है, आपने स्वयं देखा होगा कि सरकारी और गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रम में जो फर्क है, उसे समाप्त किया जाय, उसके ऊपर यह प्रस्ताव है। हमारे प्रदेश के हजारों शिक्षित आदमियों के जीवन से यह प्रस्ताव संबंध रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार नहीं कर पायग। अभी एक पहले का शुक्रवार बाकी है, यह भी लिया जा रहा है। मैं समझता हूं यह गलत है और यह आदत भी ठीक नहीं है। अतः मेरा तीव्र विरोध है।

श्री अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि सारे देश में, केंद्र में और केवल एक प्रांत को छोड़कर अन्य सब प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का राज्य है। हमें मालूम है कि पार्लियामेंट में महीनों पहले से जब सेशन बन्द होने वाला होता है तभी पता हो जाता है कि कब सेशन खुलेगा और क्या काम होगा और फिर कब बन्द होगा। लकिन न मालूम क्यों हमारे यहां ऐसी कोई परम्परा नहीं है। असेम्बली के ऊपर, सरकार का अर्थात् एक्जिक्यूटिव का अधिकार बढ़ता जाता है। इस तरह की मनोवृत्ति या परम्परा जनतंत्र के लिये हानिकारक है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन की भावनाओं का आदर कर के माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि कई माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उस को मानने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। माननीय सदस्यों की भावनाओं का हम बराबर लिहाज करते ह और इस का यही प्रमाण बहुत काफी है कि पिछली बार जब मैंने ६ तारीख के शनिवार को काम होने का प्रस्ताव रखा था और उस पर जब माननीय सदस्यों ने यह कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये तो मैंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। मैं समझता हूं कि इस से किसी जनतंत्र प्रणाली का हनन नहीं होता, जिस नियम के अनुसार मैं इजाजत मांग रहा हूं कि १२ तारीख को काम हो वह नियम हमारी नियमावली में है, और किसी अधिकार का उससे हनन नहीं होता। ऐसा पहले भी हुआ है और जसा मैं कह रहा हूं कि यह गैरसरकारी दिवस आगे मिल जायगा जिस के देने की बात मैं कह रहा हूं। यह ठीक है कि जो गैर सरकारी प्रस्ताव होते हैं उन में महत्व की बातें होती हैं और यह भी है कि कुछ सामयिक भी होती हों लेकिन उनको प्रकट करने के लिये साधन तो और भी हैं जैसे प्रश्न हैं या कार्य स्थगन प्रस्ताव हैं। बहरहाल भावनाओं से अधिक महत्व आवश्यकताओं को देना चाहिये और सरकारी काम जनता की भावनाओं को तो व्यक्त करता ही है और यह जनता की आवश्यकताओं का भी ख्याल करके किया जाता है। अब सरकार को जो आदतें खराब हो गई हैं उनकी बाबत मैं क्या कहूं। पालीवाल जी की शिकायत है कि ३ साल से सरकार की यह खराब आदत हो गई है। हो सकता है कि उन को परेशानी होती रही हो। उन्होंने कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन उन को शायद मालूम होगा कि हमारे देश की संस्कृति इतनी पुरानी है कि शैतान से तो परिचय भी नहीं हुआ था, उस से तो कुछ सदियों का ही परिचय है। हम तो इस बात को मानते हैं कि दीर्घ सूत्री विनश्यति" यानी जो बहुत देर में काम करता है उसका विनाश होता है। अतः यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १८ के अनुसार माह के द्वितीय व चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी कार्य को प्राथमिकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

दी जाती है, परन्तु विधान सभा के समक्ष कतिपय विधेयकों के शीघ्र पारित होने की आवश्यकता को देखते हुये यह सदन निश्चय करता है कि विधान सभा की १२ दिसम्बर, १९५८, जो कि इस माह का द्वितीय शुक्रवार है, की बैठक में सरकारी कार्य हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१३७,

विपक्ष में---७३।)

विरोधी दलों द्वारा सदन का परित्याग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय मैं, केवल इतना निवेदन करना चाहता था कि सरकार की इस हठवादिता के विरुद्ध मैं थोड़े समय के लिये सदन से बाहर जाता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मुझे बड़े दुख के साथ १० मिनट के लिये सदन का त्याग करना पड़ रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---सरकार की हठवादिता के कारण मैं और मेरी पार्टी १० मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---चूंकि आज जनतांत्रिक परम्परा के अनुसार जो परामर्श करने की प्रथा है उसको अपनाया नहीं गया है जैसा कि हमेशा होता था इसलिये जो यह नया तरीका आज अपनाया गया है इसके विरोध में १० मिनट के लिये हम सदन से बाहर जाते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मैं अर्ज करता हूं कि यहां पर जो पिछड़े हुये और गरीब लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, केवल पूंजीपतियों का यह सदन है इसलिये मैं १५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

श्री झारखंडे राय---श्रीमन्, कोई भी कंविंसिंग प्वाइंट माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं बताया इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और सदन का त्याग करता हूं।

शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५८ को सदन की बैठक होने के सम्बन्ध में संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं "कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती, परन्तु विधान सभा के समक्ष कतिपय विधेयकों का शीघ्र पारित होन की आवश्यकता को दखत हुये तथा उक्त उपनियम (२) के तत्संबंधी उपबंधों को निलम्बित करते हुये यह सदन निश्चय करता है कि विधान सभा की बैठक शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५८ को भी निर्धारित समय पर हो।"

श्रीमन्, मैं पिछली मर्तबा इसकी सूचना दे चुका था कि १३ तारीख को सदन की बैठक हो। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार विधान सभा की बठक शनिवार को नहीं होती परन्तु विधान सभा के समक्ष कतिपय विधेयकों का शीघ्र पारित होने की आवश्यकता को देखते हुये तथा उक्त उपनियम (२) के तत्संबंधी उपबंधों को निलम्बित करते हुये यह सदन निश्चय करता है कि विधान सभा की बैठक शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५८ को भी निर्धारित समय पर हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम में विधान परिषद् द्वारा [नत्थी (ख) में दिये हुये संशोधन] स्वीकृत संशोधनों को सदन द्वारा स्वीकार किया जाय।

इस संबंध में मैं समझता हूं कि सारे संशोधनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं एक एक संशोधन लेता जाऊंगा और उसके ऊपर राय लेता जाऊंगा। उन्हें आपने उपस्थित कर दिया है ऐसा मान लिया जायगा, जैसे बिल के विषय में रीति होती है। यह संशोधन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा अपनी २० नवम्बर, १९५८ की बैठक में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में अंग्रेजी में स्वीकृत किये गये थे। मैं पहले संशोधन को ले रहा हूं।

अध्याय ३

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि परिनियम ३ में खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(४) संबद्ध कालेजों के चार अध्यापक जो कला की फैकल्टी के लिये निर्दिष्ट विषय पढ़ाते हों, चार अध्यापक जो विज्ञान की फैकल्टी के लिये निर्दिष्ट विषय पढ़ाते हों तथा दो अध्यापक जो अन्य प्रत्येक फैकल्टी के लिये निर्दिष्ट विषय पढ़ाते हों, कालेजों के अध्यापक ज्येष्ठता के क्रम में अपने स्थानों पर नियुक्त किये जायेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक ही विषय का एक से अधिक अध्यापक तथा एक ही कालेज का एक से अधिक अध्यापक एक ही समय में कोर्ट का सदस्य बनने का पात्र न होगा।"

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा संशोधन नत्थी (ग) में अध्याय ३ में है उसको भी साथ ले लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—आप अपना संशोधन उपस्थित करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्याय ३ के उपनियम (२) के अन्तर्गत यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि जो परिनियम रखे गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—यह आप किसको संशोधित कर रहे हैं?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—अध्याय ३ के अन्तर्गत जो संशोधन है, नत्थी 'ग' में और यह 'ख' में है। मैं चाहता हूं कि साथ ही ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—क्या उससे इसके ऊपर कोई असर पड़ता है?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—जी हां, पड़ता है, जो प्रतिबन्ध है उस पर असर पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं। कि उस प्रतिबन्ध और इससे कोई संघर्ष न हो।

गृह-मन्त्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—श्रीमन्, माननीय त्रिपाठी जी का जो संशोधन है, वह नत्थी "ग" में दिया हुआ है। अध्याय ३ में परिनियम ६ से वह संबंधित है और हम इस वक्त परिनियम ३ पर हैं।

श्री अध्यक्ष—उसका असर कोई पड़ता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस पर तो असर पड़ता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी मैंने पढ़ा था वह स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या ५ की द्वितीय पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "चार" रख दिया जाय तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द "का सदस्य" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या ६ में---

(१) खंड (१) की तृतीय पंक्ति में शब्द "उनका कोर्ट" से प्रारम्भ होने वाला दूसरा वाक्य खंड के अन्त तक पूरा निकाल दिया जाय।

(२) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो :

(क) ऐसे कालेज से स्नातक हुआ हो जो अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में है।

(ख) विधि के अनुसार निगमित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का निवासी है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ के प्रचलित होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक के रूप में अपने को नामांकित कराने का अधिकारी है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जो गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ तक प्रचलित होने के पश्चात् विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक होता है, वह इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक होने का अधिकारी न होगा।

(३) खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित को खंड (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(२-क) १९५९ और उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऐसे स्नातक जिन्हें स्नातक हुये तीन वर्ष और उससे अधिक हो गये हों, विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक के रूप में अपने को नामांकित कराने के पात्र होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या ८ में निम्नलिखित को मद (ग) के प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दिनांक के सम्बन्ध में यह निर्बन्धन इन परिनियमों के प्रकाशन के पश्चात् होने वाले कोर्ट के दाताओं के प्रथम निर्वाचन पर लागू नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्याय ६

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या १ में खंड (क) की मद (६) में प्रथम पंक्ति में आये हुये शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "छः" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपहुअ स्थित किया गया और स्वीकृत ।।)

अध्याय ७

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या ३ में---

(१) खंड (१) की मद (३) में प्रथम पंक्ति में आये हुये शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

(२) खंड (१) की मद (५) में प्रथम पंक्ति में आये हुये शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

(३) खंड (२) की मद (५) में प्रथम पंक्ति में आये हुये शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को मद (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनमें से एक अध्यापक कृषि के विषयों को पढ़ाने के लिये होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्याय ८

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या १ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय तथा द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में से शब्द "भी" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्याय १४

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या ९ में मद (ङ) के भाग (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(२) प्रबन्ध समिति में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व दो अध्यापक जिनमें से एक विभागाध्यक्ष होगा तथा दूसरा विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक होगा, अपनी पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रम में बारी-बारी से एक वर्ष की अवधि के लिये करेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या २४ में खंड (४) की मद (ङ) में द्वितीय पंक्ति में आयी हुई अंक "५" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्याय १६

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या १ में (१) परिनियम का पैरा (३) निकाल दिया जाय।

(२) पैरा (४) में द्वितीय तथा तृतीय पंक्तियों में आये हुये शब्द "उसके अनुमोदन से अध्ययन अथवा अनुसन्धान कार्य में व्यतीत की गई है" के स्थान पर शब्द "शैक्षिक या चिकित्सकीय आधार पर स्वीकृत की गई है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्याय १७

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम ३ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम संख्या ६ में पैरा (२) के पश्चात् निम्नलिखित को नये पैरा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"(३) अध्यापक के रूप में उसकी सेवा की कुल अवधि में अनुसन्धान उपाधि (Lower Research Degree) के लिये एक वर्ष तथा उच्च अनुसंधान उपाधि (Higher Research Degree) के लिये दो वर्ष बढ़ा दिये जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्याय १८

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि परिनियम १ और २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"१---कोर्ट या विद्वत् परिषद् के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उपाधियों क संप्रदान का प्रस्ताव किया जा सकता है। यह प्रस्ताव एक समिति के समक्ष रखा जायगा जिसमें उपकुलपति, फैकल्टियों के डीन, कोर्ट के तीन प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के अध्यापक न हों तथा विद्वत् परिषद् के तीन प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के अध्यापक हों, होंगे व यदि समिति द्वारा स्वीकृत हो जाय तो यह प्रस्ताव विद्वत् परिषद् की बैठक में पेश किया जायगा। यदि विद्वत् बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से उसे इसका अनुमोदित कर लें तो वह कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष भेजा जायगा और यदि कार्य-कारिणी परिषद् उसे स्वीकार कर ले तो वह कुलपति के पास पुष्टि के लिये भेजा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिशिष्ट 'क'

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम १९ के पैरा (३) में शब्द "यथाविधि" तथा "मोहरबन्द" के बीच में शब्द "लाख से" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियमों पर विचार

अध्याय २

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि परिनियम २ की पंक्ति १ में शब्द "ग्रीष्मावकाश" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "सकता है" तक निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन.....

श्री कमलापति त्रिपाठी--- श्रीमन्, यह जो उग्रसेन जी संशोधन उपस्थित कर रहे हैं यह आज ही एजेन्डे पर आया है। मैं समझता हूं इसके लिये २४ घंटे का नोटिस नहीं रहा। मुझे यह अभी देखने को मिला है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने कल दे दिया था और आप से पूछा भी था कि हम लोगों को समय नहीं मिल पायगा, तो आपने कहा था कि दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह तो १६ सितम्बर से था। मैंने कहा था कि जो १० रोज तक सदन की मेज पर रहता है उसके बीच में संशोधनों को दे देना चाहिये। उन पर फिर विचार तो बाद में भी हो सकता है। शायद १४ रोज का समय है संशोधनों के लिये, समय के बाद ही आप के संशोधन आये होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---एक परंपरा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सामान्यतः सदन में यह प्रथा रही है कि जो संशोधन कार्य-सूची में छप जाते हैं उनके लिये आज्ञा प्रदान की हुई समझी जाती है.....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिस प्रकार सरकार भी अपने संशोधन लाती है और अगर वह छप जाते हैं तो उसकी सूचना हो गयी ऐसा समझा जाता है।

श्री अध्यक्ष--एतराज करने का अधिकार तो रहेगा। अगर कोई एतराज करता है तो मैं नियम के हिसाब से ही निर्णय दूंगा। अब इसमें उन्हें एतराज है। मैं आज्ञा दे चुका हूं पहले ही। दीपनारायण जी के संशोधन १० रोज के अन्दर आ चुके थे, उन्हीं पर विचार होगा। मैं अभी सचिव से पूछ ही रहा था कि अन्य दूसरे संशोधन कब आ गये। अगर उस वक्त आ गये होते तो बात दूसरी थी। और मैं समझता हूं कि अगर आदरणीय सदन में कोई मतभेद न हो तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूंगा और वह ले लिये जायंगे। अगर मतभेद होगा तो मैं किसी को नहीं लूंगा जब कि ये बाद में आये हैं। जो नये प्रस्ताव हैं उनको अगर माननीय मंत्री जी स्वीकार करने के लिये तैयार हैं और कोई मतभेद सदन में नहीं है तो मैं उनको ले लूंगा। क्योंकि सर्वसम्मति होने पर, केवल इस कारण से कि कोई संशोधन देर से आया था उस सुधार को स्वीकृत कराना मैं नहीं चाहता। मैं ऐसे संशोधन को नहीं रोकूंगा अगर सर्वसम्मति से एकमत हो जाय। (श्री कमलापति त्रिपाठी से) इसमें आप को एतराज है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको नहीं लूंगा।

श्री उग्रसेन--मुझे विरोध करने का मौका तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष--आप किसका विरोध करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मंत्री जी के कहने का।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो उस पर फैसला दे दिया कि मैं उक्त संशोधन को नहीं लूंगा।

श्री उग्रसेन--जब हम लोगों को नोटिस मिला तब हमने दिया।

श्री अध्यक्ष--नोटिस तो १६ सितम्बर से था।

श्री उग्रसेन--हमारी मजबूरी भी तो देखी जाय। यह बहुत महत्त्व का प्रश्न है। इस पर जल्दी ही फिर अमेंडमेंट आयेगा तो उससे सदन का बहुत सा समय और जनता का पैसा नष्ट होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं सदन का समय इस बहस में खर्च नहीं करूंगा क्योंकि अगर आप ने समय पर अपने संशोधन को नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं उठती।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस सदन में कोई रूलिंग संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ दी जा सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यह व्यवस्था हो चुकी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं संविधान के वह सब कानूनों पर लागू हैं, प्रिविलेजेज पर भी, नियमों पर भी और इसीलिये यहां व्यवस्था कायम करने के लिये जो रूलिंग्स दी जाती हैं उन पर भी वह लागू हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनीशन में कहा गया है कि "इक्वेलिटी बिफोर दि ला"। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जायगा। मुझे ऐसा लगता है---मैं आप की किसी रूलिंग के बारे में नहीं कह रहा हूं---कि अगर कोई रूलिंग ऐसी हो कि जिसके आधार पर एक ही प्रकार के संशोधनों के लिये भिन्न-भिन्न व्यवस्थायें हो सकें तो वह हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो जायंगी। तो एक ही प्रकार के संशोधनों को, चूंकि वह स्वीकृत और अस्वीकृत हो रहे हैं, दो श्रेणी में विभक्त करना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मेरे दो प्रश्न हैं....

श्री अध्यक्ष--देर में संशोधन आने में मुझे सिर्फ नियम से यह अधिकार है कि म कम समय में भी किसी संशोधन को ले लूं। कई संशोधनों के विषय में, जब जब वह विधेयक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

में तत्काल आते हैं, उनके लिये मैं यही फैसला कर चुका हूं कि अगर सर्वसम्मति हो तो उनको ले लिया जाय। सर्वसम्मति होने पर ही मैं इजाजत देता हूं और नहीं तो चाहे सरकार की तरफ से संशोधन आया हो या चाहे विरोधी दलों की तरफ से, मैं कह देता हूं कि यह नया संशोधन है और इसलिये नहीं लिया जा सकता।

नियम में यह है--

"If a notice of a proposed amendment has not been delivered to the Secretary 36 hours before the meeting of the Assembly at which the bill is to be considered....."

"any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved :

Provided that previous notice shall not be necessary in the case of an amendment of purely verbal character....."

इसके अनुसार अगर कोई एतराज कर दे तो वह स्वीकृत होता है जब तक कि अध्यक्ष विशेष अनुमति न दें। मैंने नीति रखी है कि अगर सर्वसम्मति हो जाती है तो नये संशोधन को टाइम में दे देता हूं। फर्ज कीजिये कि सब लोग सर्वसम्मत हैं और संशोधन चूंकि छप गया, तो मैं उसे इस नियम के अनुसार कम समय में भी ले लूंगा। लेकिन अभी तो एतराज हुआ है और सर्वसम्मति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आपकी रूलिंग के लिये आभारी हूं। मैं स्पष्टीकरण दो बातों का चाहता हूं। पहली तो यह है कि क्या इस सदन में कोई रूलिंग संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ दी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। रूलिंग के लिये कोई फंडामेंटल राइट बाधक नहीं होते हैं। वह बिलकुल भिन्न चीज है। सदन की कार्यवाही के लिये कोई फंडामेंटल राइट संविधान के अनुसार बाधक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--दूसरी बात यह है कि यह प्रथा ठीक है कि सर्वसम्मति से हो। लेकिन परसों आपको याद होगा कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में एक संशोधन सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया गया। मैंने उस पर एतराज किया कि सरकार हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं करती है और इसी प्रकार एतराज करती है जैसा कि आज हुआ है। तो आपने व्यवस्था दी थी कि चूंकि सरकार स्वीकार कर रही है इसलिये मैं आपके एतराज का ख्याल नहीं करता हूं। तो आज ऐसे ही मंत्री जी का एतराज हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप हर संशोधन के लिये एक सी व्यवस्था कर दें चाहे वह सरकार को स्वीकार हो या न हो।

श्री उग्रसेन--मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने जो संशोधन दिया वह कार्यसूची में छप गया, श्रीमन् ने हमको बुला लिया और हमने उसे पेश भी कर दिया। तो फिर क्या उनका एतराज सही है ?

श्री अध्यक्ष--एतराज किसी समय भी हो सकता है। अगर मूव करना अवैध है तो मैं बीच में भी रोक सकता हूं।

(कुछ ठहर कर)

यह दूसरा नं० २ पर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके विषय में भी मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष--तीसरे नम्बर पर भी एतराज है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

अध्याय ३

श्री अध्यक्ष---अध्याय ३ में, चौथा जो है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये भी एतराज है ।

श्री अध्यक्ष---तो यह भी नहीं लिया जायगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, ...

श्री उग्रसेन---मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस संशोधन में और हमारे संशोधन में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो आप भाषण दीजिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिये प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं कि अब स्नातकों की संख्या १००० से ऊपर हो चुकी है और अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है ।

श्री उग्रसेन---मैं उनकी वापसी का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने पेश ही नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष---नं० ६ पर गौरीशंकर राय जी के संशोधन के लिये एतराज है क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह तो टाइम से आया है लेकिन मैं उसका विरोध करता हूं ।

(श्री गौरीशंकर राय उपस्थित नहीं थे ।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिनियम (७) के उपनियम (२) के भाग (ग) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (घ) के रूप में रख दिया जाय :---

"(घ) जिन व्यक्तियों, संस्थाओं ने २०,००० से १,००,००० तक नकद या सम्पत्ति दान दिया हो या दे वह एक प्रतिनिधि भेज सकेगा ।"

स्टैट्यूट्स में २० हजार से १ लाख का कोई उपबन्ध नहीं है । मालूम होता है कि कुछ क्लैरीकल गलती हो गई है । इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसे देख लें ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं । परिनियम में नहीं दिया गया है कि यदि कोई २० हजार रुपये से ऊपर २१ हजार रुपये भी दान दे तो उसका कोई प्रतिनिधि होगा या नहीं । यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मासूम संशोधन को मान लें । गोरखपुर क्षेत्र की पिछड़ी यूनिवर्सिटी जो अभी चली है उसके लिये लोगों को इस संशोधन से लाभ होगा । धन देने का आकर्षण होगा । कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अध्याय ३ की धारा २ में दिया हुआ है कि जो आदमी २० हजार या उससे अधिक दे वह कोर्ट का लाइफ मेम्बर हो जाता है । इस प्रस्ताव का यह अर्थ है कि एक लाइफ मेम्बर भी होगा और अपना प्रतिनिधि भी दे सकेगा । ऐसा किसी विश्वविद्यालय की स्टैट्यूट्स में नहीं है । मैं चाहूंगा कि वह इसे वापस ले लें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अध्याय ३ की उपधारा २ की ओर ध्यान दिलाया है । मान लीजिये कि २० हजार से ऊपर किसी व्यक्ति या संस्था ने दान दिया तो क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, हमेशा यही होता है कि संस्था अपना एक प्रतिनिधि भेजती है लेकिन उसकी ओर से कोई शख्स परमानेन्टली हो रहे यह बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--संस्था तो प्रतिनिधि भेजती है, केवल कागज तो नहीं भेजती ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अगर कोई संस्था अपना प्रतिनिधि भेजती है तो यह चीज कवर हो जाती है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यक्ति के मानी संस्था में निहित हैं या नहीं ? अगर कोई संस्था २० हजार एक रुपया दे तो वह लाइफ मेम्बर है या नहीं ? इसके बारे में इसमें कहीं चर्चा है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष--आप इसको वापस लेते हैं या नहीं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मैं संस्था को जोड़ना चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि परिनियम (७) के उपनियम (२) के भाग (ग) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (घ) के रूप में रख दिया जाय :

"(घ) जिन व्यक्तियों, संस्थाओं ने २०,००० रुपये से १,००,००० रुपये (एक लाख) तक नकद या सम्पत्ति दान दिया हो या दे वह एक प्रतिनिधि भेज सकेगा । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

हां--४०,
नहीं--७२ ।)

नोट--विभाजन की घंटी बजने के समय श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी ने अपना संशोधन वापस लेना चाहा लेकिन अध्यक्ष ने उसकी अनुमति नहीं दी ।

अध्याय ७

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि परिनियम १ के उपनियम (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (५) के रूप में रख दिया जाय--

"(५) कृषि (ऐग्रीकल्चर) की फैकल्टी"

अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर अधिनियम १९५६ की धारा ४० के अन्तर्गत यह स्टेट्यूट्स बने हुये हैं और उनमें प्रथम परिनियम राज्य सरकार की ओर से रखा गया है । उसमें लिखा हुआ है --

"The first Statutes shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid before each House of the State Legislature for ten days and they shall be subject to such additions and alterations as may be agreed to by both Houses but without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder."

गोरखपुर यूनिवर्सिटी अधिनियम जो सन् १९५६ में बना था उसकी धारा २४ (१) के अनुसार सरकार फैकल्टीज बनाने का हक देती है और सेक्शन २४ (३) के अनुसार बोर्ड आफ फैकल्टीज क्रिएट करने का हक देती है । फैकल्टीज बनने के बाद उत्तर प्रदेश के ९ जिले जो इस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आते हैं उनके अन्तर्गत जितने डिग्री कालेज थे वे सभी इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आ जाते हैं । पहले ये कालेज आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत थे । देवरिया का साइंस एन्ड एग्रीकल्चर कालेज और तीन और ऐसे डिग्री कालेज जो गाजीपुर और बलिया के अन्दर हैं, वे भी इसमें आ जाते हैं । सन् १९५६ में जब यह ऐक्ट पास हुआ उसके पहले गोरखपुर,

देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़ आदि ९ जिलों के और डिग्री कालेजों के साथ देवरिया का साइंस ऐन्ड एग्रीकल्चर डिग्री कालेज भी आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत ही था। सेक्शन ५ (१) में दिया हुआ है---

"All colleges situate in the districts mentioned in section 4 which at the commencement of this Act are affiliated to the Agra University under the Agra University Act, 1926, shall, from such date as the State Government may by notification in the official *Gazette* appoint in this behalf, be deemed to be affiliated into the University."

इसका मतलब यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जितने डिग्री कालेज उस वक्त थे जिनमें देवरिया का साइंस ऐन्ड एग्रीकल्चर कालेज भी था, जब इस यूनिवर्सिटी के बनने के पहले से जो आलरेडी फैकल्टीज मौजूद हैं उनको छोड़ देना तो सम्भव नहीं है। तो मूल ऐक्ट से क्लैश हो जाने का डर है और यह परिनियम आउट आफ आर्डर हो जायगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो ऐग्रीकल्चरल कालेज पहले से मौजूद हैं तो वे अपने आप इसके अन्दर आ जाते हैं, उनको इसके अन्दर छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। हमारा जो मूल अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है कि जो फैकल्टीज पहले से मौजूद हैं, उनका ट्रांसफर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपने आप हो जायगा। फिर इसको छोड़ने का क्या मतलब होता है ?

मैं समझता हूं कि किसी तरह से यह नियमों में भूल हो गयी है। जो सुविधायें पहले से एक मर्तबा मिली हुई हैं, जो फैकल्टीज मंजूर हैं, वे किस धारा के अन्तर्गत कम की जायंगी यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष---अभी आप अपना भाषण जारी रखियेगा ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---जी हां।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मैं क्रम-संख्या ८ का संशोधन जो है उसी सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४० के अन्तर्गत जो परिनियम बने हैं उसके सम्बन्ध में कृषि फैकल्टीज जो छूट गई है उसकी तरफ आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के सभी लोगों की यह इच्छा है, क्योंकि जब विश्वविद्यालय बनाया गया था तो यह कहा गया था कि कृषि को प्रधानता दी जायगी और रूरल यूनिवर्सिटी की जो भावना थी, जो आज रुद्रपुर में बनने जा रही है, तो वहां के लोगों की यह भावना थी कि इस क्षेत्र में जो कृषि का क्षेत्र है कृषि का अध्यापन, रिसर्च, सोयल सर्वे कराया जाय। इसीलिये उस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है कृषि के रूप में और साथ ही साथ जो उसमें अधिक आबादी और कम भूमि है इन समस्याओं में जो कृषि उत्पादन बढ़ाने की बातें होंगी उसको ध्यान में रखते हुये इस फैकल्टी का रखना आवश्यक था। मूल अधिनियम में श्रीमन्, एक धारा है जिसमें लिखा हुआ है धारा ३ की उपधारा ३, ४ और ५ में सीमा का निर्धारण है और धारा ५ (१) में जो उस वक्त डिग्री कालेजेज इस क्षेत्र में थे वह आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, वे सब अब गोरखपुर विश्वविद्यालय में आ गये। उस वक्त देवरिया में एक कृषि और विज्ञान का डिग्री कालेज था, १९५४ से वह आगरा यूनिवर्सिटी से मान्य है। तो जब वहां एक कृषि फैकल्टी उस जिले में है तो वह जिला अगर इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आ गया तो मैं समझता हूं वह फैकल्टी भी होना उस विश्वविद्यालय में आवश्यक है। साथ ही इस विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम में धारा ५ (३) के अन्तर्गत, जो लिखा है मैं उसको पढ़ दूं।

"It shall not be lawful for the University to grant affiliation to any college for teaching for a post-graduate degree, and affiliation in that behalf

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

possessed by a college which is deemed to be affiliated to the University under sub-section (1) shall cease from a date to be appointed by the State Government by notification in the official *Gazette*."

इस मूल अधियिम की धारा ५ (३) में प्राविधान कर दिया गया है कि उसमें पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग न देंगे। जो कालेज पढ़ाते हैं वह बन्द कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और देवरिया का एक डिग्री कालेज ऐग्रीकल्चर और साइंस में है। तो वहां पोस्ट-ग्रेजुएट की टीचिंग की व्यवस्था न करना मैं समझता हूं वहां के लोगों में असंतोष पैदा करेगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सुविधा पहले से हमें मिली है, उन क्षेत्रों को वह सुविधा मिलनी चाहिये। जो पहले से है वही रहना चाहिये। कृषि की शिक्षा बहुत उपयोगी है और इसी कारण से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

साथ ही साथ अध्याय ९ के परिनियम संख्या २ में लिखा है कि वाइस-चांसलर को अधिकार होगा कि वह जिस तारीख से चाहेंगे किसी विषय की पढ़ाई को जारी करेंगे। अगर इसमें कृषि फैकल्टी ही को देखा जाय तो वाइस-चांसलर को अधिकार होगा कि दो,चार बरस में जब चाहेंगे वह किसी विषय को ले लेंगे, लेकिन अगर इसके लिये बोर्ड बनाया जायगा तो कृषि और विज्ञान के विषयों का ठीक से नियंत्रण हो सकेगा। जो पोस्ट-ग्रेजुएट निकलेंगे उनकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी, आगरा यूनिवर्सिटी में ही आप देखें तो वहां साइन्स और कृषि के एक ही डीन थे और दो फैकल्टी के एमलगमेशन की बात भी है। ३९-I में लिखा है कि उन को फैकल्टी को मिलाने का भी हक है। अगर वह अमलगमेशन की बात न भी करें तब भी वह बिना किसी झंझट के उसको रोक सकते हैं। इसलिये उस तरफ के लोगों की आवश्यकता को देखते हुये चाहे आर्टस या कामर्स के विषयों को कम कर दिया गया होता, लेकिन जो सुविधा पहले से चली आ रही है उसको कम करना मुनासिब नहीं है। नियम ४० में लिखा भी है कि जो सुविधा में हम ने दी हैं उनको छीना नहीं जायगा और उसके अलावा जो कुछ भी देना होगा वह स्टेट गवर्नमेन्ट स्टेचूट्स के जरिये से देगी। अगर ऐसी चीज का पालन नहीं होता है तो वह प्रिजुडिस्ड टु दि एगजिस्टिंग रूल्स होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कृषि की फैकल्टी होना बहुत आवश्यक है, सम्भवतः वह चीज छूट गई है। आशा है माननीय मंत्री जी इस चीज को स्पष्ट कर देंगे और इस को मानने की कृपा करेंगे।

श्री उग्रसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी तरह का एक संशोधन दिया था कि इस तरह की फैकल्टी को और रख दिया जाय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिये अब मैं माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जो इसी आशय का है। श्रीमान, बहुत मुश्किल के बाद और पूर्वी जिलों की खास मांग पर देवरिया में कृषि डिग्री कालेज और शुगरकेन रिसर्च की स्थापना हुई जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री का बड़ा योग रहा, मुझे यह अच्छी तरह मालूम है। कठिनाई हमारे सामने यह पैदा हो रही है कि आगरा विश्वविद्यालय के जितने कालेजेज थे वे सब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चले गये। बुलन्दशहर के लखावटी कालेज, कानपुर कालेज, बलवन्त राजपूत कालेज से जो स्नातक निकले हैं वे सही माने में प्रदेश की कृषि की सामान्य उन्नति करने में और अपने विभाग की सेवा करने में बड़े सहायक रहे हैं।

बनारस यूनिवर्सिटी में एम० एस० सी० (ए० जी०) तक की पढ़ाई होती है। मगर वहां भी ज्यादातर दक्षिण के लोग आते हैं और हम पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े हुये लोग गरीबी के कारण वहां बहुत कम पहुंच पाते हैं। जब देवरिया में यह कृषि कालेज स्थापित हुआ तो हम लोगों को बड़ी आशायें बंधी। जब गोरखपुर के खुलने की बात आयी तो मैं अखबारों में पढ़ा करता था और मुझे याद है स्वर्गीय बाबा राघवदास का वह वक्तव्य पढ़ा था जिसमें उन्होंने प्रदेशीय सरकार से कहा था और मुख्य मंत्री से भी मिले थे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो आभावग्रस्त पूर्वी क्षेत्र में कायम

की जा रही है उसका ढांचा रूरल यूनिवर्सिटी का होगा और राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट जो १९४८-४९ में प्रकाशित हुई थी उसमें भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था। तो इस बात की चर्चा गांव-गांव में फैल गयी थी कि गोरखपुर की यूनिवर्सिटी "रूरल यूनिवर्सिटी" होगी जिसमें कृषि, पशु-पालन और डेयरी सिस्टम आदि की ऊंची से ऊंची शिक्षा दी जायगी। लेकिन वह नहीं हुआ। उस यूनिवर्सिटी में तमाम दूसरी-दूसरी फैकल्टीज खोली गयीं, लेकिन ऐग्रीकल्चर की कोई फैकल्टी नहीं खोली गयी और वही ८० रुपये के ग्रेजुएट्स और १२० रुपये के एम० ए० तैयार करने की नींव डाली गयी। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हिन्दुस्तान जब आजाद होगा तो सही माने में किसान का राज होगा, किसान का बेटा राज्य करेगा। लेकिन आज तक किसान के बेटे के लिये कोई ऐसी बात नहीं की गयी जिससे वह यूनिवर्सिटी में पढ़ कर अपने देश में राज कर सके।

इसी सदन में अभी ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का विधेयक आया था। उस समय कृषि मंत्री ने मांग की थी और कृषि मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि वहां पर वह ऐसा वर्कशाप सिस्टम चलायेंगे जैसे कि जापान में है कि पढ़ते समय लड़के धनोपार्जन भी कर सकें जिससे किसानों के लड़के भी शिक्षा पा सकें। गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में कहा था कि प्रदेश में इस वर्ष १६ फीसदी कृषि का उत्पादन कम हो गया। गोरखपुर के गजेटियर को देखें, और दूसरे जिलों के गजेटियर को देखें तो पता चलेगा कि पिछले ५० वर्षों से यह पूर्वी क्षेत्र अभावग्रस्त होता चला आया है। आज हमारा उत्पादन गिरता जा रहा है और आज से २० साल पहले जो जमीन थी वह भी पर कैपिटा कम होती जा रही है। वहां के कांग्रेस के नेता, सोशलिस्ट पार्टी के नेता, जिनको इस विषय में काफी जानकारी है, हमें इतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने प्रदेश की सरकार के समक्ष यह तमाम बातें रखी थीं लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। यह संशोधन पेश हुआ। बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें हम लोग उस समय जेलों में थे। हमने बहुत से संशोधन दिये लेकिन समय के लिहाज से वह नहीं लिये गये। फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो मणि जी ने रखा है कि एग्रीकल्चरल फैकल्टी और इसमें जोड़ दी जाय तो बहुत भला होगा। खासकर पूर्वी जिलों में जो समस्यायें हैं उनको हल करने में सहायता मिलेगी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंत्री जी एग्रीकल्चरल फैकल्टी रखने में इसलिये घबराते होंगे कि १ करोड़ ८० लाख रुपये से एक कृषि विश्वविद्यालय और खुल रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि इतना रुपया केन्द्रीय सरकार दे रही है और अमेरिकन लैण्ड इंस्टीट्यूट्स के आधार पर बनेगी इसलिये अमेरिका की भी काफी मदद इसके लिये होगी। इसलिये प्रदेशीय सरकार को कुछ खर्च करना नहीं होगा। वहां पर ८ हजार एकड़ का फार्म है तो इसमें विशेष अनुदान की जरूरत नहीं होगी। गोरखपुर में माननीय सदस्यों को जानकारी है और मणि जी भी जानते हैं कि वहां एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसके पास एक फार्म है और गवर्नमेन्ट का फार्म है और मैं आपके द्वारा निवेदन करूं कि वहां पर रिसर्च का कार्य भी होता है। एग्रीकल्चरल फैकल्टी की मांग इसलिये भी है कि पूर्वी क्षेत्र जो ५० प्रतिशत से ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है वह गन्ने की रिसर्च में दिलचस्पी ले सकेगा। यूनिवर्सिटी में वह फार्म लिया जा सकता है। सब से बड़ी उपेक्षा श्रीमन्, सरकार की पशुओं की रही है। श्रीमन्, पशुओं की गणना की गई थी.....

श्री उपाध्यक्ष--एनीमल हस्बेंडरी विभाग पर आप बहस कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, इसमें इस विषय का भी समावेश होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

श्री उग्रसेन--मुझे कोई लम्बे-चौड़े वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। अगर गोरखपुर में यह ऐग्रीकल्चरल फैकल्टी खुल जाती है तो गोरखपुर का ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश का कल्याण होगा और सही माने में कृषि की उन्नति होगी। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरा नहीं तो मणि जी का संशोधन मान लें और इसकी व्यवस्था करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे भाई दीपनारायणमणि जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया तो इससे कोई अर्थ सिद्ध हुआ है या नहीं लेकिन हमारे भाई श्री उग्रसेन जी को सरकार को कोसने का मौका मिल गया और सरकारी नीति को उलाहना देने का अवसर अवश्य मिल गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर। जब कोई माननीय सदस्य भाषण देता है तो सरकार को कोसना कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---"कोसना" शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया तो कोई बात नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अवस्थी जी की समझ में कभी भी यह बातें नहीं आयेंगी। दो वर्ष हो गये लेकिन वह तो ऐसा होता है, वह एक बड़ा पुराना श्लोक है...

श्री उपाध्यक्ष---अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अच्छी बात है। इशारा भी तो एक किसी खास के लिए होता है, मान्यवर। मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें कोई उपेक्षा का सवाल है नहीं। दीपनारायण जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके पीछे जो उनकी भावना है उससे मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं उनको कि इसमें न भूल हुई है और न उपेक्षा का भाव है। हमने इस विषय पर बहुत विचार किया। विधान परिषद् में जब विचार हो रहा था तो वहां भी प्रश्न उठाया गया था। मैंने बहुत विचार विनिमय के बाद वहां के माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि वे इस प्रस्ताव को इस समय न रखें। ऐसा सोचना कि इस ऐक्ट से कोई विरोध है ऐग्रीकल्चर की फैकल्टी को रखने में ऐसी बात है नहीं, क्योंकि ऐक्ट में अफीलिएशन के बारे में धारा २ में साफ दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी अफीलिएट कर सकती है नये कालेजेज को। इस हिसाब से देवरिया, आजमगढ़ और एक कालेज और है उनको अफीलिएट कर लिया जहां ऐग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी। यूनिवर्सिटी में ऐग्रीकल्चर फैकल्टी हो इसके लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं और यूनिवर्सिटी वालों से इस सम्बन्ध में बहुत बातचीत भी की। इस समय प्रश्न हमारे सामने यह है कि यूनिवर्सिटी में ऐसी ही फैकल्टीज कायम की जायं जिन की पढ़ाई तत्काल आरम्भ हो सके। अफीलिएशन में कोई दिक्कत पड़ती नहीं। हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक विशेष प्रकार की है, अफीलिएटिंग भी है और टीचिंग भी है। आगरा यूनिवर्सिटी से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वह अधिकतम अफीलिएटिंग है। आगरा यूनिवर्सिटी के केवल दो इन्स्टीट्यूट हैं। शेष सब अफीलिएटेड कालेज हैं। वह किसी भी विषय में स्वयं कोई पढ़ाई नहीं करती, लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचिंग यूनिवर्सिटी है। किसी जमाने में शुरू शुरू में कुछ कालेज अफीलिएट हो गये थे, लेकिन इसके बाद जहां तक होता है अफीलिएशन न दें ऐसा नियम है। ऐसी चेष्टा करते हैं। यह यूनिटरी, टीचिंग और रेजिडेंशल बनाने की कोशिश करते हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एक विशेष शक्ल है। यह अफीलिएटिंग भी है, टीचिंग भी है। उन्होंने पढ़ाने के लिए कालेज खोल रखे हैं और पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज जरूरी हैं इसलिए कि ऐक्ट के मुताबिक कोई भी अफीलिएटेड कालेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पोस्ट-ग्रेजुएट की क्लास अपने यहां नहीं रख सकता। उसको इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि यह ऐक्ट में निषिद्ध है। अगर कहीं पर है भी तो उसको तोड़ दिया जायगा। इसलिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो अपना टीचिंग कालेज है या क्लासेज हैं उसमें उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज का जुलाई से प्रबन्ध करना लाजमी होगा और अगर वह नहीं हो सकता तो फिर यह अनुचित हो जाता है कि दूसरे कालेज को तो हम एम० ए० खोलने की इजाजत देते नहीं और ये अपने यहां खोलते नहीं तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि अग्रीकल्चर की फैकल्टी वहां कायम कर दें। हमको वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज तुरन्त खोल देनी चाहिए। जैसा कि दीपनारायण मणि जी ने कहा कि वाईस चान्सलर को यह अधिकार है कि ४, ५ वर्ष के बाद वह खोले, अगर ऐसा हुआ तो यह एक उपहास होगा कि ऐग्रीकल्चर फैकल्टी को कायम करें मगर १० वर्ष के बाद क्लास खोलें। मास्टर्स डिग्री की क्लास की पढ़ा

का इन्तजाम न हो तो फिर बड़ा ही अनुचित है, क्योंकि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के कालेज में पोस्ट ग्रुजुएट और रिसर्च का प्रबन्ध नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं हो सकती। इस विषय में फिर हमने देखा तो यह अन्दाजा लगा कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में अग्री-कल्चर की फैकल्टी कायम करें तो उसके जो तमाम अंग हैं, उसकी शाखा है उनको भी इस वक्त लाकर रखें और उनके लिये पोस्ट ग्रेजुएट क्लास की, रिसर्च की व्यवस्था तुरन्त करें। तो हमारे विशेषज्ञों का यह अनुमान था उसके लिये ५० लाख रुपया तुरन्त चाहिये। परन्तु हमारे पास फार्म भी नहीं है।

हमारे भाई उग्रसेन जी ने कहा कि वहां पर हमारा ऐग्रीकल्चर स्कूल है। मैं इस बात की चेष्टा में हूं कि कोई ऐग्रीकल्चर कालेज या स्कूल हमारी इस यूनिवर्सिटी को मिल जाय। एक वहां पर स्कूल आफ टैक्नालाजी है जिसमें ८ या १० दर्जे पास लड़के लिये जाते हैं। ऐग्रीकल्चर में भी १०वीं कक्षा पास लड़के लिये जाते हैं। पोस्ट-ग्रेजुएट की व्यवस्था न हो तो यह छोटी व्यवस्था ही हो जाय। उसके लिये १०० एकड़ का फार्म है। मगर उसकी डिप्लोमा क्लास होगी वह डिग्री क्लास नहीं होगी वह बहुत ही निम्नस्तर की प्रारम्भिक शिक्षा होगी। मैं स्वयं इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि वह १०० एकड़ का फार्म हमारे पास आ जाय। अभी मेरा खयाल है कि जो सप्लीमेंटरी बजट आपने स्वीकार किया है उसमें करीब १,६५,००० रुपया गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये एक फार्म खरीदने के लिये मन्जूर किया है। उस बजट को आपने २ महीने पहले पास किया है। वह यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास वहां पर लगभग १६४ या १७० एकड़ जमीन थी जिसमें लड़ाई के जमाने में हवाई अड्डा था। उस जमीन के लिये हमने उनसे कहा कि हमको दो और बड़े कहने सुनने के बाद कीमत लेकर गवर्नमेंट ने दिया। वह यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर हुआ। १,६४,००० रुपया उनको ग्रान्ट दी उस जमीन को खरीदने के लिये। हमने कहा कि तुम अपना फार्म बनाओ। हम उस प्रबन्ध में लगे हुये हैं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ऐग्रीकल्चर फैकल्टी हो जाय। इसका प्रबन्ध हो रहा है।

आदरणीय सदन को यह बता देना आवश्यक है कि तत्काल आज हम कई वर्ष के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्टेट्यूट बना रहे हैं। २ साल से गोरखपुर यूनिवर्सिटी चल रही है किन्तु अभी तक स्टेट्यूट्स नहीं बना पाये हैं। ऐक्ट हमने बना दिया लेकिन स्टेट्यूट्स नहीं बने। अब इसको बना रहे हैं। अगर आप ऐसी फैकल्टी रख दें जो यूनिवर्सिटी का मुख्य काम है और जिस पोस्ट ग्रेजुएट क्लास को हम खोल नहीं सकते और रिसर्च की व्यवस्था कर नहीं सकते तो फिर आरम्भ में ही जिसका श्रीगणेश हो रहा है उसकी हैसियत कुछ घट जाती है। चेष्टा यह कर रहे हैं कि स्टेट्यूट्स में अब बिलम्ब न किया जाय वह चालू किये जायं। कई वर्ष से यूनिवर्सिटी चल रही है ये बन नहीं पाये तो अब हमको इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि ये पास हों और इस बात की व्यवस्था हो सके और फिर वहां पर फैकल्टी बोर्ड ऐड हो सके। इसके बनने के बाद यूनिवर्सिटी को भी अधिकार हो जायगा कि वह उसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन और संशोधन कर ले। उनसे भी बातचीत हुई और यह हुई कि जैसे ही इसकी व्यवस्था हो जाय, हम ऐग्रीकल्चर फैकल्टी इसमें जरूर लायेंगे। कम से कम ऐग्रीकल्चर के क्लास तो हम खोल सकें इसकी तो व्यवस्था होनी चाहिये। अभी दीपनारायण जी ने कहा कि उन क्लासेज की क्या व्यवस्था होगी। हमने इस पर भी विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जैसा कि उनका सुझाव था हम आर्डिनेन्स से इसको साइन्स की फैकल्टी में ही कर देंगे एक सब्जेक्ट के तौर पर और ऐसा हुआ भी है।

इलाहाबाद में ऐग्रीकल्चर की फैकेल्टी नहीं है, लेकिन एक कालेज है नैनी में। उसके यहां दो सब्जेक्ट्स हैं : एक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एक एग्रीकल्चर प्योर। तो उन्होंने फैकल्टी नहीं कायम की, लेकिन साइन्स के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रख दिया। हमारा इरादा यह है कि आर्डिनेन्स के जरिये यूनिवर्सिटी को यह कह दें कि साइन्स में वह ऐग्रीकल्चर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

को भी रखें और आप देखेंगे कि हमने जो प्रतिनिधित्व दिया है हेड्स का, उसमें एक एग्रीकल्चर का विशेषरूप से आया है, क्योंकि तीन कालेजेज वहां हैं, उनमें से एग्रीकल्चर का प्रतिनिधि आयेगा ही ।

सिद्धान्त और हमारे दृष्टिकोण में कोई मतभेद नहीं है, केवल एक व्यावहारिक कठिनाई है और वह इस दृष्टिकोण से कि आरम्भ में ही अगर यूनिवर्सिटी में एक फैकेल्टी कायम हो जाय और कोई लड़का पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिये आये और हम उसको कहें कि पढ़ाने का प्रबन्ध नहीं है तो जगहंसाई होगी । हम जल्दी से जल्दी उसका प्रबन्ध करके उसको स्टैट्यूट में जोड़ दें और तब तक आर्डिनेन्स के जरिये एग्रीकल्चर को साइंस का एक सब्जेक्ट करदें ताकि एग्रीकल्चरल कालेजेज का उसमें समावेश हो जाय । तो यह मार्ग ऐसा है कि जिसके मुताबिक हम शीघ्रता कर सकेंगे और यूनिवर्सिटी में जो चीज लाना चाहते हैं वह ला सकेंगे । अभी दो लाख रुपया हमने फार्म के लिये दिया । अगर एग्रीकल्चर पढ़ाने का इरादा हमारा न होता तो हम एग्रीकल्चरल कालेजेज का रिप्रेजेन्टेशन ही क्यों रखते । ऐसी स्थिति में यह संदेह नहीं रहना चाहिये कि हम कोई उपेक्षा कर रहे हैं या इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान नहीं है ।

केवल एक बात और निवेदन करना है । उग्रसेन जी ने जिक्र किया रूरल यूनिवर्सिटीज का । गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल जिस समय चल रहा था उस समय यह प्रश्न उठा था और उस पर विस्तार के साथ विचार हुआ था ।

श्री उग्रसेन--मैं नहीं था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--खैर, उस समय जहां तक मुझे स्मरण है मैंने नम्रता के साथ विस्तार से इसका उत्तर भी दिया था और यह कहा था कि कभी कभी शब्द-बद्धता हो जाती है । हम शब्दों से बंध जाते हैं । राधाकृष्णन् कमीशन की बात बार-बार कही जाती है । हमने उनसे पूछा कि रूरल यूनिवर्सिटी का आइडिया क्या है ? उन्होंने कहा कि सोचना पड़ेगा । अभी कोई आइडिया नहीं है । हमने एक, दो बार कमेटी भी बनायी । आखिर में एक आचार्य जुगलकिशोर कमेटी बनी थी । उन्होंने काफी जांच पड़ताल करने के बाद यह कहा कि रूरल यूनिवर्सिटी की शकल की स्पष्ट रूप रेखा सामने नहीं आती । रूरल यूनिवर्सिटी का मतलब यह हो कि वह रूरल एरिया में कायम हो, रूरल यूनिवर्सिटी का मतलब यह हो कि झोंपड़ियों में उसकी पढ़ाई हो या यह कि उसमें सब्जेक्ट्स क्या हों ? यदि उस यूनिवर्सिटी में साइंस के विषय पढ़ाये जायं, आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं वे पढ़ाये जायं, कामर्स की वहां पर पढ़ाई हो, इसके सिवाय ऐग्रीकल्चर की पढ़ाई भी वहां हो, तो विषयों में तो कोई भेद हुआ नहीं चाहे उसका नाम रूरल रख दीजिये या अरबन रख दीजिये । उसका मतलब क्या यह हो कि वहां सस्ती पढ़ाई हो, अध्यापक वगैरह का वह ग्रेड न हो जो यूनिवर्सिटी वगैरह में रहता है, लेकिन यह संभव नहीं है । खाली रूरल एरिया में पढ़ाई करने से और यूनिवर्सिटी कायम करने से वह रूरल यूनिवर्सिटी नहीं हो जायगी, हां, उसका अर्थ शाब्दिक चाहे भले ही हो जाय । उसका जो ठीक अर्थ हो सकता है वह यही हो सकता है कि वहां की जो शिक्षा-पद्धति है वह ऐसी हो जो भारत ऐसे कृषि और ग्राम प्रधान देश के अनुकूल हो और उसके जीवन प्रवाह के अनुकूल हो और उससे एक दम अलहिदा न हो जाय ।

यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने पर उस जीवन से उच्छेद हो जाता है और फिर उसमें जा नहीं सकता । तो हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो जिससे ऊंची से ऊंची शिक्षा पाते हुए भी उस जीवन में गिरावट न आने पाये । हमारा दृष्टिकोण, हमारा पाठ्य-क्रम और हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारी जो मूल धारा है उससे वह हमें विलग न कर पाये और यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकलने पर, जहां हम उत्पन्न हुए हैं, जहां मूल है, उससे विजातीयता की भावना, भिन्नता की भावना का जो दृष्टिकोण आ जाता है वह न आने पाये, क्योंकि हम ग्राम प्रधान और कृषिप्रधान हैं और ऐसे बहुत दिनों तक रहेंगे । इन सारे प्रश्नों पर विस्तृत

दृष्टिकोण से विचार किया गया है। इसलिये यह कहना कि सरकार रूरल यूनिवर्सिटी को ओर उपेक्षा बरत रही है, उचित नहीं है बल्कि वह शीघ्रातिशीघ्र उसकी व्यवस्था करने जा रही है। आज हम जिस व्यवस्था को पास करके भेज देंगे उसी को यूनिवर्सिटी टेकअप कर लेगी। जो भी दिक्कत बतायी गयी है वह इस वक्त आर्डिनेंस के जरिये से दूर कर दी जायगी और दीपनारायणमणि जी के कालेज को कोई नुकसान नहीं होने पायेगा। इन थोड़े से शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा दीपनारायण मणि और उग्रसेन जी से कि वे मेरे इस आश्वासन पर विश्वास करें और इस संशोधन को वापस ले लें क्योंकि सरकार भी वही शीघ्र से शीघ्र करना चाहती है जिसकी तरफ उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय त्रिपाठी जी के भाषण को सुना। भाषा माधुर्य और प्रवाह के अलावा उसमें सार कम दिखाई पड़ा क्योंकि जहां किसी विशेष दिशा की ओर कदम रखने की बात कही जाती है वहां सरकार पैसे की मजबूरी दिखाकर और इस तरह के वादविवाद में उसको रख कर यह चाहती है कि वह काम न हो और जब देश के मस्तिष्क को बदलने की बात हो अथवा कोई क्रान्तिकारी कदम उठाने की बात हो तो उस समय सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि इसमें यह कठिनाई है और पैसे की मजबूरी है। इस चीज ने सचमुच ही हमें मजबूर कर दिया है कि हम सोंचे कि आखिर क्या सरकार केवल शब्दजाल ही तो नहीं बिछा रही है और उसका क्रान्ति की, वर्गविहीन समाज की और सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसायटी की बात कहना केवल नारा मात्र ही तो नहीं है। आजकल सरकार जो इस तरह से नारे लगा रही है तो इस समय यह एक लकब हो गया है, लकब शब्द का मतलब कैच वर्ड से है। उनको सिर्फ कह देने से उनके सम्बन्ध में कोई विशेष गम्भीरता नहीं रहती। तो इसलिये मैं खासतौर पर माननीय त्रिपाठी जी से श्रीमन्, आपके द्वारा इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें कि पूर्वी प्रदेश में जो आज अन्न संकट की समस्या है, खास तौर से इस समस्या के समाधान के लिये अगर उस हिस्से में यूनिवर्सिटी की स्थापना होने पर कृषि की फैकल्टी कायम कर दी जाती है तो उस दिशा में एक कदम होगा और जैसा कि सरकार कहती है उसका भी फर्ज पूरा हो जायगा। अगर कोई ऐसी फैकल्टी उसमें खुल जाती है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जायगा कि शीघ्र से शीघ्र उसमें ऊंचे दर्जे की पढ़ाई हो, रिसर्च हो, एम० एस-सी० ए-जी० वगैरह यूनिवर्सिटी के अन्दर पढ़ाया जाय। और इस तरह से जो विद्यार्थी वहां से निकलेंगे वे एक ऐसी दिशा में जायेंगे जो प्रदेश के उस हिस्से के लिये हितकर होगा क्योंकि जो विद्यार्थी वहां से निकलेंगे वे वहां के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे।

दूसरी बात यह है कि माननीय त्रिपाठी जी ने इलाहाबाद का भी जिक्र किया कि वहां एक ऐग्रीकल्चर कालेज है, लेकिन वहां पर कोई फैकल्टी इस तरह की नहीं है और साइंस के साथ ही वह भी चलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृषि विषय के लिये ही खास-तौर से फैकल्टी खोली जाय और उसका एक बोर्ड बने जो उनके लिये पाठ्यक्रम आदि निर्धारित करे। उसकी क्षमता बढ़ाने के लिये और उसमें उनके समस्त उपादान व साधन जुटाने के लिये प्रयत्न होना चाहिये क्योंकि अगर कोई चीज साइंस विभाग के अन्तर्गत चलायी जाती है तो सब का ध्यान साइंस की तरफ ही होगा क्योंकि उसका जो बोर्ड होगा उसमें साइंस विभाग के ही प्रोफेसर आदि होंगे। इस तरह से कृषि के विषय को पढ़ाने के लिये साइंस विभाग की तरफ से उपेक्षा ही रहेगी। इस दृष्टि से भी माननीय त्रिपाठी जी खास तौर पर इस तरफ ध्यान दें कि कृषि का विस्तार भी हो, उसका विकास भी हो और उसकी अच्छी से अच्छी जानकारी लोगों को हो। इसके लिये जरूरी है कि कृषि की फैकल्टी बनायी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जहां तक इलाहाबाद की बात है वहां कृषि की कोई फैकल्टी नहीं है, सिर्फ ऐग्रीकल्चर कालेज है। मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही स्नातक हूं इसलिये जानता हूं कि वहां का जो ऐग्रीकल्चर कालेज है उसका यूनिवर्सिटी से कोई खास सम्बन्ध नहीं है, वह तो अमेरिकन एड पर चलता है। वह नाम मात्र के लिये ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वैसे उसका काम स्वतंत्ररूप से चलता है। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी उसको अपना कोई योगदान नहीं देती। जो कुछ उसकी तरक्की हुई है वह अमेरिकन एड से हुई है, जो सुख सुविधा उसको मिली हुई है वह अमेरिका की तरफ से ही मिली हुई है। उसकी तरक्की में वहां की यूनिवर्सिटी ने कोई योग नहीं दिया है। अगर उसकी एक फैकल्टी रहती तो मैं समझता हूं कि उसकी तरक्की और भी ज्यादा हुई होती और यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बीचोबीच में पड़ती है, इससे पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के विद्यार्थियों को फायदा हुआ होता। तो इस दृष्टि से पूर्वी अंचल में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है और इसीलिये इसको ग्रामीण विश्वविद्यालय का रूप देने की जरूरत है। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि खासतौर से मस्तिष्क की इतनी सफाई अभी नहीं हो पायी है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय का क्या रूप होगा। मैं उनसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई मस्तिष्क की कैसे हो? तैरना सीखने के लिये जमीन पर खड़े हो कर नहीं तैरा जा सकता है, उसके लिये पानी में पैठना होगा। इसीलिये मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आश्वासन तो वे देते हैं लेकिन सिर्फ शाब्दिक आश्वासन से क्या हो सकता है जब तक कि कृषि की फैकल्टी न खोली जाय। फिर भी मैं समझता हूं कि वे चेष्टा कर रहे हैं और करेंगे लेकिन यह एक बड़ा कदम है कि कृषि की एक फैकल्टी वहां खोल दी जाय।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है। जो पढ़ाई और कालेजों में होती है अगर वही पढ़ाई यहां भी हुई तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। वहां पर एम० एस-सी०, ए-जी० की पढ़ाई भी होनी चाहिये। अगर यह सुख सुविधा उनको प्राप्त नहीं होगी तो केवल एफिलिएट कर देने से क्या सुविधा होगी?

श्री उपाध्यक्ष--अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो आगे बोलेंगे, अब दूसरे विषय पर वाद विवाद होगा।

सादाबाद, जिला मथुरा की हजारों एकड़ भूमि पानी में डूबी रहने के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष--अब प्रदेश में मुख्यतः सादाबाद, जिला मथुरा में अधिक वर्षा होने के कारण इस समय तक पानी में डूबी हुई हजारों एकड़ भूमि जिसमें किसी प्रकार की फसल नहीं है न तो गत खरीफ की फसल ही उसमें हुई और न आगे रबी की फसल बोयी गयी है उससे उत्पन्न परिस्थिति पर श्री त्रिलोकी सिंह की सूचना पर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १७२ के अधीन विवाद होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। जिस विषय पर विवाद होने जा रहा है वह बहुत महत्व का है। बहुत से लोग उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो महोदय इस पर विवाद शुरु करें उनको १२ मिनट, बाकी सदस्यों को ७ मिनट और मंत्री जी को २५ मिनट दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--२५ मिनट माननीय माल मंत्री जी के लिये रखे जा रहे हैं।

राजस्व मन्त्री (श्री चरण सिंह)--बहुत काफी हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मैं यह जानना चाहता हूं कि कल पहले कोर्ट फीस विधयक लिया जायगा या कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक?

श्री उपाध्यक्ष—पहले कोर्ट फीस लिया जायगा, फिर रूरल यूनीवर्सिटी लिया जायगा।

*श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विवाद को शुरू करने के लिये कहा। यह एक ऐसा सवाल है जिससे हमारे प्रदेश की बहुत ज्यादा ग्रामीण जनता का वास्ता है। आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश में हर साल पानी जमा होता है और यह एक पर्मानेन्ट फीचर हो गया है। तो फिर हमको गौर से सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके कारण क्या हैं और इसके लिये हमारी सरकार करती क्या है। जिससे वहां के रहने वालों को, जिनकी जमीन पर पानी भर जाता है, सहूलियतें पहुंचती हैं, किस तरह की सहूलियतें पहुंचती हैं और क्या क्या सहूलियतें यह सरकार पहुंचाने की कोशिश करती है।

दो कारण हैं वाटर लागिंग के। एक तो दैवी आपदायें हैं। पानी अधिक बरसा जिससे पानी भर जाता है और सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं है। हमें भी इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि दैवी आपदाओं की बात ठीक है।

दूसरा कारण हमारी सरकार का डिफेक्टिव प्लानिंग है। मंत्री जी ने खुद एक बयान में कहा था कि गलत गूल, गलत नहर व गलत पुल बनाने से भी वाटर लागिंग हो जाता है और हो गया है। जहां तक डिफेक्टिव प्लानिंग की बात है मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि इसके लिये मंत्री जी या यह सरकार जिम्मेदार है और अगर वह डिफेक्टिव प्लानिंग करते चले जायेंगे तो वाटर लागिंग होगी और उसके लिये अगर वे जिम्मेदारी टालने की कोशिश करें तो वह बात मेरी समझ में आती नहीं है।

एक बदकिस्मती श्रीमन्, और है जिसे मैं आपके द्वारा मंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज वाटर लागिंग का सवाल कुछ ऐसे जिलों में है जैसे बुलन्दशहर, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, एटा, वगैरह वगैरह, जिन जिलों के लिये कितना ही वाटर लागिंग हो जाय, कितना ही नुकसान हो जाय, कितनी ही परेशानी हमारे ऊपर आ जाय हमारी सरकार के पास पैसा नहीं होता इन जिलों पर खर्च करने के लिये, मंत्री जी का ध्यान कभी नहीं जाता इन जिलों की तरफ। मालूम नहीं क्यों नहीं जाता, यह मैं नहीं जानता। यह जरूर है, यह हो सकता है कि हमारी आवाज उन तक न पहुंचती हो। लेकिन साथ-साथ दुख मुझे यह है, क्योंकि मंत्री जी भी उधर से ही आते हैं और फिर भी मंत्री जी का ध्यान उधर नहीं जाता है, इससे मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि वह स्वयं परेशानियां देखते हैं। तो श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कम से कम बहुत ही ठंडे दिमाग से कि मंत्री जी यह ध्यान करें कि अगर ये जिले कितनी ही अच्छी पैदा करते हों, इन जिलों में कितनी ही अच्छी काश्त होती हो, कितने ही अच्छे तरीके से हम वहां अपना काम करते हों, लेकिन यह परेशानियां अगर हर साल आती रहेंगी तो आखिर एक वह दिन जरूर आयेगा कि वहां भी स्टारवेशन कंडीशन्स होंगी, देहात में रहने वाले बरबाद होंगे जिसके कारण एक बहुत बड़ी परेशानी सरकार के सामने आ सकती है।

श्रीमन्, जहां तक कि डिफेक्टिव प्लानिंग की बात है उसमें एक मिसाल दे देना जरूरी समझता हूं। गोरखपुर जिले में बड़ी गंडक पर १०,००० एकड़ जमीन पर इसलिये वाटर लौगिंग हुई कि उसमें से एक नहर निकाली गई थी। उससे पहले कभी वाटर लागिंग नहीं होती थी। तो इस डिफेक्टिव प्लानिंग के लिये जिससे वाटर लागिंग हुई हो सरकार की जिम्मेदारी है। जिला बुलन्दशहर में बिलसूरी के पास मैं देखता हूं ग्रान्ड ट्रंक रोड कटी हुई है। मांग की गई कि वहां पर जो पुल है उसको केवल चौड़ा कर दिया जाय। कलेक्टर साहब ने कहा कि इसके कागजात चल रहे हैं, काफी अरसे से चल रहे हैं और मालूम नहीं साल, डेढ़ साल से कागजात चल रहे हैं, अभी तक वह पुल चौड़ा नहीं किया गया। मैं नहीं समझता कि यह आखिर रेड टेपिज्म की वजह है या सरकार की लापरवाही की बात है। इस साल, आपको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगवीर सिंह]

यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रान्ड ट्रंक रोड पर १ महीने तक ट्रैफिक बन्द रहा। जब वहां पर इतने दिनों तक ट्रैफिक बन्द रह सकता है और सरकार का ध्यान न जाय तो मैं नहीं समझता कि आखिर कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिएं जो बहुत जल्दी सरकार का ध्यान अपनी तरफ ले लिया करें।

श्रीमन्, मैंने बहुत कोशिश की यह जानने की कि सरकार ने कितना पैसा किस जिले पर खर्च किया, लेकिन मुझे फीगर्स न मालूम हो सकीं बावजूद बहुत कोशिश के। एक पत्र भी कल लिखा मंत्री जी को, लेकिन शायद वह फीगर्स इसलिये न दी हों कि उनको भी जवाब देना है और उसमें उनका जिक्र करना पड़े। लेकिन एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि जहां तक रुपये खर्च करने की बात है उसमें भी कई कमियां रह जाती हैं। आज हमको नहीं मालूम कि कितना पानी अलहदा किया गया, कितनी जमीन इस काबिल बनायी गई कि वह जोती बोयी जा सके, कितना पैसा सरकार ने खर्च किया और कितना हर असर होने वाले आदमी के हिस्से में वहां गया, कितने मकान गिर गये।

श्रीमन्, जहां तक मथुरा जिले की बात है मैं स्वयं तो नहीं गया लेकिन अलीगढ़ तो मैं गया था। मैं कह सकता हूं कि आज भी हजारों एकड़ भूमि मथुरा और अलीगढ़ में पानी में दबी पड़ी है। शायद मंत्री जी को मालूम हो या न हो, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है। आज जिला मेरठ की गाजियाबाद तहसील में पानी अब तक मौजूद है जिसके कारण जमीन बोयी नहीं गयी और आज भी कोई प्रयत्न सरकार की तरफ से नहीं किया गया कि वहां से वाटर लागिंग को रिमूव किया जाय। शायद इसलिये न किया गया हो कि गाजियाबाद तहसील अच्छी समझी जाती हो और यह समझा जाता हो कि अगर वहां जमीन नहीं बोयी जायगी तो किसान भूखों मरने वाला नहीं है। शायद ऐसा खयाल मंत्री जी को हो, तो मैं नहीं जानता। सरकार कहेगी कि हम तो जितना पैसा दे सकते थे उतना दिया, जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी की। लेकिन मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या मंत्री जी ने जब एक आपत्ति आयी किसानों के ऊपर कुछ जिलों में, वहां वाटर लागिंग हुआ, तो कभी केन्द्रीय सरकार को ज्यादा फंड्स के लिये लिखा? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर होगा तो मंत्री जी बतायेंगे।

श्रीमन्, अब बदकिस्मती यह है कि कोई ऐसी स्कीम सरकार के पास नहीं है जिसकी वजह से सरकार यह कह सकती हो कि आइन्दा हम वाटर लगिंग को कम होने देंगे। तो आज मैं चाहूंगा कि सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाये और वह इस प्रकार की हो कि जिसमें जनता को अपने सहयोग में ले, लैजिस्लेटर्स को सहयोग में ले, विधान सभा के सदस्यों का सहयोग ले और जिला अधिकारियों का सहयोग ले, वह तो आज भी सरकार का काम करते हैं लेकिन जनता का सहयोग लेना बहुत ही जरूरी है। आज कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हमारे पास खबर आयी हमने पैसा दिया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी स्कीम थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने पैसा बांटा। चाहे पैसा आपने बांटा हो या किसी ने बांटा हो लेकिन जितना नुकसान हुआ है उसके क्या कोई फैक्ट्स एन्ड फिगर्स मंत्री जी के पास थे?

अब मैं सुझाव दूंगा मंत्री जी को कि वह एक हाई पावर कमीशन या टेक्निकल कमेटी कायम करें जो उनके विभाग के अन्डर हो। वह उन जिलों का एक पूरा प्लान बनाये और रिपोर्ट तैयार करें कि जिन जिलों में जहां पर वाटर लौगिंग होता है और उसके साथ ही अगर जिलों के लेविल पर भी कुछ कमेटियां हों तो बहुत लाभ हो सकता है। हमारे जिले में जब इस साल वाटर लागिंग हुआ और हमने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारे यहां कुछ ऐसे इलाके हैं उनको आप देख लें कि जहां वाटर लागिंग होता है तो कलेक्टर साहब ने उपाध्यक्ष महोदय से कहा कि हम तो नहीं समझते कि इस इलाके में भी वाटर लागिंग होता होगा, कुछ पाकेट्स हैं जहां वह होता है, उनके पास जाकर देखने का समय ही नहीं था कि वह उस इलाके की हालत देखते।

अगर यहां से कोई मदद जाती भी है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वह ठीक तरह से नहीं पहुंचती है। मैं अधिकारियों के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि जिला स्तर पर एक कमेटी और हाई पावर टेक्निकल कमेटी कायम होने से ही काफी सुधार हो सकता है।

दूसरा सुझाव मैं यह भी दूंगा कि इस काम के लिये कुछ मोबाइल पम्पिंग सेट्स का होना भी आवश्यक है क्योंकि वाटर लागिंग एक परमानेन्ट फीचर हो गया है और इनके जरिये से फौरन मौके पर जाकर पानी की निकासी की जा सकती है। काफी जमीन को बोने और जोतने के काबिल वक्त से बनाया जा सकता है।

इसके अलावा हर जिले में एक सर्वे इस बात का कराया जाय कि कहां पर वाटर-लौगिंग होता है और पानी की निकासी ठीक से कहां पर नहीं होती। इसके लिये यह भी देखा गया है कि जहां से पानी का निकास होता था ऐसे बहुत से स्थानों को किसानों ने अपने खेतों में शामिल कर लिया है, उन जमीनों को उनके कब्जे से निकाल कर पानी की निकासी का ठीक से प्रबन्ध करा दिया जाय। इससे वाटरलागिंग घट जायगा।

अन्त में मैं ज्यादा न कहकर एक बात और चाहूंगा कि जहां पर की जमीन नहीं बोई जा सकी है और जिस जमीन से किसान ने एक पैसे का भी लाभ नहीं उठाया है वहां लगान की इस वर्ष माफी की जाय। यह कहना गलत होगा कि वह गेहूं या गन्ने से दे सकता है। उसकी वह हालत अब नहीं रह गई है। मंत्री जी इस बात को समझ लें और सदन के माननीय सदस्य भी समझ लें कि जब किसान की फसल बर्बाद हो जाय या बोई ही न जाय तो वह कहां तक अपने गन्ने के लाभ से या किसी लाभ से लगान दे सकता है। अन्त में, मैं फ्लड कमेटी की रिपोर्ट से केवल ४ लाइन पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूंगा।

"What is actually needed is long-term planning. We should have well-planned schemes which should be modified as and when circumstances demand, but there should be will and determination to work out and above all what is needed is co-operation of the people. If we succeed there the problem is solved."

श्री उपाध्यक्ष—माननीय टीकाराम पुजारी।

श्री चरणसिंह—मैं एक सुझाव दूंगा आपके जरिये माननीय मित्र को। अगर वे यह कल (माइक्रोफोन) न इस्तेमाल करें तो काम चल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री टीकाराम पुजारी से) आप कुछ दूर से बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, बहुत काफी दिनों में मौका मिला है। अगली जगह बड़ी मुश्किल में मिलती है।

श्री चरणसिंह—मैं यह कह रहा था कि बिना मशीन के ही काम चल जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं अपने मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि सच्चा सुझाव मान लेना चाहिये। विरोधी दल अगर सच्चा सुझाव दे तो उसे मान लेना चाहिये। यहां सरकार और विरोधी दल में एक उल्टा मामला चल रहा है। वह शनीचर का दिन मैंने कहा था कि उसको खत्म न किया जाय, जनता का पैसा व्यर्थ खर्च होता है। लेकिन वह प्रस्ताव उस दिन पास नहीं हुआ कि शनीचर के दिन भी बैठक होनी चाहिये। हमारी सरकार का तो उल्टा मामला है। अगर सरकार कहे कि यह काम करेंगे और हम भी कहें कि करेंगे तो सरकार फिर कहेगी कि नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरकार का दिमाग ही खत्म हो गया है। यह आक्षेप नहीं है।

गरकी के बारे में मेरा कामरोको प्रस्ताव था। लाखों की तादाद में किसान, खेतिहर मजदूर बेघरबार, बेखाने के, बे कपड़े के, बे चारे के बर्बाद हो गया। कन्जर लोगों के पास सिरकियां होती हैं लेकिन मेरे जिले के किसान और मजदूर बे सिरकियों के कन्जर बन गये

[श्री टीकाराम पुजारी]

और रजबहों की पटरियों पर महीनों पड़े रहे। ऐसी दशा में क्यों दुर्क्षिभ पर एक कामरोको प्रस्ताव नामन्जूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप विषय पर बोलिये।

श्री टीकाराम पुजारी---मुझे पता है, मैं बहुत दिन से जानता हूं। दो बिरादरी मुझे नीचे से ऊपर तक मिलीं। गांवों में जाता हूं तो दो बिरादरी, शहरों मे जाता हूं तो दो बिरादरी और जब मैं सदन में आता हूं तो दो बिरादरी, एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटा छोटे का और बड़ा बड़े का होता है।

श्री उपाध्यक्ष---पानी की रुकावट के बारे में बोलिये नहीं तो समय खत्म हो जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, यह काम तो करना होगा। उन गरीबों को, पीड़ितों को बचाना होगा। सादाबाद को जानते होंगे चौधरी साहब और उस क्षेत्र में गये भी होंगे। सादाबाद क्षेत्र में मेंहरारा से आरती तक ६ मील तक की लम्बाई और आध मील की चौड़ाई में पानी अभी तक भरा हुआ है। २३ नवम्बर को तहसील सादाबाद क्षेत्र का मैंने दौरा किया था। श्रीमन्, राये से लेकर हाथरस तक चार चार फर्लांग तक दोनों ओर सड़क पानी से भरी हुई है। हजारों एकड़ जमीन बिना बोये रह गई है। श्रीमन्, हाथरस से लेकर राये तक और नीमगांव, चौकड़ा, सरदारगढ़, आवरा, वगैरह और भी बहुत से गांव इस तहसील में गर्की में हैं। बरसाना, नन्दगांव, कामा, आदि अनेक गांव जो छाता में हैं वह सब गर्की में हैं। श्रीमन्, गर्की और बाढ़ दो चीज हुआ करती हैं। गर्की में पानी खेतों में रुक जाया करता है और जब पानी नहीं निकलता है तो जमीन चुआ हो जाती है। एक गज खेतों में पानी भरा है अगर उसको निकाला जाता है तो सवेरे फिर उतना ही पानी खेत में भर जाता है क्योंकि नीचे से जमीन चूती है।

श्रीमन्, यही हालत मथुरा तहसील की भी है। श्रीमन्, इस तहसील की हजारों एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। आप जलेसर रोड कभी उतरे होंगे तो एटा से जो मथुरा को सड़क जाती है उसकी हालत बहुत ही खराब है। मानिकपुर में ५-५ फर्लांग तक श्रीमन् २४ तारीख को पानी चल रहा था और वहां गड्ढे तथा दलदल हो रहे थे। मानिकपुर से बाजार जुड़ता है। वहां न आदमी जा सकते हैं और न मवेशी निकल सकते हैं, न लढ़िया गाड़ी निकल सकती है और न आपकी मोटर निकल सकती है और न राहगीर ही निकल सकते हैं। श्रीमन् यहां पर सड़क बिलकुल खत्म हो गई है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मकानों के लिये मुफ्त तकावी दी जाय और गर्की क्षेत्र को इम्दाद दी जाय। हमारे यहां जो बाजरा बोया जाता है वह पिछड़ गया है। इसलिये उसमें चीड़ा रह गया है। उसमें अनाज नहीं पड़ा है। १५-२० दिन के लिये उसमें मवेशी के लिये चारा हो सकता है या १०-१५ दिन के लिये काश्तकार का खाना हो सकता है। इसके बाद उनके पास वहां कोई चारा नहीं है। इसलिये वहां के किसानों का लगान माफ किया जाय और उनके लिये तकावी दी जाय। खेतिहर मजदूरों का और किसानों का चोली दामन का साथ होता है इसलिये उसको भी उतनी मदद मिलनी चाहिए जो किसानों को मिले। वह किसानों के साथ ही जिन्दा रहता है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। अब मेरा समय हो गया है।

*श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पश्चिमी जिलों के बारे में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है और जिस पर वाद-विवाद भी हो चुका है, मैं इसी संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पश्चिमी जिलों की जो समस्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह इस तरह की है कि पहले तो पानी की आवश्यकता थी। सात आठ जिले जो आपस में मिले हुए हैं उनकी यह समस्या हो गयी है कि पानी कैसे निकाला जाय। इसका एक मूल कारण यह है कि नहर विभाग के द्वारा जो नहरें खोदी गयीं, उनके खोदते समय यह विचार नहीं किया गया कि नहरें बनाकर उस स्थान को घेरे देते हैं। पानी निकालने की समस्या सबसे बड़ी नहरी क्षेत्र में है। चारों तरफ से माइनरें बनी हुई हैं। पानी निकलने का कोई साधन नहीं। पानी उस स्थान पर घिर जाता है और जाकर जमीन में बैठ जाता है। मकान गिरने लगते हैं। खेतों में नमी आ जाती है। वह बोने योग्य नहीं रहते। मैंने कई बार इस बारे में नहर विभाग को आगाह भी किया। जो पानी कुओं में ४०,४० हाथ नीचे था वह आज १०,१२ हाथ ऊपर आ गया है। एटा में, मैं आपको प्रत्यक्ष बताना चाहता हूं, मेरे समय का किस्सा है, जलेसर तहसील में दस-बारह गांव ऐसे हैं जहां ४० हाथ नीचे पानी निकलता था लेकिन नहर पहुंचने के २० साल के अन्दर वहां यह स्थिति हो गयी कि पानी दो-दो हाथ ऊपर आ गया है। जिन खेतों में तीन-चार मन नम्बरी पैदावार होती थी उनमें डेढ़-दो मन पैदा होता है। बाहर से नहीं मालूम होता लेकिन भीतर से किसान खोखला हो चला है। पूरे पश्चिमी जिलों में यह समस्या पैदा हो गयी है। किसान के पास जमीन है, लेकिन पैदावार नहीं हो रही है।

सिरसा नदी, जिसको चीफ इंजीनियर कैनाल भी देख कर आये हैं एटा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी और कानपुर होते हुए जाती है। इसकी यह हालत है कि शिकोहाबाद शहर के पास पानी कभी नहीं जाता था। लेकिन उस नदी का पानी आज तमाम सड़कों को काटता चला जा रहा है। मैंने अभी आगरा में इंजीनियर महोदय से पूछा कि आप यह बताये कि इस नदी का पानी इतना आया इसका क्या कारण है। इससे पिछली बार भी सड़क कट गयी और इस बार भी और हजारों बीघा फसल बरबाद हो गयी। तो उन्होंने कहा कि यही हो सकता है कि आज कल प्लानिंग की तरफ से नालियां खोद कर इनमें पानी डाल दिया जाता है। तो मैंने पूछा कि आप यह बताइयें कि यह दो ही दिन के अन्दर पानी कैसे ढह गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नहरों द्वारा पानी डाल दिया गया हो? उस समय उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। श्रीमन्, कुछ ज्यादा समय दे देते तो अच्छा था, क्योंकि उन्हीं जिलों की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तय हो गया है कि हर माननीय सदस्य को सात मिनट मिलेंगे। उसमें पांच मिनट हो गये हैं। दो मिनट और हैं।

श्री मलिखान सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताऊं मैंने उनको उदाहरण देते हुए कहा कि आप यह बताइये कि १९२८ में जितनी बारिश हुई थी उतनी आज तक नहीं हुई उस समय क्या कारण था कि सड़क नहीं कटी थी, और अब कट जाती है। उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इन पांच छः जिलों की समस्या बढ़ती जा रही है। मैनपुरी शहर में कचेहरी बन्द हो जाती है। जिस समय पानी बढ़ जाता है सैकड़ों मकान और गांव बरबाद हो जाते हैं। आज मैं आपको यह बताऊं कि यह इंजीनियरिंग विभाग बिना सर्वे किये हुए ही सड़कें बना देता है और नालियां बना देता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आज यह ग्रान्ट ट्रन्क रोड़ हजारों वर्ष पहले से बनी हुई है। शेरशाह ने इसको बनवाया था। मैंने वहां इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस सड़क को बनाने में ५,५ मील इधर उधर सर्वे किया गया है। यही कारण है कि इस सड़क के ऊपर कहीं पर भी पानी नहीं जाता है। आज यह इंजीनियरिंग विभाग इतना निकम्मा साबित हो रहा है जिसका कोई अनुमान नहीं। आज यह जहां चाहता है वहां सड़क बना देता है, नहरें बना देता है सिर्फ इस बात को दिखाने के लिये कि इतना हमने काम कर दिया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि जितना भी निर्माण का कार्य हो रहा है वह यह देखकर हो रहा है कि हमने कितना कार्य किया है, कितनी सड़कें बढ़ाई हैं, कितनी नहरें बनाई हैं। यह वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता है कि पानी वहां से निकलेगा या नहीं। इस समस्या को सुलझाने

[श्री मलिखान सिंह]

के लिये हमको सोचना चाहिये। मंत्री जी इस विषय में एक निश्चित कमेटी बनायें और अगर कमेटी भी न बनायें तो इंजीनियरों को बुलाकर पी० डब्ल्यू० डी० और इरीगेशन के इंजीनियरों को बुलाकर पी० डब्ल्यू० डी० और इरीगेशन के इंजीनियरों से संबंध स्थापित करें कि वास्तव में क्या समस्या है और यह पानी निकल सकता है या नहीं। जहां पर पुल की आवश्यकता हो वहां पर पुल बनाया जाय और जहां पर नाली के लिये सर्वे करने की जरूरत है वहां पर सर्वे किया जाय। नदी का सर्वे करने की जरूरत हो तो नदी का सर्वे किया जाय। अगर उस जमीन को किसानों ने जोत लिया है तो उस नदी की खुदाई की जाय। जब नदी की गहराई बढ़ जायगी तो फिर इधर उधर पानी नहीं भरेगा और यदि वहां पर पानी भरा होगा तो वह सीधा नदी में निकल जायगा।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में जो वर्षा के कारण मथुरा जिले की हालत खराब हुई है उसमें इस वर्ष विशेष रूप से तबाही आई है। जहां १८ इंच पानी बरसने का औसत था वहां पर इस वर्ष ६० इंच तक पानी वहां बरसा। जहां पर एरिया नीचा था वहां पानी और भरा। वहां के लिये पहले कोई नाली नहीं निकाली गई थी। वर्षा का औसत कम था इस वजह से नाली का प्रबन्ध नहीं था। हम लोग तो पहले चिल्लाते थे कि वहां पर नहर निकाली जानी चाहिये और आगरा कैनाल में पानी ज्यादा होना चाहिये। गत वर्ष जब चीफ इंजीनियर वहां गये तो उन्होंने कहा कि यह वर्षा का औसत तो ६० साल के बाद ही आया है आगे को उसकी संभावना नहीं है। किन्तु उनका दृष्टिकोण गत तीन वर्षों में ठीक नहीं उतरा। गत २ वर्षों में विशेषरूप से काम नहीं किया चूंकि उसकी आगे के लिये आशा नहीं थी और वह रुपया व्यर्थ व्यय वहां पर होता। यह उनकी मनोवृत्ति रही लेकिन ३ साल से जो वहां पर तबाही आ रही है उससे वहां पर भीषणरूप तबाही का हो गया है। अब हमको वहां पर कुछ न कुछ करना है। यह बात सही है कि जितना रुपया मांगा गया वह सरकार की तरफ से दिया गया। करीब ३ लाख रुपया वहां पर भेजा गया और उस समय काफी तादाद में नालियों का काम वहां पर शुरू किया गया लेकिन इस तीन साल के दौरान में जो भीषण तबाही हो रही है उससे वहां हालत खराब हुई है। इस साल खरीफ की फसल बिलकुल खराब हो गई, रबी की फसल के लिये काफी प्रयत्न किया गया लेकिन १,४०,००० रुपया व्यय करके केवल ३६ हजार एकड़ का रकबा हम पानी से फसल बोने के लिये निकाल सके हैं। इससे ऊपर निकालने में असमर्थ रहे हैं। इसी वजह से रबी आन्दोलन के सिलसिले में काफी दिक्कत रही है। जब खरीफ की फसल खराब हो गई तो रबी की फसल के लिये जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन निकाल सकें वह निकालनी चाहिये जिससे शीघ्र काम किया जाय। सितम्बर की पहली तारीख को यह काम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सुपुर्द किया गया और निश्चित हुआ कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाय। दूसरी मीटिंग सितम्बर की १५ तारीख को बुलायी गयी और उसमें वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे। १५ तारीख तक का समय बिना कुछ काम किये केवल इसीलिये गुजर गया कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताया कि उनको इसके लिये चीफ इंजीनियर से कुछ आज्ञा लेनी पड़ती है। चौधरी साहब ने फोन मिला कर कहा कि इस समय काम फौरन होना चाहिये क्योंकि अगर १५ दिन तक यह काम न हुआ तो शायद फिर न हो सके। तब कुछ काम शुरू हुआ और आज वह काम चल रहा है, जिसकी वजह से ३६,००० एकड़ जमीन निकल चुकी है।

और फसलों के साथ ईख की फसल भी गल गयी है लेकिन पेड़ी का सवाल ऐसा है कि जिसके कारण माफी का सवाल तय होना मुश्किल पड़ रहा है। यह किसान के लिये जरूरी है। गुड़गांवा और राजस्थान से बराबर पानी आ रहा है और वह बरसाना आदि को तबाह कर रहा है। जब तक उसका इंतजाम नहीं हो पाता तब तक जिला मथुरा की हालत नहीं सुधर सकती। गुड़गांवां और राजस्थान वालों ने बारिश में ही काम करके नालों को ठीक कर लिया। उनके डी० एम० और इंजीनियर फौरन आ गये और लोगों को लगा दिया। सारा स्टाफ मौजूद रहा और बारिश के दौरान में ही नाले निकाल दिये। हमारे यहां कानूनी दिक्कतों के कारण

इतने दिन निकल गये। हमारे यहां एक नाले का इस्टीमेट करीब सवा करोड़ से कुछ ज्यादा का बना। जब इतनी लम्बी स्कीम होगी तो यह सही है कि हमारी सरकार इतना रुपया आसानी से नहीं खर्च कर पायेगी। मेरा सुझाव है कि छोटी स्कीमें बनाकर इस दिक्कत का निवारण किया जाय अन्यथा यह तबाही इसी प्रकार होती रहेगी और हम इससे बरी नहीं हो सकते। अगर अगले साल भी ऐसा रहा तो पता नहीं क्या होगा। इसका इंतजाम हमको हर तरह से जोखिम उठा कर करना चाहिये। नहरें हमारे यहां गरमी में पानी नहीं देतीं। हमारी फसल सूख जाती है। खरीफ में हमारे यहां चावल नहीं होता, लेकिन ऊख, गेहूं जिनमें मार्च, अप्रैल में पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिलता और हम चारा भी नहीं उगा पाते। खरीफ में जो बर्बादी आती है वह बारिश के कारण आती है। हमने पहले भी उसका कोई निराकरण नहीं किया है और इसलिये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह मुश्किलें आगे बढ़ती जायंगी और इसके साथ ही सरकार की दिक्कतें भी बढ़ती जायंगी कि वह कितनी तकावी दे, कितनी रिलीफ दे। हमारी मांग भी उन दिक्कतों के साथ बढ़ती रहेगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि माननीय माल मंत्री महोदय पूरी सच्चाई और परिश्रम के साथ जनता की सेवा करने की कोशिश करते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि अति वर्षा और पानी से डूबे हुए क्षेत्रों की तात्कालिक और स्थायी सहायता के लिये उन्होंने यथामति और यथाशक्ति पूरा प्रयत्न किया है। लेकिन मुझे उनसे शिकायत है कि ज्यों ही इस बात की आलोचना की जाती है कि जो सहायता की गई है वह पर्याप्त नहीं है तो वह माल मंत्री के बजाय मार मंत्री हो जाते हैं और उस आलोचन को सह नहीं सकते। यहां तक कि कोई सुझाव भी दिया जाय तो भी वह उसे अपने ऊपर आलोचना समझते हैं। मैं उनसे एक वैयक्तिक अपील करना चाहूंगा कि वह माल मंत्री ही रहा करें मार मंत्री न बना करें तो उनके लिये, प्रदेश के लिये और सभी के लिये अधिक अच्छा होगा।

जो सहायता का कार्य हो रहा है उसका मोटे तौर पर २ भागों में वर्गीकरण हो सकता है। एक स्थायी सहायता और दूसरी तात्कालिक। स्थायी सहायता में सबसे मुख्य यह है कि पानी में डूबी हुई जगहों के लिये पानी की निकासी का कोई न कोई प्रबन्ध किया जाय, कारण उसका जो भी हो, नहर या पुल का बनना या जो कुछ भी हो। तात्कालिक सहायता में सबसे बड़ी बात जिसे बेसिक सहायता कहा जा सकता है वह है रोटी और रोजी की समस्या हल करना। रोटी के दृष्टिकोण से आवश्यक है कि जो गांव गर्की में हैं पानी में डूबे हुए हैं, वहां की जनता के लिये सस्ते गल्ले का आवश्यकतानुसार प्रबन्ध किया जाय। मैं जानता हूं कि प्रबन्ध किया गया है लेकिन यह भी जानता हूं कि जिन गांवों की हालत बहुत खराब है उनमें से कुछ में नहीं भी किया गया है। मिसाल के तौर पर मैं खैरागढ़ तहसील में सरैन्डा मौजा के नगला बिशुन का नाम पेश करता हूं। अभी मेरे पास वहां से शिकायत आई है कि वहां सस्ते गल्ले की दूकान का प्रबन्ध नहीं हुआ है और उसकी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि माल मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे चूंकि अब तो सरकार के पास गल्ला भी काफी है। दूसरा काम गर्की के गांवों में खरीफ और रबी की दोनों फसलों के खराब होने के कारण खासतौर से मजदूर और किसान जो बेकार हो गये हैं उनकी रोजी का है। उसके लिये भी कोई प्रबन्ध होना चाहिये। इसके साथ लगान की माफी, विद्यार्थियों की फीस की माफी वगैरह के सवाल भी हैं जो तात्कालिक सहायता में आते हैं और मैं आशा करता हूं कि माल मंत्री महोदय इन पर विचार करने की कृपा करेंगे।

मैं मानता हूं कि माल मंत्री महोदय यह आपत्ति करते हैं और वह एक हद तक उनके दृष्टिकोण से सही भी है कि उनके पास पैसा कम है। जितना भी पैसा है वह योजनाओं से बद्ध है और उनमें से हम इतना पैसा नहीं बचा सकते जिससे हम तात्कालिक सहायता के और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

स्थायी सहायता के काम पूरे तरीके से कर सकें। वह कहते हैं कि नियम बाधक हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि एक समय था जब कि हमारे देश में भी देवियों के सामने नर बलि दी जाती थी उनको प्रसन्न करने के लिये। मेरा सरकार से निवेदन है कि नियमों को और योजनाओं को देवियां मत बनाइये। जैसा कि हिन्दुओं में माना जाता है कि केवल नामरूप की माया है और इस संसार में कुछ सार नहीं है, तो नाम बदल गया और रूप बदल गया, देवियां नहीं रहीं, नियम और योजनायें उनकी जगह आ गईं। उनके नाम पर मानवता के दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता न दें, उसे सर्वोपरि न मानें और नियम और योजनाओं को मानें, तो यह गलत दृष्टिकोण है। इसलिये पीड़ित मानवता की तात्कालिक सहायता करने के लिये एकाध योजनाओं में कमी भी करनी पड़े तो वह करके तात्कालिक सहायता के लिये रुपये का इन्तजाम करना चाहिये और उन्हें पूरी सहायता पहुंचानी चाहिये। उदाहरण के लिये, जहां तक मुझे याद है आज ही, और यदि आज नहीं तो कल, माननीय माल मंत्री ने जवाब दिया था कि एक जगह पर जहां आग लग गई थी वहां २५ आदमियों को १७५ रुपये सहायता के दिये गये। इसके क्या मानी होते हैं। ७ रुपया फी आदमी पड़ता है, या किसी को २ और ५ और किन्हीं को १० और १२ रुपये दिये गये होंगे। यह बिलकुल हास्यास्पद हो जाता है। मैं मानता हूं कि वह यही कहेंगे कि नियमों के कारण करना पड़ता है। जो बात नियम और योजना की है वही बात सिद्धांत की है। उन्होंने सिद्धांत बना लिया है कि किसानों की स्वावलम्बन की भावना को कम न करने के लिये उन्हें अधिक सहायता नहीं दी जा सकती। सब से अधिक महत्व पीड़ित मानवता को देने की आवश्यकता है। नियम, योजनायें और सिद्धांत सब मनुष्यों के लिये हैं, मनुष्य उनके लिये नहीं है। अगर कोई नियम योजना या सिद्धांत पीड़ित मानवता की सहायता करने में बाधक होता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। उस योजना में आग लगा देनी चाहिये और उस सिद्धांत का परित्याग कर देना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि माल मंत्री जी इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे और कम से कम तात्कालिक सहायता के मामले में, जहां लोग भूखों मर रहे हों, प्रकृति के प्रकोपों के कारण बेकार हों, वहां उनकी रोटी और रोजी का इन्तजाम जरूर करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां ३०० गांव हैं और उनमें से १०० ऐसे हैं जो कि प्रतिवर्ष बाढ़ से पीड़ित होते हैं। कुछ गांव तो रामगंगा के किनारे पर हैं जहां पर ऐसे ७० गांव हैं जिनमें एक भी मिट्टी की दीवार देखने को नहीं मिलती है। वहां पर लोग कंजड़ों की तरह छप्परों में रहते हैं। जहां पर रेत का समुद्र बहता है, गरमी के दिनों में जब हवा तेज चलती है वहां पर दोपहर को या शाम को जब तक हवा चलती रहती है लोग रोटी नहीं पका सकते हैं, क्योंकि अगर आग एक झोपड़ी में लगे तो एक ही गांव नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव स्वाहा हो जावेंगे। वहां पर माननीय चरणसिंह जी को मैंने कुछ दिग्दर्शन कराया। एक दो गांव में वे बड़े कष्ट से पहुंच सके और उनको उसके लिये जो कष्ट हुआ, उसके लिये मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन उन जगहों को मुझे दिखाना था। वे अधिक गांवों में तो न पहुंच सके केवल एक दो गांवों को देख पाये। उनको देखकर ही वे काफी द्रवित हुए और उन्होंने वहां के लोगों की काफी सहायता की और जो कुछ भी उन्होंने किया उससे वहां के लोगों को काफी संतोष हुआ। रामगंगा की तराई में जो कांस और झाऊ का जंगल खड़ा हुआ है उसके काटने के लिये २२-२४ हजार रुपया दिया। जब मैं वहां फिर गया तो काफी फसल भी वहां हुई है। लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी लोगों को जो सहायता दी गयी है वह नाकाफी है और बहुत से गांव ऐसे हैं जिनको सहायता की जरूरत है। इस साल जब मैं सैलाब के जमाने में दौरा कर रहा था तो मेरे देखते-देखते ३ गांव ऐसे कट गये, जैसे वह गांव आबाद ही न थे। नेचर की की तो उन लोगों पर कुदृष्टि है ही लेकिन फिर भी हमारी सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों की तकलीफ सदैव के लिये दूर हो जाय। मेरा अपना विश्वास यह है कि जो

तकलीफ के वक्त लोगों की सहायता की जाती है वह नाकाफी रहती है। हमें एक ऐसी हाईलेविल कमेटी एक्सपर्ट्स या इंजीनियर्स की मुर्करर करनी पड़ेगी जो सैलाब के इलाके का दौरा करके खोज करे जिससे लोगों के कष्ट सदैव के लिये दूर हो जायं। जिस आदमी का घर कट गया है या जिसका खेत चला गया है उसको १०-२०-५० रुपया दे देना किसी तरह से भी कंपेन्सेशन या हर्जाना नहीं हो सकता और वह कब तक होगा इसके लिये सरकार को कमेटी की नियुक्ति द्वारा कोई स्थायी हल निकालना होगा और उसके लिये सरकार को या तो एक विभाग खोलना होगा या एक आदमी को इसका पोर्टफोलियों देना होगा। इसके अलावा जब तक किसी की जमीन खेती के योग्य न हो जाय या सारी की सारी फसल नष्ट हो जाय, उसका निर्वाह किस प्रकार से हो, यह भी सोचना होगा। उनके लिये हमें कोई व्यवसाय या उद्यम खोजना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे स्थायी रूप से इस बात का कोई प्रबंध करें। अगर हम कोई स्थायी प्रबंध न कर पाये तो रोजाना ही हमें इन दुखों का सामना करना पड़ेगा और प्रजा के कष्टों का निवारण न हो सकेगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ कहने के लिये समय दिया है। हमारा प्रदेश और देश एक कृषि-प्रधान देश है लेकिन यह अत्यन्त दुख की बात है कि जब से इस देश को आजादी हासिल हुई तब से आज तक किसानों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा जाता रहा है। जो विषय इस सदन में वाटर लागिंग का चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रदेश के कई पश्चिमी जिले लगातार ८-१० वर्षों से बुरी तरह से तबाह हैं लेकिन आज तक कोई ठोस प्रयास न तो पहली पंचवर्षीय योजना में और न इस दूसरी योजना में जो अब चल रही है, इस तरफ कोई तवज्जह की गयी। जबकि हम यह देखते हैं कि हमारी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले खरीफ आन्दोलन चलाया और अब रबी आन्दोलन चल रहा है, ज्यादा अन्न पैदा करने के लिये, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, उसमें भी हमने यह देखा कि किसानों की तरफ नहीं देखा गया है। लाखों एकड़ भूमि इस प्रदेश की अब तक जलमग्न है, किसान बुरी तरह से तबाह है, खाने के लिये उसके पास अन्न नहीं है, पहनने के लिये वस्त्र नहीं है, रहने के लिये घर नहीं है और फिर भी उसकी ओर देखा तक नहीं जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले सन् १९५७ में इस विभाग को मैंने कई चिट्ठी लिखी लेकिन मुझे दुख है कि आज तक उनका कोई पत्र और उत्तर नहीं मिला, सिवा इसके कि माननीय माल मंत्री जी जो यहां तशरीफ रखे हुए हैं उन्होंने मुझसे यह कहा कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिये। मुझे काफी दुख हुआ। और उसके बाद जब माननीय माल मंत्री जी फतेहपुर सिकरी तशरीफ ले गये ७ अक्तूबर को तो हमारे लिये उनके ये शब्द हुए कि आप एम० एल० ए० हैं इसलिये आपको बोलने देता हूं वरना, यानी इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई दूसरा मामूली आदमी होता तो मंत्री महोदय उसे फांसी पर लटकवा देते। माननीय मंत्री जी के ये शब्द भले हो न हों, लेकिन उनका मंशा यही था। माननीय माल मंत्री जी ने खुद उस सभा में कहा था कि किसी को कुछ कहना हो तो वह कहे, लेकिन जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मेरे लिये उनके ये शब्द थे कि आप से तो मैं बराबर लखनऊ में मिलता ही रहता हूं, यह तो मैंने किसानों के लिये कहा है। जब किसानों ने यह कहा कि हम लोगों की तरफ से स्वामी जी ही जो कुछ कहना है कहेंगे तो फिर माननीय माल मंत्री जी ने मुझे रोकना चाहा। हमारी तहसील करावली जिला आगरा के किसान इस गर्की की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हैं, वहां की हालत बहुत ही बुरी है। वहां के ५०-६० गांव इससे तबाह हैं। माननीय माल मंत्री जी को जब फतेहपुर सीकरी से ले जाया जा रहा था तो मैंने जिला अधिकारियों से एतराज किया था कि फतेहपुर सीकरी के महल में माननीय माल मंत्री जी को न ले जाया जाय बल्कि उनको किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर सभा करायी जाय जहां की हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

हो ताकि वे खुद अपनी आंखों से देख सकें कि लोग किस तरह से तबाह हैं। लेकिन आजकल के अधिकारी भी चापलूस हैं जो चापलूसी ही पसन्द करते हैं, वे चापलूसी करके उनको फतेहपुर सीकरी के ऊंचे महल में ही ले गये, ऐसी हालत में वे अपनी आंखों से वहां की हालत को नहीं देख सके। मैं आपको बतलाऊं कि मैंने माननीय माल मंत्री महोदय को ६-८-५७, २८-८-५७, ९-१२-५७, १४-१२-५७, १८-१२-५७, १५-१-५८, २४-८-५८, २३-९-५८ को तथा और भी कई तारीखों में चिट्ठियां लिखीं इस वाटर लागिंग की समस्या के लिये, लेकिन आज तक उन चिट्ठियों का जवाब तक नहीं मिला कि वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से सिंचाई मंत्री महोदय को भी मैंने २८-८-५७, १४-११-५७, १६-१२-५७, २१-१२-५७ को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह कल्याणकारी राज्य इस कृषि-प्रधान देश और प्रदेश की भलाई के लिये कुछ सोच सकता है, जबकि पत्रों का उत्तर तक नहीं मिलता? एक और उदाहरण मैं नहर विभाग का देना चाहता हूं। नहर विभाग के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने एक चिट्ठी लिखी ६-८-५७ को। ६-८-५७ का उत्तर मुझे मिला है ४-१०-५८ को। १४ महीने के बाद मुझ से पूछा जाता है कि वे क्या हैं और कहां हैं? ३-१-५८ को जिलाधीश को मैंने एक पत्र लिखा कि तहसील केरावली में कितना रकबा गरकी से प्रभावित है लेकिन कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। जो उत्तर मिला भी तो वह अखबारों के जरिये से या माल मंत्री तशरीफ ले गये थे उनके जरिये मिला। यह फाइल मेरी तहसील के बारे में है। वाटर लागिंग के सम्बन्ध में सैकड़ों पत्र माल, सिंचाई तथा कृषि विभाग को लिखे, लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिले। पता नहीं किस तरह से यह सरकार इस रबी आन्दोलन को चला रही है। मैंने देखा कि रबी आन्दोलन में ६ सेर फी बीघा बीज, वह भी सड़ा हुआ और कटा हुआ, किसानों को २० रुपये कुछ आने मन के हिसाब से दिया गया जबकि हमारे यहां फी बीघा ३० सेर बीज पड़ता पड़ता है। उस पर भी हालत यह थी कि किसान बोरी लादे सीड स्टोर पर पहुंचता था और ३ दिन तक धरना देने के बाद वापस लौट आता था और बीज नहीं मिल पाता था।

यह सरकार अगर वास्तव में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है तो फिर इसको वातस्व में सबसे पहले किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये। चाहे पूर्वी जिले बाढ़ से तबाह हों या पश्चिमी जिले वाटर लागिंग से तबाह हों इसको किसानों की तरफ बराबर निगाह रखना चाहिये। पश्चिमी जिलों को ढाई करोड़ रुपया वाटर लागिंग की समस्या को सुलझाने के लिये स्वीकृत हुआ है और १ लाख २५ हजार रुपया आगरा को दिया गया है। मैं नहीं कह सकता कि उस रुपये का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की हालत जानता हूं कि वहां २८ छोटे-बड़े नाले बनने चाहिये। २ महीने पहले मैंने इंजीनियर तथा सिंचाई मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखा था लेकिन अभी तक सेशन शुरू होने से पहले वहां पर २-४ छोटे-छोटे नाले बन पाये हैं। दो बड़े नाले हैं जिनके किनारों पर पचासों गांव हैं वे नहीं बन पाये हैं, कई साल से लोग वहां तबाह हो रहे हैं। छाता क्षेत्र के सदस्य महोदय ने बतलाया था कि यह पानी राजस्थान से आ रहा है, वही पानी हमारी तहसील में भी आ रहा है और कोई आशा नहीं की जा सकती है कि हजारों एकड़ जमीन बोयी जा सकेगी। रबी का वक्त तो निकल ही गया और आगे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई लाभ किसानों को पहुंच सकेगा।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---यह पश्चिमी जिलों में वर्षा तथा बाढ़ की समस्या पिछले ५ बरस से बराबर चालू है जैसे कि पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में हम लोग यहां सुना करते थे। यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे माल मंत्री ने उधर ध्यान नहीं दिया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब यह दैवी आपत्ति बहुत जोरों पर थी तो माल मंत्री महोदय ने पश्चिमी जिलों का दौरा किया। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बुलन्दशहर और सहारनपुर आदि जिलों में ठीक उसी समय पर वे गये जब वर्षा से लोग तबाह हो रहे थे। मेरे जिले में उन्होंने दो घंटे का समय दिया और यह लाभ उनके जाने से हुआ कि तमाम सरकारी कर्मचारियों व जिलाधीश को बुला कर यह आदेश दिये मेरे सामने कि जिस फंड में भी कोई पैसा हो वहां से निकाल कर फौरन पानी की निकासी का फौरी इन्तजाम किया जाय और उसका प्रभाव भी मेरे जिले की तहसीलों पर पड़ा। पानी की निकासी में कर्मचारियों ने कुछ तात्कालिक कार्य इस वर्ष किया उसके लिये मैं मंत्री जी को और उनकी उस चेतावनी का जो कर्मचारियों को उन्होंने दी और उसका प्रभाव हुआ मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इसलिये इस समस्या पर और भी कहना चाहता हूं कि मंत्री जी सौभाग्य से आज सिंचाई मंत्री भी हैं। हमारे यहां की यह समस्या बाढ़ और वर्षा की सिंचाई विभाग से बहुत गहरा सम्बन्ध रखती है। पश्चिमी जिलों में जो बाढ़ योजना थी जिनका अच्छी तरह से सर्वे भी किया गया और जनता में आश्वासन भी दिया गया, जैसे हमारे यहां सिकन्दराबाद तहसील में करों और हिंडन नदियों की योजना बनायी गई, लेकिन जो आश्वासन जनता में इन दोनों नदियों की योजना के सम्बन्ध में था वह अब पूरा नहीं हो सका जिससे जनता में थोड़ा अधैर्य है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो बाढ़ योजनायें हमारे जिले के सम्बन्ध में बनीं उसको चाहे वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हो या प्रदेशीय सरकार से, उनको फिर से चालू करायें। अगर उन योजनाओं को पूरा कराया तो मुझे विश्वास है उससे बहुत बड़ा लाभ होगा किसानों का। केन्द्रीय सरकार से कुछ रुपये की कटौती होने पर हमारी तरफ की योजनाओं को रोक देने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ कहने का मौका जरूर है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में कहीं से भी रुपया निकालें, चाहे केन्द्रीय सरकार से मांग करें, लेकिन उनको पूरा करें। मैं इस सम्बन्ध में इतना और कहूंगा कि पंजाब की जो समस्या थी, हमारी नदियों के जो बांध, विशेषकर जमुना का जिसकी वजह से अधिक बाढ़ ही नहीं बल्कि और नदियों का पानी रोका खाकर उनके लेविल को ऊंचा कर दिये हैं उसको यदि सिंचाई मंत्री पंजाब की सरकार से मिल करके हल करें तो अच्छा हो। मैंने अभी भूतपूर्व सिंचाई मंत्री जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गुड़गांव जिले में जो आठ मील लम्बा बांध पंजाब सरकार बना रही है और हमारे यहां भी बनने को था, वह अब नहीं बन रहा है, जिसके कारण हमारी जनता पर बराबर असर हो रहा है और नदियों में पानी रुकने से गांव में तबाही का कारण बना है। तो इसकी तरफ मंत्री जी ध्यान दें। अगर वह ध्यान देंगे तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे यहां के जिलों को होगा।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि किसान जो लगातार पांच वर्षों से तबाही में हैं उस तबाही के बाद जो अन्न की समस्या इस वर्ष रही अपने जीवन में मैंने वैसी कभी नहीं देखी। सरकार की तरफ से अखबारों में भी और इस सदन में भी कई बार बयान दिये गये कि पूर्वी जिलों में चावल की अच्छी फसल है। यहां से कुछ सस्ते गल्ले की दूकानें पश्चिम में भेजी जायंगी।

(इस समय ४ बज कर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मुझे अपने जिले के ही सम्बन्ध में नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों के सम्बन्ध में शिकायत है कि सस्ते गल्ले की दूकाने हमारे यहां बहुत कम रहीं जबकि इतनी तबाही और गल्ले की कमी है। और जो खुली भी तो वे अधिकांश शहरों में खोली गईं। और जो दो, एक दूकानें गांवों में खुली भी हैं उसमें एक अजीब हिदायत थी, जिसके बारे में मैंने सवाल भी किया कि उन दूकानों पर केवल खेतिहर मजदूर ही गल्ला ले सकता है किसान नहीं ले सकता है। जो खेती पेशा नहीं करते हैं उनको मिलेगा। जब तक किसान के घर में गल्ला रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि वह अपने मजदूर को कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। तो किसान जो पैदा करता है वह आज दाने-दाने को परेशान है और सस्ता गल्ला नहीं मिल पाता और शहर में ८, १० कोस आकर महंगा

[श्री रामचन्द्र विकल]

गल्ला खरीदता है जब कि जो पैदा नहीं करता वह सस्ता गल्ला पाये। यह बड़ा भारी पक्षपात का परिणाम रहा है। हमारे बावजूद कई बार कहने के कि दैवी आपदायें हैं वहां दूकानें नहीं खोली गईं। वहां पर अगर सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानें खोली होतीं तो उस किसान को भी गल्ला मिल सकता जो गल्ला पैदा करता है। किसानों के दिमाग में वहां एक असन्तोष है और उसको सरकार दूकानें खोलकर अब भी कम कर सकती है, क्योंकि अभी चैत, बैशाख तक फसल आयेगी और अभी उस आने वाली फसल के बारे में किसान नहीं सोच सकता क्योंकि वह पिछले साल की ही बात जानता है कि आखिर में ओला पड़ा और इसी तरह की कोई भी आपदा आ सकती है; पाला, हवा कुछ भी परेशानी की चीज हो सकती है जिससे फसल को नुकसान हो जाय। इसलिये इस वक्त जब कि किसान के पास चारा नहीं है और जिनके पास खाने को गल्ला नहीं है उनके लिये गांवों में दूकानें खोली जायं और उन दूकानों पर से किसानों को भी गल्ला लेने की इजाजत हो तभी जनता का और किसान का बहुत कुछ हित हो सकता है।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सादाबाद तहसील की हजारों एकड़ जमीन जो आज भी पानी से डूबी है उसके सम्बन्ध में जो वादविवाद यहां हो रहा है उसी पर मैं भी अपने विचार प्रकट करूंगा। सदन के सम्मुख मैं यह कहना चाहता हूं कि सादाबाद से लगी हुई अन्य जिलों की तहसीलों में भी वही हाल है जो सादाबाद का है। मैं आगरा जिले की फिरोजाबाद तहसील का रहने वाला हूं, वहां की भी हजारों एकड़ जमीन आज भी पानी से डूबी है, हमारे यहां के किसान तीन साल से बाढ़ से परेशान हैं, हमने सौ साल के बुजुर्ग से बातचीत की तो वह यह बात कहते हैं कि यह पानी अत्यन्त वर्षा के कारण से नहीं है और न किसी दवी आपत्ति के कारण से है और उन सबकी यही धारणा है कि यह पानी तो मानव के द्वारा ही छोड़ा हुआ है। इस विषय में गत वर्ष भी मैं एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया था और सरसा का पानी इतना स्वच्छ था कि मालूम होता था कि किसी बांध का छूटा हुआ निर्मल पानी है, कोई सुरक्षित पानी है। सरसा की आसपास की जनता ने कभी उसका इतना भयंकर रूप नहीं देखा था और इस वर्ष तो गत वर्ष से भी अधिक वर्षा हुई। सन् १९५६ में तो सितम्बर के मास में जब कि बारिश भी नहीं हो रही थी तो सरसा में यकायक बाढ़ आई और मीलों तक पानी ही पानी हो गया। सन् १९५७ में भी यही हुआ और उतना ही सरसा का विस्तार हुआ और वह नदी जाकर फीरोजाबाद में सेंगन नदी से मिल गई और उस वक्त ६-७ मील के क्षेत्र में पानी ही पानी नजर आता था। वहां की जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिये नावें मंगाई गई, वहां की जनता ने तो कभी नावें देखी भी नहीं थीं। पुराणों में सुना करते थे कि एक हर नाम की नदी का जिक्र है। जब आगरा जिले के एक इंजीनियर ने पता चलाया तो एतमादपुर के कागजात में कहीं एक हरनद का जिक्र था लेकिन हमारे मानचित्रों में २०० साल से उसका निशान नहीं था और इस साल जब बाढ़ आई तो फैले हुये पानी को हरनद नदी के नाम से पुकारा गया। मथुरा जिले की सादाबाद तहसील से एतमादपुर और फिर फीरोजाबाद तहसील में और फीरोजाबाद नगर में उसने प्रवेश किया और इस तरह से उसका सम्बन्ध जमुना से कायम हुआ। अछनेरा में जो पानी आ गया था उसके सम्बन्ध में मैंने सदन के सम्मुख एक काम रोको प्रस्ताव रखा था। उसके सम्बन्ध में विशेष छानबीन करने पर मुझे पता चला कि अछनेरा का पानी जिसे हमारे इंजीनियर्स वेस्टर्न डिप्रेशन के नाम से पुकारते हैं....

श्री अध्यक्ष---मैंने केवल इसलिये विवाद की इजाजत नहीं दी थी कि पानी किस वजह से उक्त स्थानों में जमा हो गया उसका कारण केवल बताया जाय और पानी किस तरह से निकाला जा सकता है उसके बारे में कोई विवाद में सुझाव ही न हो। मैं समझता हूं बहस में यह सुझाव भी आने चाहिये कि पानी कैसे निकाला जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ लहरी---यही कह रहा हूं। तो उस पानी के बारे में हमारे इंजीनियर्स की राय है कि मथुरा तहसील में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो पानी सादाबाद तहसील से बढ़ा वह अछनेरा में आ गया। लेकिन जब मैंने दूसरे लोगों से बातचीत की तो जैसा अभी विकल जी ने माननीय माल मंत्री के दौरे का जिक्र किया वैसे ही ७ अक्तूबर को माल मंत्री जी आगरा भी पधारे थे और मैंने उनसे भी कहा था कि पानी सिर्फ मथुरा जिले का ही नहीं है बल्कि यह राजस्थान से आ रहा है। मथुरा जिले में जो सादाबाद का पानी बढ़ा हुआ है वह अति वर्षा का नहीं बल्कि राजस्थान का छोड़ा हुआ पानी है। मैंने माल मंत्री जी और इंजीनियर्स के सामने यह सुझाव रखा कि राजस्थान सरकार से हम मांग करें कि वह अपने सुरक्षित पानी को हमारे जिलों की तरफ न छोड़े। लेकिन उस समय इंजीनियर्स ने एक अजीब बात बतलाई कि राजस्थान सरकार ने एक अजीब मांग की है कि चूंकि उनके पानी से आगरा और मथुरा जिले की जनता सिंचाई कर लेती है इसलिये सिंचाई का रेट राजस्थान सरकार को दें। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मसल है।

काफी विचार विमर्श करने के बाद पानी निकालने की छोटी-छोटी करीब १९ योजनायें हमारे आगरा जिले के लिये स्वीकृत की गयीं जिनके लिये माल मंत्री जी ने ७ अक्तूबर को अपने दौरे के समय ही दो लाख रुपये की स्वीकृति दे दी थी। इसके लिये मैं अपने यहां की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा था कि आफिशियल स्वीकृति आती रहेगी लेकिन तब तक पानी निकालने का काम किया जाय। इन छोटी-छोटी योजनाओं द्वारा काफी पानी निकाला गया लेकिन सादाबाद और फीरोजाबाद के उत्तर में जिसे वेस्टर्न डिप्रेशन का पानी कहा जाता है वह उन छोटी-छोटी योजनाओं से नहीं निकल सका। उसके लिये दो वर्षों से इस सदन में मांग कर रहे हैं कि इसकी कोई छानबीन की जाय कि इस वेस्टर्न डिप्रेशन में गत दो, तीन वर्षों से यकायक पानी क्यों अधिक आ रहा है। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। हमारे इंजीनियर्स को इसकी जांच करनी चाहिये तभी वहां की जनता को लाभ पहुंच सकता है अन्यथा हम लोग इसी तरह से पीड़ित बने रहेंगे।

श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, हमारा देश और प्रदेश किसानों का मुल्क है और इसका दारोमदार किसानों पर है। किसान अगर तरक्की करता है तो देश तरक्की करता है। हमारे मुल्क के सामने सब से बड़ी समस्या इस वक्त किसानों के सुधार की है। यह जो जगह-जगह सैलाब आ रहे हैं और पानी का जमाव होता है, जिससे फसलें खराब होती हैं और प्रदेश के हर शोबे की जो कार्यवाहियां हैं उन पर असर पड़ता है उसके लिये जरूरी है कि प्रदेश के पास पैसा हो। और पैसा होने की कौन-सी शक्ल है। उसकी शक्ल यह है कि अगर आपका काश्तकार खुशहाल होगा तो आपकी योजनायें भी सफल होती रहेंगी। मंगलौर में सैलाब आया था हमने मंत्री जी से अर्ज किया तो उन्होंने फौरन पया दे दिया। इसके बाद दुबारा फिर ६० हजार रुपया मिल गया इसके लिये हम मंत्री जी के आभारी हैं। लेकिन उस स्कीम को चालू नहीं किया गया और मुझे डर है कि कहीं सर्दी की बरसात के कारण फिर सैलाब न आ जाय। इसका खास कारण यह है कि जो डेवलपमेंट के काम हुये हैं और जो कलवर्ट बनाई गई हैं उनको इतनी चौड़ी रखनी चाहिये कि जिससे पानी आसानी से निकल जाय लेकिन ऐसी कलवर्ट बनी हैं कि बरसात का पानी जमा हो जाता है इसलिये कलवर्ट चौड़ी हो जायं तो वाटर लागिंग का सवाल ही खत्म हो जायगा।

दूसरी अर्ज यह है कि एक इलाका गंगदासपुर का है वहां हर साल सैलाब आता है और बड़ी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिये दरख्वास्त है कि इन काश्तकारों के लिये जितनी सरकार इमदाद दे सकती हो वह दे ताकि यह लोग अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकें और अपने आपको मजबूत बनाकर देश की तरक्की कर सकें।

[श्री सईद अहमद अन्सारी]

जहां तक खाद्य समस्या का सवाल है। हमारे यहां हर साल सैलाब आता रहा है इसलिये हालत बहुत खराब है। मंगलौर के लिये अर्ज करना है कि वहां लगभग १७ हजार की आबादी है और कुल दो दूकानें सस्ते अनाज की खोली गई हैं जिससे एक आदमी का नम्बर लगभग २५–२६ दिन में आता है। इसलिये यहां पर ज्यादा दूकानें खोलने की कृपा करें।

तीसरी अर्ज है कि गंगा, पथरी, बानगंगा और सैलानी वगैरह और बहुत से छोटे-छोटे नाले यहां बहते हैं। एक नदी यहां पथरी है उसके बारे में किसानों ने दरख्वास्त दी थी कि उसमें बांध डाल कर खेती के लिये सिंचाई का इंतजाम किया जाय। लेकिन पता नहीं उसका क्या फैसला हुआ? यह एक पिछड़ा हुआ इलाका है वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। महाराजपुर, गंगादासपुर, लक्सर और जमालपुर में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर सरकार सबाब हासिल करे। जै हिन्द।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के पूर्वी अंचल में जो कष्ट मुतवातिर रहा करता था हमारे दुर्भाग्य से उसका प्रसार पश्चिमी प्रदेश में भी हो गया। गत चार वर्षों से यह कष्ट आ रहा है। हम लोग इससे अवगत हैं। पश्चिम में जो यह कष्ट आ रहा है उसका प्रभाव हमारे प्रदेश की अन्न समस्या पर इसलिये विशेष पड़ेगा क्योंकि वह हमारे प्रदेश का अन्न भंडार है। इसलिये हमें और सरकार को इस समस्या के समाधान के लिये पूरब से अधिक ध्यान देना होगा मेरा अपना विचार है कि वाटर लागिंग से पश्चिम में अधिक नुक्सान हुआ है क्योंकि इंटरडिपार्टमेंटल प्लानिंग की कमी के कारण, आपसी कोआपरेशन न होने के कारण पश्चिम में नहरें या नलकूप की नालियां, सड़कें, रेलवे लाइनों के बीच में बहुत बड़े-बड़े भूखंड पानी के अंदर आ गये और उनके पानी के निकास की कोई व्यवस्था पहले से नहीं थी। चूंकि पश्चिमी जिलों में पानी कम बरसता था इसलिए सरकार और जनता का भी ध्यान उस तरफ नहीं जा सका, जैसा कि पूर्व के लोगों का ध्यान जाता रहा है। पश्चिम में जहां तक मुझे मालूम है इसी कारण कच्चे मकान बनाये जाते हैं जिनमें खपड़ैल भी नहीं होती। खपड़ैल न होने के कारण पूरे-पूरे मकान और गांव ध्वस्त हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस बात का ध्यान देना होगा कि बड़े पैमाने पर ईंटों के भट्ठों की कुछ व्यवस्था की जाय और इतनी सस्ती ईंटें सरकार उपलब्ध कराये, जिसमें वहां के लोग पक्के मकान बना सकें जिनमें खपड़ैल छायी जाय।

पिछले चार वर्षों में ऐसा प्रकोप आने के कारण सम्भव है कि प्रकृति में कुछ ऐसा परिवर्तन हो चुका हो कि पश्चिम की तरफ यह भीषण प्रकोप हर साल या एक दो वर्ष के अन्तर से हर साल आता रहे। इसलिए अब मान कर कि पश्चिम में भी बाढ़ आयेगी, अधिक पानी बरसेगा, वाटर लागिंग होगी और पूर्व की तरह ही इसका सामना करना पड़ेगा, सरकार को उसी प्रकार ध्यान देना होगा कि, हर साल सरकार को और जनता को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर विस्तार में जायं तो आगरा में किरावली, खैरागढ़, फतेहपुर सीकरी के क्षेत्रों में भयानक नुकसान हुआ है, जिसकी पूरी तफसील मेरे पास है, लेकिन उसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। कई माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है और ऐसी रिपोर्टें सरकार को भी मिलती रही हैं। मैं चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उसकी ओर माननीय माल मंत्री विशेष ध्यान दें। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ऐसे आपत्ति काल में जब कि यकायक बहुत बड़े पैमाने पर संकट आता है, जिसके लिए सरकार भी पहले से तैयार नहीं रहती है उस समय भारत सरकार से लिखापढ़ी करके या अन्य प्रकार से हमारी जो फौज हैं उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि दिल्ली में जब बड़े पैमाने पर वाटर लागिंग हुई तो उस समय फौजों का इस्तेमाल किया गया और फौजों के प्रयोग से दिल्ली की जनता को काफी राहत मिली है। मैं चाहूंगा कि ऐसे आपत्ति काल में चाहे पश्चिम हो या पूर्व, फौजों का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक चारा, दवा और वसूलियाबियों को रोकने की बात है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सस्ते गल्ले

के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। पूर्व में जो दूकानें खुली हुई है, इसमें कुछ सन्देह नहीं कि खरीफ की फसल कुछ अच्छी हुई है। पिछले चार-पांच सालों में आमतौर पर तबाही रही, इसलिए अपेक्षाकृत इस साल अच्छी फसल है, लेकिन खरीफ की फसल में चावल और उसमें भी लेट पैडी के आधार पर ही पूर्व की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए वहां से दूकानें हटा कर पश्चिम में खोलने से हमारी समस्या के मूल का समाधान नहीं हो सकता। कहीं की दूकान कहीं भेज कर इससे लाभ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री पश्चिम के उन अभावग्रस्त जिलों में बड़े पैमाने पर उसी प्रकार सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाएं जैसी कि पूर्व के बहुत से जिलों में खुली हुई हैं। इसमें कोई अन्तर नहीं है। जैसा मैंने कहा इसकी ओर विशेष ध्यान देना होगा। इसलिये वहां पर इसको बड़े-पैमाने पर दूकानें खोलनी पड़ेंगी। वहां पर नुकसान बहुत हुआ है। खरीफ की फसल बहुत बुरी तरह से नष्ट हुई है। रबी की बुआई बहुत पीछे पड़ गई है। उससे भी नुकसान की सम्भावना है। रबी की फसल पच्छिम के इलाकों में काफी अच्छी तरह से बड़े पैमाने पर होती है। वाटर लागिंग की वजह से बड़ा क्षेत्र बोया नहीं जा सका है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर बोआई नहीं हो सकी है। मुझे इत्तिला है कि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ इन जिलों में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बोआई नहीं हो सकी है। पानी की निकासी के लिये मैं चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य श्री हरिश्चन्द्र जी ने कहा, एक हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिये। यदि सरकार के पास ऐसी कोई योजना हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है वरना एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो इस वाटर लागिंग की समस्या को देखे। मेरा खयाल यह है कि इस बार वाटर लागिंग पूर्व से ज्यादा पच्छिम में हुई है। उसके लिये कोई उपाय निकाला जाय जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पानी की निकासी के लिये केवल इंजीनियरों की राय से ही काम न लिया जाय। मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं, कई हिस्सों से, कि जनता की राय इसमें बिलकुल नहीं ली जाती है। अगर गांव में जाकर हमारे इंजीनियर या ऊंचे अधिकारी इस बात की पूछताछ जनता से करें कि वे कौन-सा उपाय बताते हैं जिससे पानी निकाला जाय, नुकसान कम से कम हो और जनता के खेतों का कम से कम नुकसान हो तो वे अपने अनुभव से अधिक अच्छा उपाय बता सकते हैं बजाय बहुत से इंजीनियरों के। क्योंकि सभी इंजीनियरों को अनुभव नहीं होता है। वह तो केवल पढ़कर आते हैं और गांवों में जनता से पूछते नहीं, अपनी राय से ही स्कीम बनाते हैं। उसका नतीजा यह होता है वह स्कीम रद्दी होती है और यदि वह सही होती है तो वह अधिक हानि करके सही साबित होती है। पूरा पानी उससे नहीं निकल पाता है। इसलिये इंजीनियर समस्त गांव की जनता की राय से, सहयोग से और सलाह से उस योजना को बनायें जिससे पानी की निकासी हो सके। इस प्रकार से शीघ्र पानी की निकासी की व्यवस्था बनानी होगी।

राजस्व मन्त्री (श्री चरणसिंह)—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्तों का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने आज सदन में इस सिलसिले में अपने विचार प्रकट किये, अगरचे मुझे थोड़ी-सी निराशा भी हुई। मान्यवर, जैसा कि आपने एक मित्र को संकेत किया था कि यह जो नुकसान हुआ है, तकलीफ हुई है इसको बताने के बजाय अगर वह तकलीफ कैसे मिटाई जाय इस सिलसिले में सुझाव देते तो उससे मुझको ज्यादा मदद मिलती। खैर, जो तकलीफ लोगों को है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं और यहां से बैठ कर जो कल्पना की जा सकती थी, मौके पर जाकर देखा तो उससे कहीं ज्यादा लोगों की तकलीफ मैंने पाई। गरीब आदमियों के मकान गिर जाते हैं तो उनके

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

बच्चों के सोने के लिये और रहने के लिये महीनों तक जगह नहीं रहती है। गांव जब चारों तरफ से पानी से घिर जाता है तो गांव से निकलने के लिये जगह विशेषकर स्त्रियों और बच्चों तक के लिये भी, नहीं रहती है। जानवरों के लिये चारा लाना और शौच व फरागत के लिये बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है। जानवरों के खड़े रहने के लिये भी जगह नहीं रहती। इसके अलावा जो उनका सामान, गल्ला और घर की सैकड़ों जरूरी चीजें होती है वह सब बर्बाद हो जाती हैं। तो तकलीफ तो इतनी है कि अगर मैं उसको बयान करूं तो यह २५ मिनट उसमें बीत जायंगे। उससे किसी को इन्कार नहीं कि लोगों को पीड़ा है, वे पीड़ित हैं, लेकिन देखना यह है कि इसका कारण क्या है और उसे दूर करने में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या उसने किया है और जितना कर सकती है और वह नहीं किया है तो उसमें उसकी मजबूरियां क्या हैं। उस सिलसिले में माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रायसाहब झारखंडे राय जी ने कहा, मुझे माफ करेंगे आप, अभी दो एक साहब कह रहे थे कि राय साहब ने यह कहा। मैंने कहा कि यह कौन राय साहब? तो उन्होंने बताया कि झारखंडे राय जी। तो जैसा उन्होंने खुद स्वीकार किया, असल समस्या यह है कि वहां का जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम और आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम है वह कम वर्षा पर आधारित है। मसलन मथुरा में १९, २० इंच वर्षा होती रही है, लेकिन इस वर्ष वहां ६०, ६५ इंच वर्षा हुई। जो कुदरती बहाव नदियों और नालों का है, उनका जो भंडार है वह उस १९, २० इंच वाली वर्षा को दृष्टि में रख कर कुदरत ने बनाया है। इसी तरीके से जो नहरें और रेलवे लाइनें बनीं उसके मुताल्लिक लोगों ने कहा कि फाल्टी प्लानिंग हो गयी है। ऐसा आज लगता है, लेकिन जब वह बनी थीं उस जमाने को देखते हुए वह फाल्टी प्लानिंग नहीं थी। वहां की सारी नहरें और रेलवे लाइनें पुरानी हैं, आज की नहीं। नहरें १८४३ से लेकर १८५४ तक बनायी गयीं और १८३० में उनके बनाने की तजवीज हुई थी और उनका नाम आकलैंड कैनाल रखने का इरादा था। वहां वर्षा कम होती थी इसी वजह से उनकी तजवीज हुई। इतिहास को देखने से यह पता चलेगा कि हमारे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में हमेशा अकाल पड़ा है, मसलन गुजरात, मालवा, पंजाब, बुन्देलखंड और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। क्योंकि जैसा विचार मैंने कई बार यहां प्रकट किया, अकाल कभी अतिवृष्टि से नहीं पड़ता। अकाल अनावृष्टि से पड़ता है। अतिवृष्टि से तकलीफ होती है, लेकिन अकाल नहीं पड़ता और हमारे देश के पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी हिस्से में पानी की कमी रही। इसी वजह से पंजाब में आप नहरें ज्यादा पायेंगे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आप नहरें ज्यादा पायेंगे। पानी की कमी की वजह से जो नहरें बनायी गयीं उनके इंजीनियर कैसे जानते कि १०० वर्ष के बाद बारिश तीन-चार गुनी हो जायगी। इसलिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि वह फाल्टी प्लानिंग नहीं है। अगर यह कहा जाय कि श्रमदान की जो छोटी-मोटी सड़कें बनी हैं उनमें फाल्टी प्लानिंग हो सकता है, तो हो सकता है। एक ट्रैवेल्स की सड़कें हैं। तो वे एक तरह से सड़कें नहीं हैं, वे तो सर्विस रोड्स कहलाती हैं और उनकी सतह खेतों के बराबर होती है।

आगरा कैनाल के दोनों तरफ नाले बने हुए हैं। उस वक्त के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, वे पानी को भली प्रकार से ड्रेन कर सकते थे। अब सफाई करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी लेकिन धीरे-धीरे यह देखा गया बारिश कम होती है, नालों को साफ करने की जरूरत नहीं है और थोड़े दिनों के बाद उसके लिये रुपये का रखा जाना भी बंद हो गया।

इसी तरीके से सड़कों की पुलियां भी पतली बनी हुई हैं, वे कम चौड़ी हैं। उनके लिये यह आर्डर्स गये हैं कि आगे के लिये जो कलवर्ट्स बनाये जायं वे ज्यादा चौड़े बनाये जायं और जहां तंग है उनको चौड़ा कर दिया जाय। इसलिये फाल्टी प्लानिंग का इतना दोष नहीं था क्योंकि उस वक्त बारिश कम होती थी। उस दृष्टि को देखते हुए वे काफी थे। अब उस वर्षा के अधिक होने का कारण कुछ भी हो, चाहे मौसम बदल रहा हो या कुछ और हो, लेकिन यह अभी

कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों की राय यह है कि इस तरह की साइकिल आया ही करती है। अनावृष्टि भी आती है और अतिवृष्टि भी आती है। कुछ का खयाल है, हो सकता है लार्ज पीरियड की साइकिल हो। इसके मुताल्लिक तो सही राय तभी हो सकती है जब कि एक हजार वर्ष का रिकार्ड हो। लेकिन अभी कोई नियम ऐसा नहीं है १००, १२० या १३० वर्ष बाद ऐसी साइकिल आया ही करे। अनुमान ही अनुमान है। हो सकता है साइकिल की बात सही हो। लेकिन मौसम बदलने के खिलाफ जो आर्गूमेन्ट है वह यह है कि मौसम धीरे-धीरे बलदता है। वजह जो भी कुछ हो लेकिन उसको भी दुगना तिगुना नहीं होना चाहिये। मसलन मेरे क्षेत्र में चार साल से और रुहेलखंड में तीन साल से बारिश अक्तूबर में होती है जब कि पहले अक्तूबर में सोइंग सीजन शुरू हो जाता था। इसलिये इन सब बातों का असली कारण बारिश का अधिक होना है।

अब माननीय झारखंडे राय जी का कहना है कि गवर्नमेंट तैयार नहीं रही। गवर्नमेंट क्या तैयार रहे? उन्होंने केवल एक सुझाव दिया कि फौज को लगाना चाहिये। दो बातें सोचने की हैं कि क्या इस डर से? कि बारिश ज्यादा होगी, फौज का पोस्टिंग कर दिया जाया करे कि (श्री झारखंडे राय के मना करने पर) अच्छी बात है। तो जहां जरूरत हो वहां उसको इस्तेमाल किया जाया करे। वह अब भी करते हैं, यह सबको जाहिर है। अब की बार भी उसको इस्तेमाल किया। ठाकुरद्वारे की तहसील में एक झील के लिये बरेली से एक दस्ते को बुलाना पड़ा और उसने ८–१० गांवों को बचाया। रुड़की, मेरठ डिवीजन में भी फौज को बुलाया गया। फौज इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती है। तो उसके लिये अगर कोई और सुझाव माननीय राय साहब दें तो मुझको बड़ी खुशी होगी। वाटर लागिंग का कारण यह है कि बारिश ज्यादा हुई। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसको क्या करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बरसात अधिक होना शुरू हुई है सन् १९५५ से और हमारा सेकेंड फाइव इयर प्लान शुरू हुआ सन् १९५६ से, लेकिन हमारी तरफ से इसके लिये प्रोपोजल जा चुका था १९५३ के आखिर में या १९५४ में और सन् १९५५ में जाकर फाइनल हो सका। तो हमारी जो स्कीम है उसमें १०,००,००,००० पये फ्लड प्रोटेक्शन के लिये था जिसमें से केवल ७०,००,००० पये ड्रेनेज के लिये रखा गया था। बेशक सहारनपुर से लेकर बुलन्दशहर तक के जिलों में चार साल से बहुत वर्षा हुई अक्तूबर में जाकर, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि बरसात हर साल होगी। तो इसलिये केवल ७०,००,००० रुपये सेकेंड फाइव इयर प्लान में रखा गया और तब से बराबर बारिश हो रही है। अब १०,००,०० ००० रुपये का जो हमारा बजट था उसकी सीलिंग ८,००,००,००० रुपये की हो गयी और वह रुपया करीब-करीब सब खर्च हो चुका। तो और जितना रुपया हमारे पास है, वह प्लान में लगा हुआ है, इस काम के लिये, उस काम के लिये; एलाटेड है। तो मुश्किल हमारे सामने यह है कि हम रुपया कहां से लावें। बावजूद इस कठिनाई के जो कि है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन इस बीच में माननीय पालीवाल जी यहां हैं नहीं, उन्होंने सुझाव दिया था कि पीड़ित मानवता की सहायता करने के लिये कुछ प्लान को सेक्रिफाइस कर देना चाहिये और इस प्लान को नरभक्षक देवी न माना जाय जिसके सामने नरों की बलि देनी ही पड़े। वह पुराना रिवाज तो अब छोड़ देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी नहीं हैं लेकिन वे होते तो मैं उनसे पूछता और जो माननीय मित्र हैं उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर वह जो प्लान है वह काहे के लिये है? वह प्लान भी पीड़ित मानवता की पीड़ा को हरण करने के लिये ही है न? वह तो ऐसे ही हुआ कि किसी इमीडिएट गेन के लिये फ्यूचर गुड्स को सेक्रिफाइस कर दें। एक मिसाल यह दी गयी कि आग लगने पर २५ आदमियों को केवल १७५ रुपये ही दिया गया। आग लगने की जहां तक बात है, गवर्नमेंट को उसके लिये तो कोई पैसा देना ही नहीं चाहिये। कहां गये वे गांव के लोग, कहां गये वे पड़ोसी लोग, कहां गये हमारी उन पार्टियों के वे लोग जिनका जाल बिछा हुआ है? पहले इस तरह से आग लगने पर कौन किस गवर्नमेंट के यहां सहायता के लिये जाता था?

[श्री चरणसिंह]

अब तो लोग यह सोचते हैं कि स्वराज्य हो गया है इस लिये हर काम में उनकी गवर्नमेंट मदद करे। कहा यह जाता है कि जो गवर्नमेंट ७ रुपये की आदमी सहायता देती है वह बड़ी जालिम गवर्नमेंट है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर इस तरह से गवर्नमेंट लोगों की मदद करने लगे तो १०० करोड़ का जो हमारा बजट है वह सिर्फ एक जिले के लिये ही काफी होगा। सवाल तो यह है कि हमको प्रायरिटी देनी चाहिये। माननीय उग्रसेन जी अभी पहाड़ के नीचे से नहीं निकले हैं इसलिये उनको मालूम नहीं है कि क्या-क्या हमारे लिमिटेशन हैं। लेकिन हमारे सामने यह प्रश्न है कि जिनके घर बह गये हैं, जिनके गल्ले बर्बाद हो गये हैं, जिनके खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है उनकी किस तरह से मदद की जाय। २,००,००,००० रुपये की कमी तो हमारे प्लान के अन्दर से ही हो गयी। अब जो मास्टर प्लान हम लोगों ने तैयार की हुई है उसके लिये २ १/२ करोड़ रुपये की स्कीम सर्वे की हुई रखी है। माननीय जगवीर सिंह जी ने कहा कि पैसा आंख मींच कर दे दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो रुपया एलोकेट किया जाता है वह बाकायदा स्कीम को सर्वे करके ही रखा जाता है और उसी हिसाब से दिया जाता है। सहारनपुर में ९७ मील ड्रेन बननी चाहिये, मास्टर प्लान के मुताबिक ७,२१,००० रुपया खर्च होना चाहिये, १२,५०१ एकड़ जमीन बचनी चाहिये। बुलन्दशहर में ३०६ मील नाले बनाने की स्कीम है। ३७,६०,५७१ रुपये खर्च होना चाहिये और ३१,००० एकड़ जमीन उससे बचनी चाहिये। मेरठ में ४४९ मील नाले बनने चाहिये, ६७,००,००० रुपया खर्च होना चाहिये। इसी तरह से और जगहों की स्कीम्स हैं। लिहाजा किसी की सिफारिश से रुपया एलोकेट नहीं किया जाता, जैसी जहां की जरूरत होती है उसी हिसाब से पया एलोकेट किया जाता है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्द शहर)—मैंने यह कहा था कि तात्कालिक सहायता के लिये जो पैसा दिया जाता है वह सिफारिश से दिया जाता है।

श्री चरणसिंह—तात्कालिक सहायता के लिये जो रुपया दिया जाता है वह कलेक्टर की सिफारिश पर दिया जाता है। बुलन्दशहर में कलेक्टर के कहने से इतनी अधिक तकावी दे दी गयी कि मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से कहा कि ५,००,००० रुपया दिया है इसमें से १,००,००० रुपया फ्रीज कर लो।

इसके अलावा १,००,००,००० रुपये कैरो व सिरसा नदी की ड्रेनेज को ठीक करने के लिये रखा गया है। १५ जिलों की यह स्कीम है। गुड़गांव में राजस्थान से पानी आता है। मथुरा व भरतपुर में जिस पानी का जिक्र माननीय जगन्नाथ लहरी जी ने किया वह पानी अब भी बह रहा है। मेरे सहयोगी अली जहीर जी बता रहे थे कि गुड़गांव व भरतपुर से पानी आगरा व मथुरा को जा रहा है। पंजाब में जो बरबादी हुई है वह सब को विदित ही है। वहां भी यह हालत है कि गुड़गांव व फिरोजपुर से लोग दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। वह राजस्थान होता जा रहा है। वहां समस्या उल्टी हो गयी है। पंजाब में गुड़गांव सबसे ज्यादा डिवास्टेटेड हो गया, उसके नीचे मथुरा है। गुड़गांव का पानी और मथुरा का ६० इंच पानी, इससे ही आप सोच सकते हैं कि हालत क्या होगी? इसीलिये ४१ मील गुड़गांव में ड्रेन बनाने के लिये १४,७५,००० रुपये की स्कीम थी। अब यह स्कीम भी पुरानी हो गयी है। साढ़े ३ करोड़ की यह सारी स्कीम थी। तीन-चार साल का सर्वे हो गया है। अब की बार मैं जहां गुड़गांव व मथुरा जिले की सीमा मिलती है वहां गया। मेरे साथ लक्ष्मी रमण जी आचार्य व रामहेत सिंह जी थे। तो वहां लोगों से मालूम हुआ ४० इस्क्वायर मील एरिया में, जब कि ८ दिन पहले वर्षा समाप्त हो चुकी थी, पानी ही पानी था। मैंने इंजीनियर से पूछा कि भाई इसका क्या इलाज है? तो उन्होंने कहा कि ७२,००,००० रुपये का नाला बनेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। अब अध्यक्ष महोदय, जो हमारा मास्टर प्लान है उसमें मथुरा के लिये कुल २१,५२,००० रुपये हैं। तो मतलब यह हुआ कि अब जो ४ साल से बराबर वर्षा हो रही है तो ३,५०,००,००० रुपये की

मास्टर प्लान जो एग्जीक्यूट नहीं होने पायी थी वह आउट आफ डेट हो गयी । इसके अलावा १,००,००,००० रुपये से कुछ ज्यादा की स्कीम, हमारे जो और २६ जिले हैं सीतापुर से लेकर हरदोई, नैनीताल, उन्नाव, बस्ती वगैरह-वगैरह, उनमें १,०४,००,००० रुपये की यह स्कीम है। तो इस तरह से ७,००,००,००० रुपये या ८,००,००,००० रुपये की जरूरत है मौजूदा कंडीशन्स को देखते हुए। तो अब सवाल यह है कि रुपया कहां से आये ? टैक्स लगायें? क्या करें ? अध्यक्ष महोदय, तो यह हमारी प्लान है । फिर भी जो १०,००,००,००० रुपया फ्लड प्रोटेक्शन के लिये रखा था, उसी के अन्दर ड्रेनेज का आइटम भी आता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इतना रुपया था, अब वह ८,००,००,००० रुपया रह गया, तो ड्रेनेज के लिये भी ७०,००,००० रुपया रह गया । तो ५५,००,००० रुपया १९५६ में ड्रेनेज के लिये था जिसमें ६३२ मील नाले बनने थे और २,१२,००० एकड़ जमीन की रक्षा होनी थी . . . .

श्री अध्यक्ष---आप समय बढ़ायेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी हां । मैं भी यही कहने वाला था ।

श्री अध्यक्ष---तो कोई प्रस्ताव कर दे ।

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अक्तूबर, १९५६ और जनवरी १९५७ में ५५,००,००० रुपया दिया गया जिसमें ६३२ मील नाला बनना था। उसमें से ४३३ मील नाले बन चुके हैं और २,१२,००० एकड़ जमीन की रक्षा होनी थी जिसमें स १,८६,००० एकड़ जमीन की रक्षा हो चुकी है । रुपया अभी पूरा खर्च नहीं हुआ है । वह स्कीम्स अधूरी हैं, कुछ पूरी हो गईं और कुछ अधूरी हैं । सन् १९५७ में फ्लड फंड्स में तो रुपया था ही नहीं, तो हमने जो बिल्डिंग प्रोग्राम थे दूसरे मुहकमों के उनमें से २६,४३,००० रुपया ड्रेनेज के लिये, नाले बनाने के लिये और चौड़ा करने के लिये दिया । तो ३२,१७० एकड़ जमीन की हिफाजत होनी थी और ४१५ मील लम्बे नाले बनने थे जिसमें से १३,३८१ एकड़ जमीन बची है और १६० मील लम्बे नाले बन चुके हैं और बाकी ड्रेन्स पर काम जारी है ।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष ३,५०,००० रुपया बजट में तो था नहीं, बाद में रखा गया होगा । अब सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स आयेंगी उसके लिये । तो यह मथुरा, आगरा और अलीगढ़ को ७५-७५ हजार रुपया दिया और बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के लिये ३०-३०,३५-३५ हजार रुपया डिवाटरिंग के लिये दिया गया । बड़े ड्रेन्स बनने के लिये नहीं बल्कि रबी की बोआई हो सके तो जहां छोटे-छोटे पैचेज पानी के भरे हुए हैं, या १००,२०० एकड़ जमीन पानी स निकाली जा सके तो वहां छोटे-छोटे नाले बनाने के लिये ३,५०,००० रुपया दिया गया । तो इस तरह से ८४,००,००० रुपये की स्कीम्स हैं जिन पर काम चल रहा है । अब ८४,००,००० रुपये की स्कीम्स हैं उनका पूरा नक्शा मेरे पास मौजूद है, पूरा मैं यहां नहीं बता सकता, जो मित्र देखना चाहें कि किस जिले में कितना काम हुआ है वह मेरे पास आने की कृपा करें मैं उनको दिखा दूंगा । उस ८४,७६,००० में से ४७,३२,००० रुपया व्यय हो चुका है और अभी २७,००,००० रुपया खर्च होना बाकी है ।

श्री अध्यक्ष---पहले आप यह बताना चाहते थे कि अब कितना पानी हर जिले में भरा है ।

श्री चरणसिंह--वह भी मैं बतलाऊंगा, वह नक्शा मेरे पास है। तो यह ८४,००,००० रुपये की स्कीम का काम हो रहा है। अब सितम्बर के आखिर में २८ सितम्बर से ३ अक्तूबर तक जो बारिश इस साल हुई, मैं पिछले साल भी उधर नहीं गया था और सन् १९५६ में भी नहीं गया था, सन् १९५५ में गया था, उसके बाद अब की बार में वहां गया और मैंने मथुरा और अलीगढ़ को देखा और जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि सारे अफसरान और विधान सभा के सदस्य हमने वहां बुलाये। मैंने वहां जाकर देखा तो सोचा यह गया कि मास्टर प्लान को तो छोड़ दिया जाय लेकिन छोटे-छोटे नालों आदि से पानी निकालने पर हजारों एकड़ जमीन रबी के लिये निकाली जा सकती है। तो सिंचाई विभाग को साढ़ ३ लाख रुपया तो मंत्रि-मंडल से दिलवा दिया गया था। हर जिले को रुपये की जरूरत थी, आगरे को ७५,००० रुपया तो दिया जा चुका था और उन्होंने भी एक लम्बी रकम मांगी, इसी तरह से मथुरा से भी सवा २ करोड़ रुपये की मांग आई। जब हमने यहां आ कर देखा तो माल विभाग से मालूम हुआ कि ऐसी कोई मद नहीं है कि जिस से रुपया दिया जा सके। मालूम हुआ कि वित्त विभाग और सिंचाई विभाग से नहीं मिलेगा तो फेमीन या स्केयरसिटी के नाम से कुछ रुपया सदन से मंजूर हो चुका है या कंटिजेंसी फंड से ले सकते हैं और फ्लड रिलीफ आपरेशन्स से काम चल जायगा। गर्ज यह कि साढ़े ८ लाख रुपया माल विभाग की तरफ से नालियों की सफाई के लिये दिया गया। उसके बारे में साथ ही यह हिदायत की गई कि माल विभाग के तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर वगैरह गांव वालों के सहयोग से काम करावें और बहुत जरूरत हो तो मजदूरों के जरिये से काम कराये जांय, श्रमदान से भी करने की बात थी लेकिन श्रमदान से तो हुआ नहीं, हुआ फिर मजदूरी से ही क्योंकि बुआई का वक्त था, इसलिये श्रमदान से तो हुआ नहीं। इसके अलावा एक गांव के आदमी तो अपने गांव का काम श्रमदान से कर लेते हैं लेकिन जब चार-पांच गांवों का काम होता है तो कोई करता नहीं। अब हर सप्ताह हमारे पास रिपोर्ट आती रही कि सिंचाई विभाग और इंजीनियरिंग विभाग के जरिये से कितनी जमीन निकाली गई और उस साढ़ ८ लाख के फिगर भी हमने कलक्टरों से मंगाये, उनको भी हिदायत थी कि जहां तक हो काम गांव वालों की इमदाद से कराया जाय और जहां कोई टेक्निकल मामला हो तो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा नाले बनाये जायं।

मुझे आप इजाजत दें तो मैं मुख्तसरन यह बता दूं कि किस-किस जिले में क्या-क्या काम हुआ और कितनी जमीन की हिफाजत हुई। उस साढ़े ८ लाख में से अभी तक कुल २,३२,००० रुपया खर्च हो पाया है। और ४१ मील की ड्रेन बन पायी और साढ़े ७ मील जिला मुजफ्फरनगर में जेर तामीर है। ७,००० एकड़ जमीन वाटरलाग्ड है इस वक्त १२ जिलों के अन्दर। माननीय त्रिलोकी सिंह जी का जो प्रस्ताव है कि हजारों एकड़ जमीन सादाबाद तहसील में रेवेन्यू मिनिस्टर ने स्वयं तस्लीम किया है कि वाटरलाग्ड है ऐसी बात मैंने नहीं कही थी। सादाबाद की टोपोग्रैफी को मैं जानता हूं, मैं कह ही नहीं सकता। मैंने कहा था कि मथुरा जिले में हजारों एकड़ जमीन वाटर लाग्ड है। वहां सबसे ज्यादा एफेक्टेड छाता, गोवर्धन मथुरा सदर और माट का इलाका है। ७,००० एकड़ जमीन कुल १२ जिलों में पानी के नीचे है और अनुमान यह है कि इन जिलों में ५ फीसदी से ज्यादा एरिया वाटर लागिंग या अधिक वर्षा की वजह से बगैर बोये रहेगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इतना कम रुपया खर्च होने का कारण क्या है?

श्री चरणसिंह--इतना तो मानना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट की नीयत में कोई कमी नहीं थी, हमने तो साढ़े ८ लाख रुपया दे दिया। अब जो सर्कमस्टैन्सेज हैं वे वहां के हैं। बहुत सी जगह तो लेबर ही नहीं मिला होगा क्योंकि उसी वक्त सोइंग सीजन कोइन्साइड कर रहा था। अब वजह भी उनसे पूछ लेंगे। मसलन सहारनपुर की बात है ....

श्री अध्यक्ष---आप जिलेवार बतला रहे थे किसी ने बीच में टोक दिया।

श्री चरण सिंह---मैं सहारनपुर से शुरू कर रहा हूं कि वहां मौजा नरसान और रुड़की के बीच में एक नाला बनने के लिये हमने ६०,००० रुपये दिये। अब उसके प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन्स हो रहे हैं। बरसात अभी खत्म हो चुकी है तो अगली बरसात से पहले वह पूरा हो जायगा। मैं अभी मंगलौर गया था और सईद अहमद साहब के सामने इंजीनियर ने वहीं कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं और यह पूरा हो जायगा। मेरठ में ९६,००० एकड़ जमीन में वाटर लागिंग है और जमीन से पानी धीरे-धीरे कुदरती तरीके से बह गया और ९१,८९४ एकड़ जमीन से पानी सूख चुका है और १,७९५ एकड़ में ड्रेन बन जाने से पानी क्लियर हो गया। इस तरह कुल १,३११ एकड़ जमीन अब मेरठ जिले में वाटरलागड है। कुल २,४७० रुपये वहां खर्च हुए साढ़े ८ लाख रुपये में से। साढ़े ३ लाख रुपये जो हमने एग्जिक्यूटिव इंजीनियर्स को दिये थे वह प्रायः सब समाप्त हो चुके हैं।

मुजफ्फरनगर में ३ मील नाली बन चुकी और साढ़े ७ मील जेर तामीर है और ४०,००० रुपया अभी उनके पास खर्च करना बाकी है। ५,००० रुपया खर्च हुआ और ७०० एकड़ वाटर लागड एरिया रबी सोइंग के लिये निकला है। वहां से रिपोर्ट आयी है कि:

"No area normally sown in Rabi has been left out."

बुलन्दशहर में २०,००० एकड़ जमीन वाटर लागड थी। उसमें से १८,००० एकड़ डिवाटर हो चुकी। २१ नालियां १४ मील लम्बी पूरी हो चुकीं और २,००० एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें से पानी नहीं निकाला जा सकेगा और रबी की फसल नहीं बोई जा सकेगी। अलीगढ़ की बाबत यह है कि छोटी-छोटी ४९ स्कीमों पर काम हुआ है जिनमें से २१ पूरी हो चुकी हैं और ९२५ एकड़ जमीन निकली और १२ मील लम्बे नाले बनाये गये। १,००० से २,००० एकड़ जमीन खैर, इगलास तहसील में वाटर लागड है और १,५०० एकड़ जमीन ऐसी हो सकती है जिसमें रबी न बोई जा सके। मथुरा जिले के लिये यह है कि ३६,८२५ एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ था जिसमें से २९,९५० एकड़ जमीन क्लीयर की गई और बाकी ७,००० एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है। आगरे के बारे में यह है कि १५ छोटी-छोटी स्कीमों पर काम होना था। १० में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से हो रहा है और ५ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो रहा है। पौने १९ मील लम्बे नाले बन चुके हैं और ५,५५० एकड़ जमीन निकल आई है और ७ मील लम्बे नालों पर काम हुआ है और उसमें से १,१७५ एकड़ जमीन निकली है और ३१,००० रुपया खर्च हुआ है। बाकी २५० एकड़ जमीन किरावली तहसील में निकली है और मेरे पास इत्तिला नहीं है कि कितनी जमीन ऐसी है जो रबी में बोई नहीं जा सकेगी। मैनपुरी में २ स्कीमों पर काम हो रहा है और ११,०६२ एकड़ जमीन पानी के नीचे है। बरेली में ७०,००० एकड़ जमीन पर पानी भरा था लेकिन अब नहीं है। शाहजहांपुर में २६ इंच बारिश हुई है और वहां पना तहसील का डिवास्टेशन हुआ है, मकान गिर गये हैं। हमने बहुत रुपया भी दिया है। महकमा नहर को ६ स्कीमों पर काम करने के लिये २५,००० रुपया दिया है जिसमें से १८,४०० रुपया खर्च हो चुका है और साढ़े ३ मील लम्बे नाले बन चुके हैं और १,२०० एकड़ जमीन बचाई गई है। हरदोई में भी बहुत बारिश हुई है और हमने २५,००० रुपया दिया है जिसमें से १९,५०० रुपया खर्च हो चुका है और ४,४८० एकड़ जमीन बची है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी टोटल बतला दें कि कितनी जमीन में पानी भरा हुआ है और रबी की फसल नहीं बोई जा सकती है।

श्री चरणसिंह---जब मैंने बताया तो लिखते जाते तो टोटल लग जाता। अध्यक्ष महोदय, कुछ जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है कि कितनी जमीन ऐसी है जिसमें बुआई नहीं हो सकेगी।

[श्री चरणसिंह]

इसका मतलब यह नहीं है कि वह वाटर लाग्ड है। उसकी वजह यह है कि मौसम सर्दी का आ गया है और मटर के सिवाय कुछ नहीं बोया जा सकता है। अनुमान यह है कि ५ फीसदी से ज्यादा अनसोन नहीं रहेगी।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन्, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जो वाटर लाग्ड एरिया है वहां क्या सरकार रेवेन्यू माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह---वह तो हमेशा होता है और मैं क्या बताऊं।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---श्रीमन, वाटर लाग्ड एरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ ?

श्री चरणसिंह---जहां वाटर लाग्ड होने के कारण रबी नहीं बोई जा सकी वहां माफ होता है। इसके सम्बन्ध में रेवेन्यू मैनुअल का पैरा ११३ देखें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष---अब बहस नहीं हो सकती है

सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---अब मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं---

गयाप्रसाद लाइफ सेविंग ट्रस्ट, कानपुर, समिति के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा का नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुआ है और १२ तारीख है वापसी की। अगर नाम वापस न लिया तो उनका निर्वाचन घोषित कर दिया जायगा।

यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल के लिए दो सदस्य (जिनमें एक महिला होंगी) के निर्वाचन हेतु---

(१) श्री बुलाकीराम,
(२) श्री रामचन्द्र उनियाल,
(३) श्रीमती चन्द्रावती,
(४) श्री बाबूलाल,

के नाम प्राप्त हुए हैं। यदि यू० पी० नर्सेज और मिडवाइव्ज कौंसिल में से २ अतिरिक्त नाम दिनांक १२ दिसम्बर, १९५८ के १ बजे तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन तारीख १३ दिसम्बर, १९५८ को २ से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरे एक सूचना यह है कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने के बाद, संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक लिया जायगा। इस तरह का कार्यक्रम का क्रम कायम रहेगा। उसके बाद फिर और विधेयक लिये जायंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० दिसम्बर, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर।)

तालिका

तहसील जौनपुर

उपर्युक्त तहसील के अन्तर्गत जिला जौनपुर में नगर समाज-कल्याण समिति की स्थापना की गई और नगर के दो मुहल्लों में मुहल्ला समिति का संगठन कार्य प्रारम्भ किया गया। इस तहसील के अन्तर्गत "काई का बाग" नामक स्थान पर वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में एक युवक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ५० नवयुवकों ने भाग लिया। जिले के मिर्जा हैदरबेग मुस्लिम अनाथालय को वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में ५०० रु० का अनुदान दिया गया।

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत उक्त तहसील के महिला मंगल केन्द्रों में १५२ प्रौढ़ाओं को प्रौढ़ शिक्षा में और १९२ बालकों को बालबाड़ी में शिक्षा दी गई। १९९ महिलाओं ने हस्त-कला में भाग लेकर ४२१ वस्तुओं को तैयार किया। ६० महिलाओं ने उद्योग धंधों में भाग लेकर २४२ वस्तुओं का निर्माण किया। ३७५ रोगियों को औषधि वितरित की गई। १२२ प्रौढ़ाओं एवं १३४ बच्चों ने शारीरिक व्यायाम में भाग लिया। १५ चर्खे तथा तकली के प्रदर्शन द्वारा १०७ गुन्डी सूत तैयार किया गया। १६० गृह-उद्यान और ५ धूम्र रहित चूल्हे बनाये गये।

मछली शहर तहसील

उक्त तहसील के महिला मंगल केन्द्रों में ग्राम सेविकाओं द्वारा १,००० बच्चों को बालबाड़ी और ६०० प्रौढ़ाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। १,००० प्रौढ़ाओं ने हस्तकला में भाग लेकर २,००० वस्तुओं का निर्माण किया। ८०० प्रौढ़ाओं ने उद्योग-धन्धे में भाग लेकर १,००० वस्तुएं तैयार कीं। ५,००० रोगियों को औषधि दी गई और ३०० प्रसूता महिलाओं को उचित सुझाव दिये गये। ६०० बच्चे और ८०० महिलाओं ने शारीरिक शिक्षा में भाग लिया। १५० चर्खे तथा तकली के प्रदर्शन द्वारा ३०० गुन्डी सूत तैयार किया गया। ६०० गृह-उद्यान और १० धूम्ररहित चूल्हे बनाये गये। इसके अतिरिक्त १९५५–५६ में पांड़े-पुर और सटवा ग्राम में २ ग्रामीण महिला शिविर और १९५६–५७ में कैथोली ग्राम में एक ग्रामीण महिला शिविर आयोजित किये गये जिनमें ९० महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कटाई तथा कढ़ाई आदि विषयों में शिक्षा दी गई।

केराकत तहसील

इस तहसील के महिला मंगल केन्द्रों में ग्राम सेविकाओं द्वारा ६०० बालकों को बालबाड़ी और ४०० प्रौढ़ाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। ७०० महिलाओं ने हस्तकला में भाग लेकर १,५०० वस्तुओं को तैयार किया। ७०० महिलाओं ने उद्योग धन्धे में भाग लेकर ९०० वस्तुओं को तैयार किया। ३,००० रोगियों को औषधि वितरित की गई और २०० प्रसूता महिलाओं को उचित सुझाव दिये गये। ५०० बच्चे और ७०० महिलाओं ने शारीरिक शिक्षा में भाग लिया। १८० चर्खे तथा तकली के प्रदर्शन द्वारा ५०० गुन्डी सूत तैयार किया गया। ४०० गृह-उद्यान और आठ धूम्र रहित चूल्हे बनाये गये। इसके अतिरिक्त १९५६–५७ में मढ़ी और बिशुनपुरा के ग्रामों में २ ग्रामीण महिला शिविर आयोजित किये गये जिनमें ६० महिलाओं ने भाग लिया।

मड़ियाहूं तहसील

प्रस्तुत तहसील के महिला मंगल केन्द्रों में ३०० बच्चों को बालबाड़ी और ३०० प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। ३५० महिलाओं ने हस्तकला में भाग लेकर १,००० वस्तुओं का निर्माण किया, २०० महिलाओं ने उद्योग धन्धे में भाग लेकर ६०० वस्तुओं का निर्माण

किया। २,००० रोगियों को दवा दी गई और १०० प्रसूता महिलाओं को ग्राम सेविकाओं द्वारा उचित सुझाव दिये गये। ३०० बालकों एवं ३०० महिलाओं ने शारीरिक शिक्षा में भाग लिया। १०० चर्खे तथा तकलियों के प्रदर्शन द्वारा ३०० गुन्डी, २२ सेर सूत तैयार किया गया। २०० गृह उद्यान और १० धूम्र रहित चूल्हे बनाये गये। इसके अतिरिक्त १९५६-५७ में रामपुर के ग्राम में एक ग्रामीण महिला शिविर आयोजित किया गया जिसमें ३० महिलाओं ने भाग लिया।

शाहगंज तहसील

उपरोक्त तहसील के महिला-मंगल केन्द्रों में २०० बच्चों को बालबाड़ी और २०० प्रौढ़ाओं को प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षा दी गई। २०० महिलाओं ने हस्तकला में भाग लेकर ७०० वस्तुओं को तैयार किया। १७९ महिलाओं ने उद्योग धन्धे में भाग लेकर ४०० वस्तुओं को बनाया। २,१०० रोगियों को दवा दी गई और १८४ प्रसूता महिलाओं को ग्राम सेविकाओं ने आवश्यक सुझाव दिये। ३०० बच्चे एवं २०० महिलाओं ने शारीरिक शिक्षा में भाग लिया। ६० चर्खे तथा तकलियों के प्रदर्शन द्वारा २०० गुन्डी सूत तैयार किया गया। १५० गृह-उद्यान और सात धूम्र रहित चूल्हे बनाये गये।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।)

क्रम-संख्या	नाम	निवास-स्थान	जेल का नाम	धारा जिसके अन्तर्गत पकड़ा गया	जेल में आने की तिथि	आत्म-हत्या करने की चेष्टा का कारण	अन्य विवरण यदि कोई हो
१	श्री भागीरथी पुत्र श्री घूरे।	ग्राम बिजौली, थाना दादो जिला अलीगढ़।	जिला कारागार अलीगढ़।	३०९ भा० द० वि०	२४-९-१९५८	अभियुक्त रिहा हो जाने से चेष्टा का कारण ज्ञात न हो सका।	
२	श्री मुहम्मद नसीब बेखुद पुत्र श्री साहब अली।	ग्राम बेलखड़, थाना उस्का जिला बस्ती।	जिला कारागार बस्ती।	,,	२७-८-१९५८	खाद्य सम्बन्धी आन्दोलन में अनशन कर रहे थे।	
३	श्री जगरूप पुत्र श्री फागू।	जिला देवरिया	जिला कारागार देवरिया।	,,	२६-९-१९५८	,,	
४	श्रीमती माया देवी पुत्री श्री जुरावन।	,,	,,	,,	,,	,,	
५	श्री कनही ..	ग्राम सलेमपुर, थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद।	जिला कारागार फतेहगढ़।	,,	२-९-१९५८	पेट की टी० बी० का पुराना मरीज होने के कारण जीवन से छुटकारा पाने के हेतु।	
६	श्री हंसराज ..	प्रहलाद नगर, लिसीडी गेट, थाना कोतवाली, जिला मेरठ।	जिला कारागार मेरठ।	,,	१४-९-१९५८	परिवार का भार न सहन करने के कारण उसने कुएं में छलांग लगाई जैसा कि बंदी का कहना है।	यह दोनों बंदी जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

अनुप्रवेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम	निवास-स्थान	जेल का नाम	धारा जिसके अन्तर्गत पकड़ा गया	जेल में आने की तिथि	आत्महत्या करने की चेष्टा का कारण	अन्य विवरण यदि कोई हो
७	श्रीमती साहब देवी	ग्राम सेदपुर, थाना मोदीनगर, जिला मेरठ ।	जिला कारागार मेरठ	३०९ भा० द० वि०	३०-९-१९५८	घरेलू झगड़ा	
८	श्री रामनरेश पुत्र श्री राजाराम ।	ग्राम फालातरहर, थाना प्यागपुर । जिला बहराइच ।	जिला कारागार बहराइच ।	,,	३०-८-१९५८	खाद्य-समस्या सम्बन्धी आन्दोलन में भूख-हड़ताल ।	
९	श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री दूबर ।	ग्राम० शिवबुरहिया, थाना रूपई डीहा, जिला बहराइच,	जिला कारागार बहराइच ।	,,	,,	,,	
१०	श्री बद्री मास्टर पुत्र श्री बचऊ ।	ग्राम मोहनापुर थाना, महराज गंज जिला गोरखपुर ।	सदर लाकअप, गोरखपुर		३१-८-५८	,,	
११	श्री बाबा छोटकनदास पुत्रश्री गोरी ।	ग्राम खालिक गढ़, थाना महराजगंज, जिला गोरखपुर ।	,,		३-९-१९५८	,,	
१२	श्री दुर्योधनप्रसाद एम० ए० ए० पुत्र श्री देवीचरण ।	ग्राम भिटोली, महराजगंज, थाना महराजगंज, जिला गोरखपुर ।	,,		४-९-१९५८	,,	
१३	श्री रमानुज पांडे पुत्र श्री गजाधर पांडे ।	ग्राम महुबबा, थाना नइकोट, जिला गोरखपुर ।	,,		५-९-१९५८	,,	
१४	श्रीमती राजरानी पत्नी श्री जोगराज ।	ग्राम गोइनिया, थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत ।	जिला कारागार पीलीभीत	३०९/३०४ भा० द० वि०	२७-९-१९५८		
१५	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री सियाराम शुक्ला ।	ग्राम अमोली कलां, थाना राम नगर, जिला बाराबंकी ।	जिला कारागार लखनऊ ।	३०९ भा० द० वि	२९-९-१९५८	यह जमीन से बेदखल हो जाने के कारण हड़ताल कर रही हैं ।	

अवैध विधान सभा

१६—श्री सियाराम शुक्ल पुत्र श्री बैजनाथ शुक्ल।	ग्राम अमोली कलां, थाना रामनगर, जिला बाराबंकी	जिला कारागार लखनऊ।	३०९ भा० द० वि०	२९-९-१९५८	यह व्यक्ति जमीन से बे दखल हो जाने कारण भूख-हड़ताल कर रहे हैं
१७—श्री बाबा जीवनदास पुत्र श्री चन्द्र ड्राइवर।	बढ़नी बाजार, हसबा, जिला बस्ती।	,,	,,	२७-८-१९५८	श्री बाबा जीवन दास की जंगली मोटर चलाने से हट गयी वह पेंशन या नौकरी मांगते हैं।
१८—श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री मुन्ना।	तकिया पीरजलील, बशीरतगंज, लखनऊ।	,,	३०९।३०७ भा० द० वि०	१९-९-१९५८	इसके आदमी ने उसे मारा था।
१९—श्री अब्दुल वाकी पुत्र श्री अब्दुल कादिर।	ग्राम बुलाकीपुरा, थाना मऊ, जिला आजमगढ़।	जिला कारागार आजमगढ़।	३०९ भा० द० वि०	४-९-१९५८	खाद्य-समस्या सम्बन्धी आन्दोलन में अनशन।
२०—श्री लोटन पुत्र श्री छदामी।	ग्राम जंगभुदी, थाना सिरसागंज, जिला मैनपुरी।	जिला कारागार मैनपुरी।		६-९-१९५८	९ सितम्बर, ५८ को जमानत पर रिहा हो गया।

अवध विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर।)

पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों की सूची

ग्राम का नाम	पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या
तहसील हैदरगढ़	
फिरोजाबाद	२
सोहनी मजरे रोहन मीरापुर	१
पूसे अमन मजरे पुकरुद्दीनपुर	१
गिस्तनागर मजरे सिधुवा	१
कतरा मजरें इसलामपुर	१
कमेला	१
पटेगांव	१
रोम्पी	२
सिधौरा	२
तहसील नवाबगंज	
नवाबगंज	६
बाराबंकी	२
मसौली	१
मुस्तफाबाद	१
तहसील रामसनेहीघाट	
रुदौली	२
टिकैतनगर	२
मवई	१
सरविभुगल	१
भेहलसर	१
गरौली	१
योग ..	३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर।)

सन् १३६५ फसली में गोंडा जिले के अन्तर्गत परगनेवार मालगुजारी की वसूली निम्नलिखित है:

नाम तहसील	नाम परगना	वसूली रु० न०पै०
बलरामपुर	१—बलरामपुर	११,९८,७८७·४५
	२—तुलसीपुर	१०,५०,५५३·६७
	योग ..	२२,४९,३४१·१२
उतरौला	३—उतरौला	५,१६,१४०·५६
	४—सादुल्ला नगर	१,८५,२२२·८५
	५—मनकापुर	२,७१,८६२·४३
	६—बूढ़ा पायर	३,०३,८३८·८९
	७—बमनी पायर	१,६९,९३६·३६
	योग ..	१३,४७,०५१·०९
तरबगंज	८—ढिकसिर	३,६०,०९४·२०
	९—नवाबगंज	२,७८,४७२·१४
	१०—ग्वारचि	५,६४,२१४·२३
	११—महादेवा	२,०७,६११·०६
	योग ..	१४,१०,३९१·६३
गोंडा	१२—गोंडा	१२,७९,२७४·९४
	१३—पहारापुर	३,३३,६८०·७८
	योग ..	१६,१२,९५५·७२
	कुल योग ..	६६,१२,७३·५६

प्रश्न पटल सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर।)

जिला जालौन में ३० सितम्बर, १९५८ तक वृहत्त जोत कर देने वाले काश्तकारों की तहसीलवार संख्या सन् १३६५ फसली के आधार पर निम्नलिखित है:

नाम तहसील	संख्या
जालौन	१७६
कोंच	२८२
उरई	२४८
कालपी	१२७
योग ..	८३३

अवर सदस्य प्रतिष्ठान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर।)

लगान वसूली के सिलसिले में तहसील हाटा जिला देवरिया में १३६४ और १३६५ में निम्नलिखित वारन्ट जारी किये गये

नाम फसल			वारन्ट गिरफ्तारी	वारन्ट कुर्की
खरीफ १३६४, फसली	..	..	..	..
रबी १३६४, फसली	..	..	१३	..
खरीफ १३६५, फसली	..	..	३०	३
रबी १३६५ फसली (६ सितम्बर १९५८ तक)	..	..	५७९	७९
	कुल योग	..	६२२	८२

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७ पर।)

क्रम-संख्या	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	२	३	४
१	आफिस सुपरिन्टेन्डेंट	१ ..	
२	रेवेन्यू असिस्टेंट	१ ..	
३	जुडिशियल असिस्टेंट	१ ..	
४	रेकार्ड कीपर माल	१ ..	
५	रेकार्ड कीपर इंगलिश रेकार्ड ..	१ ..	
६	नाजिर	१ ..	
७	सदर वासिल वाकी नवीस ..	१ ..	
८	रेकार्ड कीपर (फौजदारी) ..	१ ..	
९	सहायक रेवेन्यू असिस्टेंट ..	१ ..	
१०	बिल क्लर्क	१ ..	
११	आबकारी क्लर्क	१ ..	
१२	आर्म्स क्लर्क	१ ..	
१३	नायब नाजिर	६ ..	१
१४	जनरल क्लर्क	१ ..	
१५	लैंड एक्वीजीशन क्लर्क.. ..	१ ..	
१६	लोकल बाडीज क्लर्क	१ ..	
१७	टंकक	२ ..	
१८	सहायक रेकार्ड कीपर	२ ..	
१९	फार्म कीपर	१ ..	
२०	कृषि आय-कर क्लर्क	१ ..	
२१	रीडर	१० ..	
२२	अहलमद	१२ ..	
२३	अरेंजर	२ ..	
२४	वीडर	३ ..	
२५	नकलनवीस	१० ..	
२६	वासील बाकी नवीस	५ ..	
२७	मोहर्रिर जुडिशियल	७ ..	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	२	३	४
२८	मोहर्रिर माल	५	
२९	स्याहानवीस	५	
३०	कुर्क अमीन	८	१
३१	स्टेनोग्राफर	१	
३२	टाउन एरिया क्लर्क	२	
३३	स्टेनो अहलमद	१	
३४	पेड अप्रेंटिस	८	१
३५	मुहर्रिर नहर	१	
	योग ..	१०७	३
चपरासी ..	.. .. ..	१८६	२६

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २८० एल० ए० १९५८ ८४५ ।

उत्तर प्रदेश सभा लखनऊ